ISSN 0970-9312

प्राथमिक शिक्षक

शैक्षिक संवाद की पत्रिका

वर्ष 45 अंक 4 अक्तूबर 2021

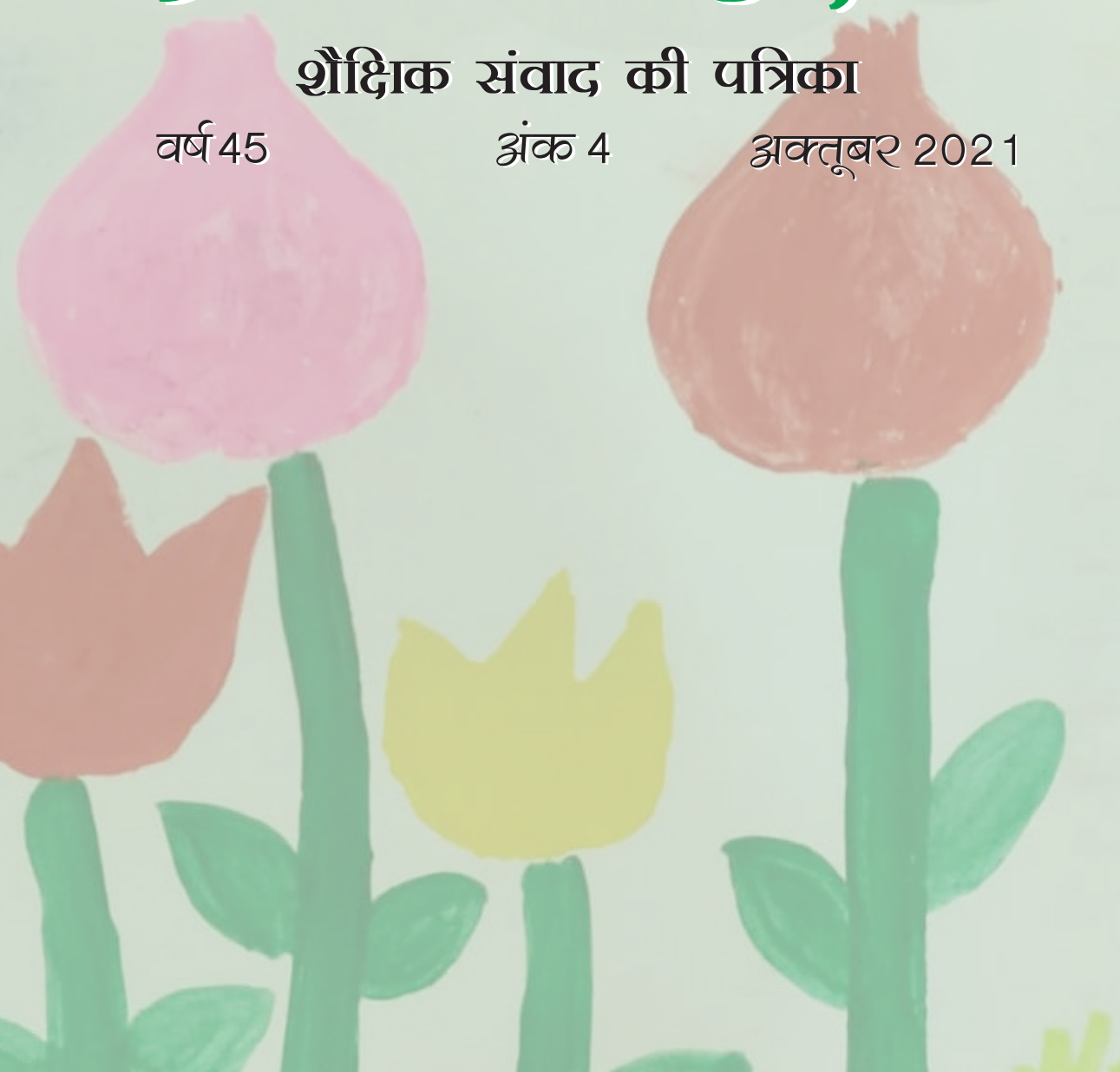

पत्रिका के बारे में

प्राथमिक शिक्षक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देश भर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने होते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चिंतन में परिषद् की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

© 2023. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है। परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. : दिनेश प्रसाद सकलानी

अध्यक्ष, डी.ई.ई. : सुनीति सनवाल

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : पद्मा यादव एवं उषा शर्मा

मुख्य संपादक (प्रभारी) : बिज्ञान सुतार

प्रकाशन मंडल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा

मुख्य व्यापार प्रबंधक : विपिन दीवान

संपादन सहायक : ऋषिपाल सिंह

उत्पादन सहायक : राजेश पिप्पल

आवरण

अमित श्रीवास्तव

आवरण चित्र

सोमांश लम्बोरा, कक्षा एक 'एफ', केन्द्रीय विद्यालय,
न्यू महरौली रोड, जे.एन.यू. परिसर
एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फ़ोन : 0361-2674869

मूल्य एक प्रति ₹ 65.00 **वार्षिक ₹ 260.00**

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के लिए प्रकाशित तथा चन्द्रप्रभु ऑफ़सेट प्रिंटिंग वर्क्स प्रा. लि., सी – 40, सैक्टर – 8, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

फरवरी 2023 में मुद्रित

ISSN 0970-9312

प्राथमिक शिक्षक

वर्ष 45 **अंक 4** **अक्तूबर 2021**

इस अंक में

संवाद **3**

लेख

1.	प्राथमिक शिक्षा में अवधारणा-कार्टून की उपयोगिता विद्यार्थियों के अधिगम के संदर्भ में	आकांक्षा शुक्ला अंजलि बाजपेयी	5
2.	गणित मेला सीखने-सिखाने का संरचनावादी आयाम	नीता रानी डोरी लाल जोगिंदर कुमार	14
3.	पहली कक्षा में *रिमझिम* द्वारा हिंदी भाषा-शिक्षण	रमेश तिवारी	25
4.	प्राथमिक स्तर के हिंदी सुलेखन में लेखन उपकरणों का तुलनात्मक प्रभाव	अश्विनी कुमार पाठक	34
5.	बच्चों का कक्षा में मूल्यांकन द्वारा सामाजिक स्तरीकरण एक समीक्षा	एम.एम. रॉय मीना सहरावत	44
6.	प्राथमिक स्तर के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर आँगनबाड़ी शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव	रवीन्द्र कुमार	51
7.	बिहार में अभिवंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षाधिकार दिलाने में विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका	अलप्ना शालिनी विनय कुमार दास	59
8.	*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के विशेष परिप्रेक्ष्य में समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा	नरेश कुमार	67

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

परस्पर आवेष्टित हंस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के कार्य के तीनों पक्षों के एकीकरण के प्रतीक हैं–
(i) अनुसंधान और विकास,
(ii) प्रशिक्षण, तथा (iii) विस्तार।
यह डिज़ाइन कर्नाटक राज्य के रायचूर ज़िले में मस्के के निकट हुई खुदाइयों से प्राप्त ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोकयुगीन भग्नावशेष के आधार पर बनाया गया है।
उपर्युक्त आदर्श वाक्य *ईशावास्य उपनिषद्* से लिया गया है जिसका अर्थ है–
विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

9. वर्तमान समय में शिक्षक और शिक्षार्थियों के संबंधों की समीक्षा एवं उपाय — चित्ररेखा, मनोज कुमार — 76

10. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के पंखों से नारी शिक्षा उड़ान — अमित अग्रवाल, अभिषेक कुमार सिंह — 89

11. बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन एक परिचय — पद्मा यादव — 96

विशेष

12. पर्यावरण अध्ययन का शिक्षणशास्त्र — 102

बालमन कुछ कहता है

13. मेरी पेन्सिल — प्रज्ञा गौड़ — 125

कविता

14. आओ शुरुआत करें — अशोक कुमार ढोरिया — 126

संवाद

विद्यार्थी स्वाभाविक तौर पर जिज्ञासु होते हैं। उनकी जिज्ञासा को सही दिशा देने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। आज शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसे और प्रगति दी है। ज़्यादातर हम लोग सिर्फ़ बच्चों को शिक्षित करने के बारे में सोचते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षकों का निरंतर सीखते रहना और लगातार विकसित होना। प्राथमिक शिक्षक पत्रिका के माध्यम से हम आपको, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के शोध निष्कर्ष एवं विचारों से परिचित कराते रहते हैं।

इस पत्रिका में कुल ग्यारह लेख हैं और जो लेख शामिल हैं उनसे ये विचार उजागर होते हैं कि बच्चों को कार्टून, रंगीन चित्र या साधारण स्केच बहुत अच्छे लगते हैं और शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों को सिखाने के लिए कार्टून और रंगीन चित्रों का उपयोग कर रहे हैं तथा इनके प्रयोग से बच्चों के अधिगम में सुधार भी देखा जा रहा है।

गणित शिक्षण तथा मूल्यांकन के लिए शिक्षक गणित मेले को शिक्षण प्रविधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और शोध में पाया गया है कि गणित मेला विद्यार्थी को कमरे की चारदीवारी से बाहर निकलकर सीखने-सिखाने के अवसर प्रदान कर रहा है। पढ़ने-लिखने की शुरुआत में बच्चों के लिए खेल, चित्र, कहानी आदि का सहारा लिया जाता है। भाषा की कक्षा हो या गणित की गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों के अधिगम में सहायक है।

पाठ्यपुस्तकों में जो चित्र दिए जाते हैं उनका प्रयोग करके शिक्षक विद्यार्थियों को सोचने और अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कर रहे हैं। लेखन कला पर लेखन उपकरणों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी मूल्यांकन की प्रक्रिया बच्चों के सीखने में मदद करती है। आकलन करने का उद्देश्य यह है कि बच्चों ने कितना सीखा और वह आगे सीखने के लिए कितने तैयार हैं, साथ ही आकलन से यह पता चलता है कि सीखने में कहाँ कमी आ रही है ताकि समय पर सुधार हो सके।

जो बच्चे आँगनबाड़ी में पढ़ने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, उनकी समझ सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों से अधिक होती है। यह कहा जा सकता है कि आँगनबाड़ी शिक्षा प्रणाली बच्चों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि करने के लिए एक सशक्त शिक्षा व्यवस्था है। समावेशी और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा सभी बच्चों विशेषकर अभिवंचित समुदाय को प्राप्त हो सके, इसके

लिए सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालय शिक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी से अभिवंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षाधिकार दिलाने में मदद मिलती है।

शिक्षा नीति के अनुसार समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को वास्तविक धरातल पर लाने के लिए समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य शिक्षा आदि क्षेत्र सम्मिलित होंगे तथा इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की समस्त क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थियों का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और इसको प्रखर बनाने के उपाय किए जाने चाहिए।

नारी शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास की ओर निरंतर अग्रसर है। सरकार की ओर से भी नारी शिक्षा को लेकर अनेक योजनाएँ बनी हैं, जिसको माध्यम से वह लाभान्वित हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ऐसे बहुत से सुझाव दिए हैं जिनको अमल में लाने से शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति के बारे में पुनर्विचार करें और उसे नए सिरे से तराशें, क्योंकि हमारे पास वर्तमान में पर्याप्त साधन हैं जिनकी मदद से हम बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार ला सकते हैं।

प्रस्तुत अंक में 'विशेष' के अंतर्गत 'पर्यावरण अध्ययन का शिक्षणशास्त्र', निष्ठा मॉड्यूल को शामिल किया गया है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आशा है कि आपको यह अंक पसंद आएगा। आप पत्रिका के किसी भी अंक या लेख पर अपने विचार अथवा सुझाव हमें भेज सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित।

अकादमिक संपादक

लेख

1

प्राथमिक शिक्षा में अवधारणा-कार्टून की उपयोगिता विद्यार्थियों के अधिगम के संदर्भ में

आकांक्षा शुक्ला*
अंजलि बाजपेयी**

जब कोई कार्टून, रंगीन चित्र या साधारण स्केच बच्चों को उनकी किताबों के नीरस अध्यायों के बीच या किसी अरुचिकर व्याख्यान के दौरान मिलता है, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता, हँसी व मुस्कुराहट सहज रूप से प्रदर्शित होती है तथा उन काटूनों और चित्रों से जुड़े कई सारे प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता भी उनके चेहरे से प्रतीत होने लगती है। लगभग हम सभी ने अपने बचपन के दिनों में कॉमिक्स पढ़ने का आनंद लिया होगा। जब हम कॉमिक्स के कार्टून पात्रों के नाम याद करते हैं, तो उनके कार्य और कथन स्वतः ही दृश्य रूप में हम सभी के दिमाग में उभर आते हैं, जिससे हमें दृश्य और सामग्री को याद करने में स्वाभाविक रूप से सहायता मिलती है। कार्टून, बच्चों के साथ-साथ वयस्कों का भी ध्यान और रुचि बहुत आसानी से अपनी तरफ़ आकर्षित करते हैं इसलिए इन कार्टूनों को शिक्षा के पूर्व-प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसका प्रमाण कई शोधकर्ताओं के शोध संग्रहण में मिलता है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य, अवधारणा-कार्टून की उपयोगिता को प्राथमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित कुछ पहलुओं को उजागर करना है। इसके साथ-ही-साथ इस अध्ययन का उद्देश्य कुछ ऐसे आयामों को भी प्रदर्शित करना है, जहाँ हम कार्टूनों को शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं जिससे विद्यार्थियों में उनके विचार, उनकी चिंतनशक्ति तथा उनकी समझ में बढ़ोत्तरी की जा सके।

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में साधारणत: 5 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। बच्चे यहाँ आवश्यक बुनियादी कौशलों को सीखते हैं, जो उनकी आगे की शिक्षा के लिए नींव रखते हैं। विद्यार्थी अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान जो भी कौशल सीखते और समझते हैं, उन कौशलों की छाप जीवन भर उनके मस्तिष्क में अमिट रहती है। प्राथमिक शिक्षा के दौरान कुछ बुनियादी कौशल, जैसे— पढ़ना, लिखना, वर्तनी, पारस्परिक संवाद, भाषा-कौशल और एकाग्रता बच्चों को सिखाए जाते हैं। ये बुनियादी कौशल विद्यार्थियों के भविष्य की शिक्षा तथा उनके जीविकोपार्जन के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। डैनिअल तस्माजियन अपने शोध में लिखते हैं कि "Socialization Skills Acquired by Elementary School Children", जिसका

*शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
**प्रोफ़ेसर, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

आशय है कि समाजीकरण की योग्यता का शुरुआती विकास भी प्राथमिक शिक्षा की अवधि में ही होता है। डैनिअल तस्माजियन का कहना सही भी है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय ही बच्चों के लिए वो स्थान होता है, जहाँ वे अपने घर और पास-पड़ोस के लोगों के अलावा अपने हमउम्र बच्चों और शिक्षकों से मिलते हैं और उनके साथ सामाजिक वार्तालाप आरंभ करते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जहाँ हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बुनियादी कौशलों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। चूँकि बच्चों में कार्टून के माध्यम से दिखाई गई कहानी या पाठ्यवस्तु के प्रति उत्सुकता जागृत होती है और वे कार्टून के विभिन्न पात्रों के बारे में सोचना व बातें करना भी शुरू कर देते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षकों द्वारा बुनियादी कौशलों के विकास में कार्टून का प्रयोग किया जाए तो अत्यंत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

कार्टून

कार्टून का तात्पर्य व्यंग्य और हास्य रूप में बनाए गए या खींचे गए चित्र से होता है, जो किसी पत्रिका या समाचार-पत्र में ऑनलाइन या ऑफ़लाइन माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान समय में कार्टून, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कौशलों, विषयों तथा जटिल संप्रत्यों को सिखाने के लिए कार्टून एक बहुत उपयोगी साधन के रूप में जाना जा रहा है। हास्य के उद्देश्य से खींचा गया कार्टून न केवल बच्चों का ध्यान और रुचि दोनों को आकर्षित करता है, अपितु रचनात्मक और आलोचनात्मक रूप से उनके विचार को प्रतिबिंबित करने में भी सहायता प्रदान करता है। क्रोएहनर्ट (1999) के अनुसार, "जब कार्टून का उपयोग किया जाता है, तो विद्यार्थी अपनी पार्श्व सोच (Lateral thinking) का उपयोग करने के लिए मज़बूर होते हैं, जो रचनात्मक तरीके से या 'बॉक्स के बाहर' सोचने की क्षमता है।"

अवधारणा-कार्टून

पहला अवधारणा-कार्टून स्थापित करने तथा उसको उपयोग में लाने का पूरा श्रेय केओघ और नायलर (1999) को जाता है। हालाँकि, केओघ और नायलर (1999) ने अवधारणा-कार्टून का शुरुआती प्रयोग विज्ञान विषय की कक्षा के लिए किया था। लेकिन बाद में अपने शिक्षण अनुभवों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों से प्राप्त प्रतिपुष्टियों तथा निरंतर अवधारणा-कार्टून की शिक्षा के विविध आयामों के लिए उपयोगिता पर किए गए शोधों के परिणामों के आधार पर अवधारणा-कार्टून में बहुत से सुधार और विकास करते गए। संक्षेप में, यह कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि अवधारणा-कार्टून दृश्य उपकरण की भाँति कार्य करते हैं, जो दो या दो से अधिक पात्रों के दैनिक जीवन में किसी विषय, घटना या अवधारणा पर विचारों के प्रस्ताव, विचारों पर चर्चा तथा सोच के आधार पर निर्मित होते हैं।

अवधारणा-कार्टून की मुख्य विशेषताएँ

अवधारणा-कार्टून की मुख्य विशेषताओं तथा उन्हें किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, का उल्लेख विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध लेखों तथा शोध संग्रहण में मिलता है। यहाँ पर हम कुछ विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं—

1. अवधारणा-कार्टून में दो या दो से अधिक पात्र होते हैं।
2. अवधारणा-कार्टून दिन-प्रतिदिन की परिस्थितियों पर आधारित होते हैं।
3. अवधारणा-कार्टून में प्रत्येक परिस्थिति के लिए वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य वैकल्पिक दृष्टिकोणों के साथ-साथ अन्य दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए जाते हैं।
4. अवधारणा-कार्टून में लिखे हुए कथन बुलबुलों (Speech bubbles) के अतिरिक्त एक खाली कथन बुलबुला भी दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी उस दिए गए खाली बुलबुले को भरने के लिए वैकल्पिक विचारों को खोजने और सोचने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित होते हैं।
5. अवधारणा-कार्टून के बुलबुलों में लिखे गए कथन विद्यार्थियों की भाषा में ही होते हैं, जिससे वे उन्हें आसानी से समझकर प्रयोग कर सकते हैं।
6. अवधारणा-कार्टून में दिए गए सभी वैकल्पिक दृष्टिकोण उचित दिखाई देते हैं, जिससे विद्यार्थी अपने दृष्टिकोण और विचार का कम आत्मविश्वास के साथ समर्थन कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें सभी वैकल्पिक दृष्टिकोण सही प्रतीत होते हैं और वे सोच में पड़ जाते हैं।
7. अवधारणा-कार्टून में चेहरे की अभिव्यक्ति और कथन के शब्द सांदर्भिक संकेत देने वाले नहीं होते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को उत्तर खोजने के लिए चिंतन करना पड़ता है।
8. अवधारणा-कार्टून में जो वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं, वे विद्यार्थियों के विभिन्न आयु के विचारों के विषय में शोध आधारित होते हैं।

अवधारणा-कार्टून की उपयोगिता विद्यार्थियों के अधिगम के संदर्भ में

इस भाग में हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थियों के अधिगम के संदर्भ में अवधारणा-कार्टून की क्या उपयोगिता है। यहाँ हम अवधारणा-कार्टून की मदद से कुछ विशेष कौशलों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करने जा रहे हैं।

1. भाषा-कौशल— मानव प्रजाति को अपने भावों तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए भाषा की समझ होना बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व के ज्ञान को जानने और समझने के लिए भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है। यही कारण है कि हमारे देश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषाओं की पढ़ाई-लिखाई करवाई जाती है और इन भाषाओं को समझाने और सिखाने पर ज़ोर दिया जाता है, जिनका उद्देश्य बच्चों की भाषा को समृद्ध और प्रभावी बनाना होता है। साधारणत: बच्चे अपने घर और पास-पड़ोस से मातृभाषा और दूसरी बोली जाने वाली भाषा को सुनते-सुनते बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन अपने विचार को शुद्ध भाषा में लिखने में उन्हें समस्या आती है। अपनी भाषा को शुद्ध रूप से न लिख पाने, न समझ पाने तथा न बोल पाने की वजह से उन्हें आगे के विद्यालयी स्तर पर तर्क-वितर्क करने, सोचने तथा अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भाषा कौशल में निपुणता अति आवश्यक है। भाषा-कौशल के विकास के संदर्भ में सज़ाना (2018) ने अपने शोध परिणाम में पाया कि अवधारणा-कार्टून के माध्यम से अंग्रेज़ी भाषा के बोलने और लिखने की प्रगति में

सहायता मिली। गैमेज (2019) ने भी अपने अंग्रेज़ी भाषा कौशल से संबंधित शोध परिणाम में पाया कि अधिकांश छात्र कार्टून से संबंधित सौंपे गए कार्य में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और एक व्यापक तथा विवादास्पद विवरण देते हैं। इस तरह हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि भाषा कौशल का विकास करने में अवधारणा-कार्टून बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जब बच्चों के सामने रंगीन चित्रों से सुसज्जित पाठ्यपुस्तक रखी जाती है, तो वे उसका अवलोकन बहुत बारीकी से करते हैं और आपस में चित्रों के बारे में बातचीत भी करना शुरु कर देते हैं। किसी बच्चे द्वारा चित्र बनाना तथा उस चित्र का अर्थ समझना उस बच्चे के भाषा-विकास का एक प्रारंभिक स्तर हो सकता है। गैमेज (2019) का मानना था कि अवधारणा-कार्टून विद्यार्थियों के बोलने के कौशल को सुविधाजनक बनाता है और विद्यार्थियों को उनके सहपाठियों के साथ आपसी संबंध में भी सुधार करता है। यही कारण है कि गैमेज (2019) के शोध निष्कर्ष के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कक्षाओं में कार्टून के उपयोग के प्रति सकारात्मक धारणा का प्रदर्शन किया और यह सकारात्मक प्रदर्शन शिक्षण और सीखने के अनुभव को बेहद सुखद, उत्तेजक और यादगार बनाने में अहम भूमिका निभा पाया। रंगीन चित्रों के द्वारा बच्चे अपने शब्द-भंडार में वृद्धि करते हैं, किसी समस्या को तर्कसंगत रूप से हल करने में सक्षम होते हैं तथा अभिव्यक्ति के विकास में सहायता की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। इसकी पुष्टि चित्र 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भी होती है। चित्र 1 और 2 में बच्चे पौधों के भोजन से संबंधित जानकारी साझा कर रहे हैं एवं चित्र 3 और 4 में बच्चे पानी की उपयोगिता के संदर्भ में चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। चित्र 2 तथा चित्र 4 से यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी, अवधारणा-कार्टून की मदद से वार्तालाप करके अपनी भाषा कौशल का विकास कर रहे हैं।

2. रचनात्मक मूल्यांकन— रचनात्मक मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के तरीकों को संदर्भित करता है, जो शिक्षक द्वारा एक पाठ, एक इकाई या एक पाठ्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की समझ, उनके सीखने की ज़रूरतों तथा उनकी शैक्षणिक प्रगति के इन-प्रोसेस मूल्यांकन करने के लिए उपयोग करते हैं। चीन और टियो (2009) ने पाया कि अवधारणा-कार्टून का उपयोग रचनात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में स्वयं और साथियों, दोनों के आकलन के लिए किया जा सकता है।

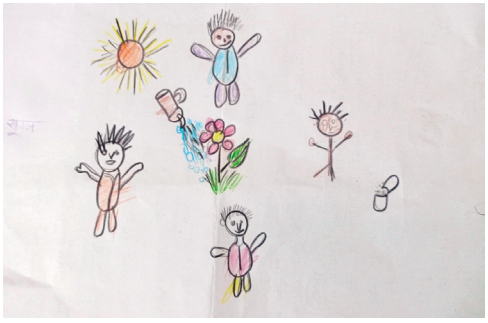

चित्र 1

चित्र 2

चित्र 3

चित्र 4

अवधारणा-कार्टून की विशेषताओं के क्रम में ये बात उजागर होती है कि जब विद्यार्थियों के समक्ष कार्टून के पात्रों को संवाद करते हुए दिखाया जाता है, तो वे स्वयं को एक ऐसे स्वतंत्र और खुशनुमा वातावरण में होने का अनुभव करते हैं, जहाँ वे स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उत्साहित महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों द्वारा उनके ज्ञान का मूल्यांकन कर पाने में सहायता मिलती है। जैसा कि चित्र 5 से स्पष्ट होता है कि जब एक कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कोरोना वायरस के संबंध में चर्चा की तथा उनसे यह जानने की कोशिश की कि कैसे वे अपने आपको इस वायरस से बचा सकते हैं, तो इसके समर्थन में बच्चों की रचनात्मक क्रियाविधि से शिक्षक को उत्साहित करने वाले निष्कर्ष देखने को मिले, जिससे इस बात को बल मिलता है कि अवधारणा-कार्टून, विद्यार्थियों के रचनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चित्र 5

3. गलत धारणाएँ— एक गलत धारणा का अभिप्राय एक ऐसे विश्वास, एक ऐसे दृष्टिकोण या एक ऐसी राय से है, जो गलत है। कोलिंस संक्षिप्त अंग्रेज़ी शब्दकोश (Collins Concise English Dictionary) 1988 के अनुसार, मिसकंसेप्शन का अर्थ है, 'गलत या गलत दृष्टिकोण, राय या रवैया'। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को जानने के साथ-साथ, उनकी सोच तथा उनकी राय को विकसित करने के लिए कॉंसेप्ट कार्टून एक मूल्यवान उपकरण हैं। सामान्यत: विद्यार्थी आसानी से कार्टून से जुड़ जाते हैं और आपस में चर्चा व संवाद करते हुए अपने विचारों को सही ठहराने का प्रयास करते हैं तथा उपयुक्त तर्कों का निर्माण करते हैं। ज़्यादातर स्थिति में विद्यार्थी इसकी पहचान करने लग जाते हैं कि कौन-सी गलत धारणा उनके दिमाग

में है और ये भी जान पाते हैं कि स्वयं की उनकी समझ कितनी सीमित है। उस स्थिति में शिक्षक अपना विषय पढ़ाते समय विद्यार्थियों की गलत अवधारणा को सही करने हेतु कार्टून की मदद लेते हैं और विद्यार्थियों को गलत अवधारणा को सही करने का अवसर प्रदान करते हैं।

चित्र 6

इकिसी और अन्य (2007) ने भी अपने शोध में यह पाया कि अवधारणा-कार्टून विद्यार्थियों की समझ और उनकी गलत धारणाओं की पहचान कराने में सक्षम होते हैं। इसकी पुष्टि योंग और की (2017), कुसुमनिंग्रम और अन्य (2018) भी अपने शोध में करते हैं और यह पाते हैं कि अवधारणा-कार्टून की सहायता से विद्यार्थियों की बहुत सारी गलत अवधारणाओं में कमी लाई जा सकी। कुछ शोधकर्ताओं के अध्ययन निष्कर्षों ने भी यही संकेत दिया कि यदि अवधारणा-कार्टून वर्कशीट के रूप में या पोस्टर के रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ, तो उनमें गलत धारणाओं को दूर किया जा सकता है और उनके वैज्ञानिक विचारों को समझा भी जा सकता है।

चित्र 7

इस तरह हम यह कहने में सक्षम हो पाते हैं कि गलत अवधारणाओं की जाँच करने और उन्हें सुधारने में अवधारणा-कार्टून बहुत ही व्यावहारिक उपकरण हैं। इस पक्ष में हम देखते हैं कि चित्र 6 में विद्यार्थियों के बीच सूरज और तारों की रोशनी तथा उनकी आपसी स्थिति को लेकर गलत दृष्टिकोण बना हुआ है, जिसे एक पात्र (विद्यार्थी) ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। चित्र 7 में विद्यार्थियों के बीच गणित के योग संक्रिया और गुणा संक्रिया के आपसी संबंध को लेकर चर्चा हो रही है। चित्र 7 में एक पात्र के गलत समझ या दृष्टिकोण को अन्य पात्रों ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। चित्र 6 एवं 7 से यह साफ़ प्रदर्शित होता है कि अवधारणा-कार्टून से शिक्षक को अधिक प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसमें परिवर्तन करने में सहायता मिलती है।

4. ध्यान बढ़ाने व व्यस्त रखने में— कक्षा के सभी विद्यार्थी एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी के सीखने की क्षमताएँ व तरीके अलग-अलग होते हैं। कुछ विद्यार्थियों में संवेगात्मक और व्यवहारगत समस्याएँ भी होती हैं, जिसके कारण उन्हें ध्यान देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः शैक्षणिक विधियों के साथ-साथ विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने वाली तकनीकों का उपयोग करना अति आवश्यक

हो जाता है। इस संदर्भ में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए कार्टून का उपयोग किया जा सकता है। अरुनराज और ब्लेसी (2015) ने अपने शोध कार्य द्वारा यह स्पष्ट किया है कि अवधारणा-कार्टून के माध्यम से विशेष आवश्यकता (ADHD— अटेंशन डेफ़िसिट हाईपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) वाले विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत या युग्मित कार्य में रचनात्मक रूप से व्यस्त रखा जा सकता है। परिणामस्वरूप यह उनके रचनात्मक अधिगम, उनके सहकारी और सहयोगी अधिगम में सहायक सिद्ध होते हैं। कार्टून के माध्यम से विचारों को भी उत्तेजित किया जा सकता है, जिससे उच्च क्रम में संज्ञानात्मक कौशल, रुचि और चिंतनशील कौशल का भी विकास होता है। शिक्षाविदों के अनुसार, विद्यार्थियों के सर्वांगीण शैक्षणिक विकास के संदर्भ में कार्टून एक सक्षम उपकरण हैं, क्योंकि ये समझ, ध्यान और रुचि बढ़ाने, सीखने के प्रति प्रेरणा में सुधार करने, दृष्टिकोण में सुधार करने, उत्पादकता में वृद्धि करने, रचनात्मकता और अलग सोच को विकसित करने, चिंता और तनाव को कम करने, सक्रिय भागीदारी बढ़ाने तथा सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के ऊबन और व्यवहार विकारों को कम करता है।

5. अनौपचारिक अधिगम व्यवस्था— अनौपचारिक शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से होता है, जहाँ समाचार-पत्रों, इंटरनेट सामग्री तथा जनसंचार के माध्यम से विद्यार्थियों में ज्ञान और कौशल का प्रसार किया जाता है, और इसीलिए अनौपचारिक शिक्षा नियमित न होकर अनियमित रूप से दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षा में कक्षाओं तथा उनकी पाठ्यपुस्तकों का योगदान न के बराबर होता है। अनौपचारिक शिक्षा में जब अवधारणा-कार्टून सकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगें तो विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाती है, जहाँ विद्यार्थियों का अधिगम तो होता है, लेकिन उनके ऊपर कक्षा तथा पाठ्यक्रम से संबंधित किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी कौशलों का विकास संभव हो पाता है, जिसकी चर्चा ऊपर के भागों में हमने की है। चित्र 1 से 7 तक में हमने देखा कि अवधारणा-कार्टून दिन-प्रतिदिन की परिस्थिति पर आधारित होते हैं और इन परिस्थितियों का अवलोकन विद्यार्थी अनौपचारिक संसाधनों के माध्यम से भी करते हैं। चूँकि, इस विषय में कार्य करने वाले कार्टून में संवाद चरित्रों के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए विद्यार्थियों की अधिगम व्यवस्था को मज़बूत करना आसान हो जाता है। अंत में हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जहाँ हम यह प्रभावी रूप से कह सकते हैं कि अवधारणा-कार्टून कक्षा में एक अनौपचारिक अधिगम व्यवस्था का निर्माण करता है, जिससे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों लाभान्वित होते हैं।

6. कक्षा-प्रबंधन की समस्या में— कक्षा प्रबंधन शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों का संगठन है, जो कक्षा में विद्यार्थियों के लिए एक उत्तम अधिगम के वातावरण की स्थापना के लिए आवश्यक है। कक्षा प्रबंधन, कक्षा में शिक्षण-प्रक्रिया के समय आने वाली उन सभी बाधाओं को समाप्त करना है, जिससे विद्यार्थियों के अधिगम में खलल पड़ता है तथा यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों का कोई व्यवहार और विचार उनकी रुचि और ध्यान को अधिगम के दौरान विचलित न करें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षक, शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाते हैं तथा कक्षा में प्रभावी और कुशल समय का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसके

अतिरिक्त कक्षा प्रबंधन में उपयुक्त कक्षा, उपकरणों का चयन और उनका उपयोग किया जाना भी कक्षा प्रबंधन की समस्या को किसी हद तक सुलझाने में मदद करता है। कराहान और कागानाका (2017) के अनुसार, अवधारणा-कार्टून निम्न प्रकार से कक्षा प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं—

- अवधारणा-कार्टून दैनिक जीवन की गतिविधियों से संबंधित होते हैं। अतः विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं, जिससे उनका ध्यान अधिगम के दौरान नियंत्रित रहता है।
- विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन को इनकी गतिविधियों से जोड़ते हैं तथा विचार करने के लिए उत्साहित और प्रेरित होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से कक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है।
- विद्यार्थी अपने पूर्व-ज्ञान के आधार पर संवाद करना शुरू कर देते हैं जिससे विचारों का आदान-प्रदान होता है, जो कक्षा प्रबंधन को नियंत्रित करता है।
- विद्यार्थी कक्षा में ध्यान देने लगते हैं और अवधारणा-कार्टून में उनकी रुचि व उत्सुकता बढ़ जाती है।

काबापिनर (2005) ने अपने अध्ययन के माध्यम से इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि यदि अवधारणा-कार्टून के चरित्रों का नाम रख दिया जाए (जैसा कि हम चित्र 4 और चित्र 6 में देख रहे हैं) तो अवधारणा-कार्टून की प्रभावशीलता में वृद्धि हो जाती है और कक्षा प्रबंधन की समस्याओं में कमी आने लगती है।

निष्कर्ष

इस लेख में हमने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों में अवधारणा-कार्टून की उपयोगिता का सैद्धांतिक अध्ययन किया है। इस अध्ययन को सारगर्भित करने के लिए हमने अवधारणा-कार्टून से संबंधित चित्रों को भी शामिल किया है। इस सैद्धांतिक अध्ययन की जाँच-पड़ताल से कई सारे तथ्य प्रकाश में आए हैं। उन तथ्यों में मुख्यतः विद्यार्थियों में भाषा कौशल का विकास, उनकी एकाग्रता में वृद्धि, उनकी अपनी पाठ-सामग्री के प्रति रुचि, विद्यार्थियों के दिमाग में बनी गलत धारणाओं में सुधार इत्यादि जैसे आयाम शामिल हैं। इस अध्ययन के फलस्वरूप यह पाया गया है कि अवधारणा-कार्टून के प्रयोग से विद्यार्थियों में उनके तर्क-वितर्क करने, उनके संज्ञानात्मक-संघर्ष में प्रगति करने, उनके रचनात्मक आकलन को सही दिशा देने, उन्हें प्रेरित करने, उन्हें पठन-पाठन में व्यस्त रखने तथा उनके समस्या-समाधान कौशल आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ़ शिक्षकों में उनके रचनावादी शिक्षण उपागम और विषय के अध्यापन का ज्ञान आदि में सुधार हुआ है। अवधारणा-कार्टून का प्रयोग विभिन्न विषयों में कैसे, कब और किस सीमा तक सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं, इसका भी उल्लेख इस अध्ययन में मिलता है। ऊपर के सभी भाग तथा उनसे संबंधित चित्र यह साफ़ तौर पर दर्शाते हैं कि अवधारणा-कार्टून विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रगति में सहायक होने के साथ-ही-साथ शिक्षक की शिक्षण रणनीतियों में सुधार करते हैं और उसे प्रभावी बनाते हैं। अवधारणा-कार्टून विद्यार्थियों के असाधारण और आश्चर्यजनक विकास को चिह्नित करता है। यह अध्ययन यह भी निश्चित करता है कि अवधारणा-कार्टून कक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तित करने में मदद करता है तथा विद्यार्थियों को उनके मित्रों के साथ परस्पर संबंधों

में मधुरता लाता है। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अवधारणा-कार्टून की उपयोगिता इस बात को भी साबित करती है कि अन्य शिक्षण रणनीतियों की तुलना में अवधारणा-कार्टून की शिक्षण विधि, शिक्षक तथा विद्यार्थियों के आपसी संबंधों तथा लगाव को सकारात्मक मज़बूती प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम होते हैं कि कक्षा के वातावरण को रुचिकर, प्रभावी, परस्पर संवादात्मक और स्फूर्तिदायक बनाने के लिए अवधारणा-कार्टून का प्रयोग सहायक सिद्ध हुआ है। अवधारणा-कार्टून का प्रयोग विशेष तौर पर विज्ञान विषय के शिक्षण में ही अधिकतर किया गया है, लेकिन इस अध्ययन से यह पता चलता है कि विज्ञान विषय के साथ-साथ गणित तथा अन्य सामाजिक विषयों में भी अवधारणा-कार्टून का प्रयोग बड़ी सुगमता और सरलता से किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के अलावा अन्य शिक्षा के स्तरों में अवधारणा-कार्टून की उपयोगिता पर गहन शोध की आवश्यकता है।

संदर्भ

अरुनराज, टी. और टी. ब्लेसी. 2015. कार्टून इन ओवर कमिंग अटेंशन डिफ़िक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर (एडीएचडी). *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड रिव्यू.* 2(1), पृ.सं. 15–19.

इकिसी, एफ़., ई. इकीसी और एफ़. आयदिन. 2007. यूटिलिटी ऑफ़ कॉन्सेप्ट कार्टूंस इन डायग्नोसिंग एंड ओवरकमिंग मिसकॉन्सेप्शन रिलेटेड इन फ़ोटोसिंथेसिस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एनवायरमेंटल एंड साइंस एजुकेशन.* 2(4), पृ.सं. 111–124.

काबापिनर, एफ़. 2005. इफ़ेक्टिवनेस ऑफ़ टीचिंग वाया कॉन्सेप्ट कार्टूंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ़ व्यू ऑफ़ कंस्ट्रकटिव एप्रोच. *एजुकेशनल साइंसेज— थ्योरी एंड प्रैक्टिसेज.* 5(1), पृ.सं. 136–146.

काराहान, ए. और सी.के. कागानाका. 2017. क्लासरूम मैनेजमेंट विथ कॉसेप्ट कार्टूंस. *ओपन एक्सेस लाइब्रेरी जर्नल,* 4, 3919.

कुसुमनिंग्रम आई. ए., ए. अशादी. और एन.वाई. इंद्रियती. 2018. कॉसेप्ट कार्टूंस फ़ॉर डायग्नोसिंग स्टूडेंट्स मिस्कांसेप्शंस इन दी टॉपिक ऑफ़ बफ़र्स. *जर्नल ऑफ़ फिजिक्स कॉन्फ्रेंस सीरीज.* 1022(1), 012036.

केओघ, बी. और एस. नायलर. 1999. कॉन्सेप्ट कार्टूंस, टीचिंग एंड लर्निंग इन साइंस— एन इवैल्यूएशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंस एजुकेशन.* 21(4), पृ.सं. 431–446.

क्रोएहनर्ट, जी. 1999. *101 ट्रेनिंग गेम्स.* मैकग्रा-हिल कंपनी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया.

गैमेज, एस. 2019. कार्टूंस ऐज ऑथेंटिक सप्लीमेंटरी टीचिंग टूल इन इंग्लिश ऐज ए सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम्स. *एडवांसेस इन लैंग्वेज एंड लिटररी स्टडीज.* 10(1), पृ.सं. 107–116.

चीन, सी. और एल. टियो. 2009. यूजिंग कॉन्सेप्ट कार्टूंस इन फ़ार्मेटिव असेसमेंट स्कैफोलडिंग स्टूडेंट्स अर्गुमेंटेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंस एजुकेशन.* 31(10), पृ.सं. 1307–1332.

योंग, सी.एल. और जेड. की. 2017. युटिलायिंजिंग कॉन्सेप्ट कार्टूंस टू डायग्नोज एंड रीमेडिएट मिस्कांसेप्शंस रिलेटेड टू फ़ोटोसिंथेसिस अमंग प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स. *ओवरकमिंग स्टूडेंट्स मिस्कॉन्सेप्शंस इन साइंस.* पृ.सं. 9–27.

सज़ाना, सी. 2018. कार्टून इन लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स.* 119 (12), पृ.सं. 2435–2448.

हैंक्स, पी. 1988. *द कोलिंस कानसाइज़ इंग्लिश डिक्शनरी— सेकंड एडिशन.* पब्लिशर हार्पर कोलिंस. लंदन.

2

गणित मेला
सीखने-सिखाने का संरचनावादी आयाम

नीता रानी*
डोरी लाल**
जोगिंदर कुमार***

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, "स्कूली गणित का दर्शन विद्यार्थियों को गणित से भयभीत करने के बजाय उसका आनंद उठाने की ओर इशारा करता है"। गणित को ऐसा विषय माना गया है जिस पर विद्यार्थी बात कर सकें जिसका संप्रेषण हो सके, जिस पर आपस में चर्चा हो, अमूर्त संरचनाओं को देख एवं समझ सकें। गणित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया बोलते ही मस्तिष्क में सबसे पहले एक चित्र बनने लगता है जिसमें एक कक्षा-कक्ष, विद्यार्थी, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, शिक्षक, पढ़ने-पढ़ाने का तरीका और मूल्यांकन आदि आता है। मूल्यांकन में भी यदि केवल गणित मूल्यांकन की बात करें तो मात्र पेन-पेपर टेस्ट। आज के शिक्षा के संरचनावादी युग में भी हम खुद को पेन-पेपर टेस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जबकि संरचनावादी उपागम तो इस अवधारणा पर टिका हुआ है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का अपनी गति तथा क्षमता के अनुसार अध्यापक की मदद से स्वयं ही निर्माण करें। जब ज्ञान निर्माण में ही इतनी विविधता है तो मूल्यांकन परंपरागत तरीकों से ही कैसे संभव है? यह अपने आपमें विचारणीय है। इस शोध में गणित शिक्षण तथा मूल्यांकन को संरचनावादी उपागम से देखने का प्रयास किया गया है। शोध में पाया गया कि गणित मेला विद्यार्थी को कमरे की चारदीवारी से बाहर निकलकर सीखने-सिखाने के अवसर प्रदान कर रहा है। गणित शिक्षण तथा मूल्यांकन दोनों आयामों को देखने के लिए गणित मेले को शिक्षण प्रविधि के रूप में प्रयोग किया गया है। शोध कार्य में दिल्ली के 2 सरकारी विद्यालय जो उत्तर-पश्चिम 'ब' ज़िले में स्थित हैं उनकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों जिनकी संख्या 50 रही जिसमें छात्र और छात्राओं को समान रूप से सोधेश्य प्रतिचयन (पर्पसिव सैंपलिंग) के अनुसार लिया गया। शिक्षकों (गणित) को भी पर्पसिव सैंपलिंग से चयनित किया गया जिनकी संख्या 20 रही और शिक्षकों में भी पुरुष और महिला शिक्षक समान रूप से चयनित किए गए। शोध कार्य मूलतः मात्रात्मक है परंतु इसमें गुणात्मकता का भी पुट है। शोध कार्य को करने के लिए मूलतः निरीक्षण विधि (ऑब्ज़र्वेशन मेथड) जिसमें विद्यार्थियों द्वारा भरी गई ऑब्ज़र्वेशन शीट

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* मंडलीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, केशवपुरम, दिल्ली
** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली
*** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* मंडलीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मोतीबाग, दिल्ली

का विश्लेषण करना, फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी को मेले से पूर्व और मेले के उपरांत तथा साक्षात्कार जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को शामिल किया गया है। साक्षात्कार और फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन शोध कार्य को ट्रियंगुलेट करने के लिए किया गया ताकि शोध कार्य को वैधता दी जा सके। शोध में पाया गया कि गणित मेला विद्यार्थी को कमरे की चारदीवारी से बाहर निकलकर सीखने-सिखाने के अवसर प्रदान कर रहा है। साथ-ही-साथ यहाँ यह भी देखा गया कि असेसमेंट और लर्निंग साथ-साथ चल रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी को कुछ भी याद नहीं करना और न ही पर्चे पर कोई टेस्ट देना है। तो यह निसंदेह मूल्यांकन के लिए एक कारगर प्रविधि साबित हो सकती है, गणितीय मेले की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि इसमें अधिगमकर्ता (लर्नर) ने निष्क्रिय न होकर सक्रिय अधिगमकर्ता की भूमिका निभायी।

शिक्षा जगत में चाहे *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* हो या इससे पहले आई कोई भी नीति या कमीशन हो, सभी ने प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया है। किंतु असर और नेस (2018) ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित आँकड़े विश्लेषित किए हैं—

कक्षा 3 के 27.6 प्रतिशत विद्यार्थी 2016 में भाग के सवाल करने में सक्षम थे जबकि 2018 में यह संख्या 28.1 प्रतिशत हो गई, यदि केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की बात करें तो 2016 में 20.3 प्रतिशत तथा 2018 में यह बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गई। 2016 में कक्षा 5 के 26 प्रतिशत विद्यार्थी तीन अंको को एक अंक से भाग करने में सक्षम थे जबकि 2018 में यह संख्या बढ़कर 27.8 प्रतिशत हो गई। यदि केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की बात करें तो 2016 में 21.1 प्रतिशत तथा 2018 में यह संख्या बढ़कर 22.7 प्रतिशत हो गई। 2018 में कक्षा 8 के 44 प्रतिशत विद्यार्थी भाग के सवाल करने में सक्षम पाए गए। केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या 2016 में 40.2 प्रतिशत थी। नेस 2018 के अनुसार कक्षा 3 के 64 प्रतिशत, कक्षा 5 के 53 प्रतिशत तथा कक्षा 8 के 42 प्रतिशत विद्यार्थी गणित के सवालों को हल कर पा रहे थे। असर तथा नेस 2018 के आँकड़े दर्शाते हैं कि हमें शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को एक बार फिर से देखने की नितांत आवश्यकता है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के अनुसार "गुणवत्तापरक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है" अब यहाँ पर चिंतन का विषय यह है कि क्या विद्यार्थी की क्षमताओं तथा कौशलों को कक्षा-कक्ष में हल कराए गए केवल कुछ प्रश्नों के आधार पर विकसित किया जा सकता है? साथ ही जब आकलन भी केवल टेस्ट में प्राप्त अंकों के द्वारा किया जाएगा तो क्या गुणवत्तापरक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा, यह भी चिंतनीय प्रश्न है।

जब शिक्षण के उद्देश्यों में इतनी व्यापकता है तो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में सृजनात्मकता तथा नवप्रवर्तकता को जोड़ने की आवश्यकता है। इस लेख का उद्देश्य, गणित पढ़ने-पढ़ाने तथा मूल्यांकन की ऐसी प्रविधि को खोजना है जो विद्यार्थियों में भय उत्पन्न ना करके बल्कि गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सहायक हो। साथ-ही-साथ यह भी देखना कि शिक्षक समुदाय व विद्यार्थियों की इन प्रविधियों पर क्या राय है?

शोध प्रश्न

इस शोधपत्र में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है—

- वर्तमान विद्यालयी परिस्थितियों में सीखने-सिखाने की अन्य प्रविधियों की क्या संभावना है?
- पेन-पेपर टेस्ट के अलावा गणित शिक्षण में मूल्यांकन की अन्य प्रविधियाँ कौन-सी हो सकती हैं?
- गणित मेले को लेकर शिक्षकों की क्या राय है?
- गणित मेले को लेकर छात्रों की क्या राय है?

शोध कार्य के उद्देश्य

- गणित मेले का विद्यार्थियों की संप्रत्यय समझ पर प्रभाव का अध्ययन।
- शिक्षकों का गणितीय मेले के प्रति परिप्रेक्ष्य का अध्ययन।
- विद्यार्थियों का गणितीय मेले के प्रति परिप्रेक्ष्य का अध्ययन।

शोध कार्य का परिसीमन

इस शोध में केवल गणित मेला को ही मूल्यांकन प्रविधि के रूप में देखा गया है। यह शोध दिल्ली उत्तर-पश्चिम ज़िला के दो सरकारी विद्यालयों में ही किया गया है।

शोध प्रविधि

शोध कार्य मूलतः मात्रात्मक है परंतु इसमें गुणात्मकता का भी पुट है। शोध कार्य को करने के लिए मूलतः ऑब्ज़र्वेशन मेथड जिसमें विद्यार्थियों द्वारा भरी गई ऑब्ज़र्वेशन शीट को विश्लेषण करना, फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी को मेले से पूर्व और मेले के उपरांत तथा साक्षात्कार जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को शामिल किया गया। साक्षात्कार और फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन, शोध कार्य को ट्रियंगुलेट करने के लिए किया गया ताकि शोध कार्य को वैधता दी जा सके।

जनसंख्या एवं न्यादर्श

शोध कार्य में दिल्ली के दो सरकारी विद्यालयों जो उत्तर-पश्चिम 'ब' ज़िले में स्थित है, उनके कक्षा 6 के विद्यार्थियों जिनकी संख्या 50 रही जिसमें छात्र और छात्राओं को समान रूप से पर्पसीव सैंपलिंग के अनुसार लिया गया। शिक्षकों (गणित) को भी पर्पसिव सैंपलिंग से चयनित किया गया जिनकी संख्या 20 रही और शिक्षकों में भी पुरुष और महिला शिक्षक समान रूप से चयनित किए गए।

शोध उपकरण

क्रम संख्या	उद्देश्य	उपकरण (टूल)
1.	विद्यार्थियों के संप्रत्य निर्माण में गणितीय मेले के प्रभाव का अध्ययन	ऑब्ज़र्वेशन शीट (विद्यार्थी)
2.	गणितीय मेले को लेकर शिक्षकों की राय का अध्ययन	साक्षात्कार
3.	गणितीय मेले को लेकर विद्यार्थिओं की राय का अध्ययन	फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन

शोध प्रक्रिया

मेले के प्रबंध को तीन भागों में बाँट कर परिणित किया गया—

1. मेला पूर्व प्रबंधन
2. मेले के दौरान
3. मेले के उपरांत

मेला पूर्व प्रबंधन

मेला पूर्व प्रबंधन में सबसे पहले विषयवस्तु से संबंधित संप्रत्ययों के अनुसार मेले को चार थीम में बाँटा गया जिसका केंद्र बिंदु मापन था। मापन में ऊँचाई/लंबाई, भार, धारिता और मुद्रा को लिया गया। मेले के लिए विद्यालयों के कक्षा 6 के विद्यार्थियों को लिया गया। विद्यार्थियों को मेले से पूर्व निर्देश दिए गए कि मेले में उन्हें एक ऑब्ज़र्वेशन शीट मिलेगी, जिसमें उन्हें दिए गए सभी कॉलम को, दिए गए दिशानिर्देश अनुसार भरना है और सभी मेले के स्टॉल पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी है। विद्यार्थियों को ऑब्ज़र्वेशन शीट का नमूना भी दिखाया गया और उनसे संबंधित प्रश्नों की समस्याओं का समाधान किया गया।

मेले में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी उपकरण और सामान, दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे और आसपास के परिवेश से ही जुटाए गए, जैसे— लंबाई नापने के लिए अमानकीकृत मापन रस्सी, आयतन के लिए बोतल और मानकीकृत उपकरणों में विद्यालय परिवेश से संबंधित बीकर, तराज़ू, पैमाने आदि का प्रयोग किया गया। इनको शिक्षकों के सहयोग और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के सहयोग और उनसे भी बढ़कर विद्यार्थियों की भी सहायता ली गई जिसमें सभी ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया।

शिक्षकों को भी मेला पूर्व उनकी भूमिका संबंधी सभी बातों को साझा किया गया।

मेले के दौरान

मेले के दौरान सभी विद्यार्थियों को उनके सामान्य परिस्थितियों में कक्षा-कक्ष से मेले के स्थान पर लाया गया जो विद्यालय का हाल था। सभी स्टॉल एक दिन पहले ही सुसज्जित कर लिए गए थे। सभी स्टॉल पर स्टॉल संख्या और उसकी थीम लिखी थी, जिससे विद्यार्थी उक्त स्टॉल की थीम को नाम से भी चिह्नित कर सकें। सभी विद्यार्थियों के स्वागत के लिए हेल्प डेस्क का संचालन कक्षा 8 के विद्यार्थी कर रहे थे और ऑब्ज़र्वेशन शीट व उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। साथ-ही-साथ उन्हें छद्म मुद्रा भी जो 100 रुपये थी, दे रहे थे ताकि वो इससे मेले में होने वाले विभिन्न गतिविधियों पर खर्च कर सकें। इसके बाद विद्यार्थी अपनी इच्छा से विभिन्न स्टॉलों पर जाकर मापन के विभिन्न थीम जिसमें भार, ऊँचाई, आयतन और धारिता थे, पर जाकर मानकीकृत और अमानकीकृत मापन से ऑब्ज़र्वेशन शीट पर अपने अनुभव लिखने लगे। विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए बड़े विद्यार्थी मास्क (विभिन कार्टून कैरक्टर) और खेल के स्टॉल, जिसमें गेंद से 8 गिलास गिराना, एक माचिस से 10 मोमबत्ती जलाना, बाल्टी में पड़ी चूड़ी में सिक्का डालना और साथ-साथ खाने-पीने का आनंद लेना आदि में कनिष्ठ विद्यार्थियों की मदद कर रहे थे। सभी मनोरंजन के स्टॉल भी थीम पर ही आधारित थे, जैसे— बॉल से गिलास गिराना प्रायिकता का प्रतीक था और छद्म रुपयों को इन स्टॉलों पर खर्च करने से जमा-घटा प्रायिकता आदि संप्रत्ययों से भी विद्यार्थी जूझ रहा था और आनंद ले रहे थे जो मेले का एक उद्देश्य भी था।

शिक्षकों का कार्य मेले के दौरान विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को देखना और नोट करना था। जिसमें कई शिक्षक उनके स्वयं से सीखने की प्रक्रिया को नोट भी कर रहे थे और बाद में उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। यह संपूर्ण प्रक्रिया दो घंटे चली। जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी भरपूर आनंद लिया।

मेले के उपरांत

मेले के उपरांत प्रत्येक विद्यार्थी की ऑब्ज़र्वेशन शीट का प्रश्न अनुसार विश्लेषण किया गया। विद्यार्थियों के अनुभवों को रिकॉर्ड किया गया कि कहाँ और कब उन्हें कठिनाई और मज़ा आया। क्या उनकी चुनौतियाँ रहीं और प्रतिक्रिया (रिस्पांस) और ऑब्ज़र्वेशन शीट के आधार पर आँकड़ों का विश्लेषण किया गया और उन्हें थीम में बाँट कर देखा गया। प्रत्येक थीम के अनुसार सामग्री विश्लषण (कंटेंट एनालिसिस) किया गया ताकि निष्कर्ष तक पहुँचा जा सके। शिक्षकों से उनके अनुभव साझा किए गए, सुधार के उपाय माँगे गए ताकि इसमें और सुधार किया जा सके।

विश्लेषण और अध्ययन के निष्कर्ष

उद्देश्य 1— गणित मेले का विद्यार्थियों के संप्रत्यय समझ पर प्रभाव का अध्ययन

विश्लेषण विधि (थीमैटिक एनालिसिस)— (ऑब्ज़र्वेशन शीट का विश्लेषण)

विश्लेषण

थीम 1— मेले में 50 विद्यार्थियों ने ऑब्ज़र्वेशन शीट भरी। जिसमें से 30 विद्यार्थियों की प्रविष्टियाँ (एंट्रीज़) देखकर यह पता चल रहा था कि वे जिस वस्तु का प्रयोग मापन में कर रहे थे, वह सही से लिखा हुआ था तथा उस वस्तु से मापने पर जो माप आयी वह भी सही थी। परंतु 10 विद्यार्थी अपने उत्तर को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए तथा 5 विद्यार्थियों ने तो ऑब्ज़र्वेशन शीट को अधूरा ही छोड़ दिया।

थीम 2— 35 विद्यार्थियों की शीट देखकर यह पता चला कि उन्हें गतिविधि (एक्टिविटी) ठीक से समझ आ गई है तथा वे उन गतिविधियों को करके उनके उत्तर भी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं परंतु 15 विद्यार्थियों ने गतिविधियों को ठीक से नहीं समझा क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन शीट्स में एंट्रीज़ को वह सही से नहीं रिकॉर्ड कर पाए।

क्रम संख्या	थीम्स	पूर्ण सहमत (प्रतिशत)	कुछ हद तक (प्रतिशत)	सक्षम नहीं (प्रतिशत)
1.	विद्यार्थी स्वयं को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर पा रहे थे।	60	30	10
2.	विद्यार्थी गतिविधि को सही से समझ पा रहे थे।	70	15	15
3.	विद्यार्थी सभी गतिविधि को कर पाए।	50	40	10
4.	विद्यार्थियों द्वारा सभी स्टॉल्स कवर किए गए।	50	25	25
5.	विद्यार्थी ठीक से अनुमान लगा पा रहे थे।	25	25	50
6.	विद्यार्थी दैनिक जीवन से संप्रत्यय को जोड़ पाए।	70	15	15

थीम 3— 25 विद्यार्थी सभी गतिविधियों को करने में सक्षम रहे। 20 विद्यार्थी कुछ गतिविधियाँ कर पाए। 5 विद्यार्थी गतिविधियों को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने 16 गतिविधियों में से 1 या 2 ही गतिविधि को पूरा किया।

थीम 4— सभी स्टॉल्स को पूरा कवर 25 विद्यार्थियों ने किया। 20 विद्यार्थी कुछ ही गतिविधियाँ कर पाए। 5 विद्यार्थियों ने सभी स्टॉल्स को कवर भी नहीं किया।

थीम 5— 25 प्रतिशत विद्यार्थी गतिविधियों को करने से पूर्व उसके माप का सही अनुमान लगा पा रहे थे। जबकि 25 प्रतिशत कुछ हद तक उत्तर के करीब आने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ 50 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तर का अनुमान लगाने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे।

थीम 6— 70 प्रतिशत विद्यार्थियों के उत्तर जो उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन शीट में रिकॉर्ड किए उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मेले के द्वारा निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया गया।

विवेचना (इंटरप्रिटेशन)

मेले के दौरान दी गई ऑब्ज़र्वेशन शीट्स के विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि अधिकतर विद्यार्थी बिना बोझ समझे 16 गतिविधियाँ कर सकते हैं जबकि कक्षा में 16 प्रश्न बहुत मुश्किल लगते हैं। यहाँ 50 प्रतिशत विद्यार्थी सभी गतिविधियों को करने में सफल रहे और कुछ विद्यार्थी इसे कर पाने में असफल रहे, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे— गतिविधि ठीक से समझ न आना, समय कम पड़ जाना, गतिविधि के उत्तर को रिकॉर्ड करने में परेशानी आदि। 70 प्रतिशत विद्यार्थी गतिविधि को ठीक से समझकर कर पा रहे थे। 60 प्रतिशत विद्यार्थी अपने उत्तर को ठीक से रिकॉर्ड भी कर पाए। जबकि मेले में गतिविधि को करने में 25 प्रतिशत विद्यार्थी ही उत्तर का अनुमान लगा पा रहे थे परंतु गतिविधि करने के बाद 60 प्रतिशत विद्यार्थी अपने उत्तर को ठीक से रिकॉर्ड कर पाए। यह देखा गया कि गणित मेला एक मूल्यांकन प्रविधि के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।

उद्देश्य 2— शिक्षकों का गणितीय मेले के प्रति परिप्रेक्ष्य का अध्ययन

विश्लेषण विधि— सामग्री विश्लेषण (कंटेंट एनालिसिस)

साक्षात्कार अनुसूची में 10 मदों (आइटम) का उत्तर 5 पॉइंट स्केल पर लिया गया।

विश्लेषण

मेले के बाद अध्यापकों का साक्षात्कार लिया गया जो कि मेले के दौरान उपस्थित थे। उनका मानना था कि गणित मेला एक कार्यक्रम (इवेंट) था विद्यार्थियों के लिए। वह इसमें ली गई थीम मापन से भी संतुष्ट थे। उनसे सैद्धांतिक रूप से पाँच बिंदुओं पर बात की गई।

1	धारणात्मक समझ	मद संख्या	1, 2, 3, 4, 9
2	गणितीय चिंतन	मद संख्या	5
3	रुचि	मद संख्या	6, 7
4.	मूल्यांकन सार्थकता	मद संख्या	8
5.	गतिविधियों को करने की साध्यता	मद संख्या	10

विश्लेषण तालिका

क्रम संख्या	मद	पूर्णत: सहमत प्रतिशत (शिक्षकों की संख्या)	सहमत प्रतिशत (शिक्षकों की संख्या)	असहमत प्रतिशत (शिक्षकों की संख्या)	पूर्णत: असहमत प्रतिशत (शिक्षकों की संख्या)	कह नहीं सकते प्रतिशत (शिक्षकों की संख्या)
1.	आपको क्या लगता है कि मेले के द्वारा विद्यार्थियों को ऊँचाई/लंबाई के संप्रत्यय को समझने में मदद मिलती है?	60(12)	20(9)	10(2)	-	10(2)
2.	क्या अब विद्यार्थी 1 सें.मी. और 1 मी. को समझकर इसकी माप का अनुमान लगा सकेंगे?	80(16)	10(2)	10(2)	-	-
3.	क्या अब विद्यार्थी अलग-अलग वस्तुओं के भार का अनुमान लगा पाएँगे?	30(6)	50(10)	10(2)	-	10(2)
4.	क्या अब विद्यार्थी मुद्रा से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे?	70(14)	20(4)	-	-	10(2)
5.	मेले में दी गई गतिविधियाँ करने के बाद क्या उनमें गणितीय चिंतन का विकास हुआ है?	20(4)	30(6)	10(2)	10(2)	30(6)
6.	क्या विद्यार्थी मेले में दी गई गतिविधियों को करने में रुचि ले रहे थे?	70(14)	30(6)	-	-	-
7.	इस तरह की गतिविधियों को करने से क्या आपको लगता है कि विद्यार्थी गणित को पसंद करने लगेंगे?	50(10)	30(6)	20(4)	-	-
8.	आपको क्या लगता है कि गणित मेला या अन्य कोई और प्रविधि जो पेन-पेपर टेस्ट के अलावा हो, मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक है?	10(2)	50(10)	20(4)	10(2)	10(2)
9.	क्या इन गतिविधियों से अवधारणात्मक ज्ञान (प्रोसीज़रल नॉलेज) के साथ-साथ (कॉन्सेप्चुअल नॉलेज) को भी चेक किया जा सकता है?	20(4)	30(6)	10(2)	10(2)	30(6)
10.	आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की गतिविधियाँ मूल्यांकन के लिए प्रयोग कर सकेंगे?	10(2)	20(4)	10(2)	20(4)	40(8)

मद 1

60 प्रतिशत शिक्षकों का मानना था कि मेले में ली गई उपविषय ऊँचाई/लंबाई विद्यार्थियों को इस संप्रत्यय को समझने में मदद करेगी। ज़्यादातर विद्यार्थी ऊँचाई/लंबाई से संबंधित गतिविधि को अपने शिक्षक की मदद से रुचि लेकर कर रहे थे। 10 प्रतिशत शिक्षक असहमति भी रखे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मात्र 4 या 5 गतिविधि करने से संप्रत्यय का निर्माण नहीं हो सकता। गणित अभ्यास करने से ही आ सकता है।

मद 2

80 प्रतिशत अध्यापकों का मानना था कि अब विद्यार्थी 1 सें.मी. और 1 मी. का अनुमान लगा पाएँगे। इन दोनों में से कौन-सा बड़ा है, आसानी से बता पाएँगे। 20 प्रतिशत शिक्षक असहमत थे, उन्हें लग रहा था कि किताब के प्रश्नों को हल करते समय वह फिर से संप्रत्यय को भूल जाएँगे। इस सीखे ज्ञान का वह स्थानांतरण नहीं कर पाएँगे।

मद 3

30 प्रतिशत शिक्षकों का मानना था कि अब विद्यार्थी अलग-अलग वस्तुओं के भार का अनुमान लगा सकते हैं और 50 प्रतिशत इस तथ्य से सहमत थे क्योंकि उन्होंने स्वयं विद्यार्थियों को भार को तौलते हुए स्वयं देखा था। 10 प्रतिशत अध्यापक कुछ भी नहीं कह पा रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि कक्षा में इन मुद्दों पर विद्यार्थी बात कर पाएँगे।

मद 4

मुद्रा से संबंधित प्रश्नों को लेकर अधिकतर सभी अध्यापक सहमत थे।

मद 5

गणितीय चिंतन पर 50 प्रतिशत अध्यापकों की सहमति थी क्योंकि बाकी अध्यापकों के अनुसार गणितीय चिंतन अभ्यास से विकसित होता है। जब विद्यार्थी पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करता है और उन पर सोचता है तो ही विद्यार्थी में गणितीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है।

मद 6

मेले में गतिविधि करने में सभी विद्यार्थी रुचि लेकर कार्य कर रहे थे। सभी अध्यापक इस पर सहमत थे। साथ-ही-साथ सभी शिक्षकों को ऐसा भी लग रहा था कि इस तरह कि गतिविधियाँ यदि गणित में कराई जाती रहें तो विद्यार्थी गणित विषय को पसंद करने लगेंगे।

मद 7

60 प्रतिशत अध्यापकों का मानना था कि पेन-पेपर टेस्ट में यदि इतने सारे प्रश्न एक साथ दिए जाते तो शायद विद्यार्थी इन्हें इतने समय में और रुचि से नहीं कर पाते। परंतु मेले में एक साथ बहुत सारी गतिविधियाँ उन्होंने रुचि के साथ की तो पेन-पेपर टेस्ट के अलावा और प्रविधियाँ भी प्रासंगिक हो जाती हैं। परंतु जब शिक्षकों से यह पूछा गया कि वह इससे संबंधित प्रविधियाँ प्रयोग करेंगे या नहीं तो अधिकतर शिक्षकों ने कहा कि इस तरह से उन्होंने इसे देखा ही नहीं और यह करने में आकलन प्रक्रिया की कोई गुंजाइश नहीं है व पाठ्यक्रम भी इस तरह से पूरा नहीं कराया जा सकेगा।

मद 8

50 प्रतिशत अध्यापक ही इस बात को मानने को तैयार थे कि प्रोसीज़रल के साथ साथ कॉसेप्चुअल नॉलेज

को भी जाँचा जा सकता है, यदि इस तरह से मूल्यांकन किया जाए तो यह उनके लिए हैरानी की बात थी।

शिक्षकों के साक्षात्कार का विश्लेषण

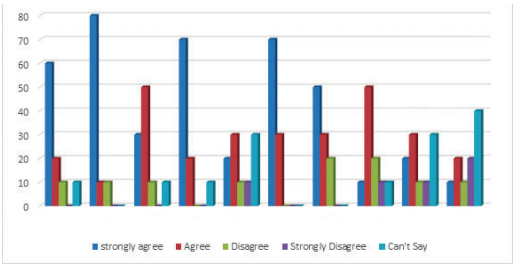

उद्देश्य 3— विद्यार्थियों का गणितीय मेले के प्रति परिप्रेक्ष्य का अध्ययन

विश्लेषण विधि — सामग्री विश्लेषण (कंटेंट एनालिसिस)

फ़ोकस्ड ग्रुप डिस्कशन—

मेले के उपरांत विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर बात की गई—

1. आपने मेले में क्या-क्या देखा?
2. मेला किस विषय पर आयोजित किया गया था?
3. आपको मेले में सबसे ज़्यादा किस स्टॉल पर मज़ा आया और क्यों?
4. आपको मेले में किस स्टॉल पर सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई?
5. ऑब्ज़र्वेशन शीट में कौन-सी एंट्री करना आपको अच्छा लगा?
6. ऑब्ज़र्वेशन शीट में कौन-सी एंट्री करने में आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई?
7. आपने लंबाई, वज़न, आयतन व मुद्रा के कौन-कौन से मानकीकृत और अमानकीकृत उपकरणों का प्रयोग किया? किन्हीं दो के नाम बताइए?
8. मेले में सुधार के दो उपाय सुझाइए?
9. आप इन चारों संप्रत्ययों को अपने आसपास कहाँ देखते हो? उनकी सूची बनाइए।

मेले के उपरांत विद्यार्थियों के साथ बातचीत के बाद यह पाया गया कि वे मेले की गतिविधियों से बहुत खुश और उत्साहित थे। अधिकतर विद्यार्थी लंबाई/ऊँचाई, आयतन, भार और मुद्रा पर बात करने में सहज महसूस कर रहे थे। उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा अपनी लंबाई तथा वज़न जानकर हुआ और वो उसे अपने दोस्त की लंबाई और वज़न के साथ भी तुलना कर रहे थे। मुद्रा के स्टॉल पर आयोजित खेलों का भी उन्होंने बहुत आनंद लिया। ऑब्ज़र्वेशन शीट में उन्हें लगभग सभी एंट्रीज़ को भरने में मज़ा आया। पर कुछ विद्यार्थी जो गतिविधियाँ करने के बाद उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वे थोड़े असहज थे। ऑब्ज़र्वेशन शीट भरने से संबंधित प्रश्न पर कुछ विद्यार्थियों को यह भी कहना था कि उन्हें निर्देश ठीक से समझ नहीं आए। तभी वे अपनी ऑब्ज़र्वेशन शीट को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मेले के उपरांत जब उनसे मानकीकृत और अमानकीकृत उपकरणों पर बात की तो वे आसानी से जवाब दे पा रहे थे। जब उनसे मेले में सुधार के उपायों पर बात की तो उनका मानना था कि मेले का समय और ज़्यादा होना चाहिए। उनको निर्देश स्पष्ट नहीं थे तथा उनको और गतिविधियों को करने की भी इच्छा हो रही थी। उनमें से अधिकतर बच्चे अपने आसपास के परिवेश से इन संप्रत्ययों को जोड़ पा रहे थे। जैसे कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जिस कमरे में रहते हो उसकी लंबाई बता सकते हो? तो अधिकतर

विद्यार्थी अलग-अलग इकाइयों (यूनिट्स) में उसका अनुमान लगा रहे थे।

विश्लेषण

बातचीत को जानने के बाद ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों ने इस मेले का आनंद तो लिया, गणित भी सीखा परंतु साथ-ही-साथ उनको कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। मेले में एक साथ 16 गतिविधियों को करने में उनको उबाऊ नहीं लगा परंतु यदि उन्हें 16 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते तो पता नहीं वे कितनी रुचि के साथ उनको करते। मेले को मूल्यांकन प्रविधि के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है और भी थीम्स मेले के लिए सोची जा सकती हैं जो गणितीय मेले को और प्रभावी ढंग से लागू करने में मददगार साबित हो सकती हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान में मूल्यांकन और अधिगम दोनों सामानांतर चल रहे हैं, परिणामस्वरूप विद्यार्थी निष्पादन बहुत ही खराब स्थिति में है, विशेषकर निम्न और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में संप्रत्यय निर्माण के नाम पर ज्ञान जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ऐसे में सरंचनावादी उपागम कक्षाओं में कहीं गुम-सा प्रतीत होता है। गणित मेला विद्यार्थी को कमरे की चारदीवारी से बाहर निकलकर सीखने-सिखाने के अवसर प्रदान कर रहा है। साथ-ही-साथ, यहाँ यह भी देखा गया कि आकलन और अधिगम साथ-साथ चल रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी को कुछ भी याद नहीं करना और न ही पर्चे पर कोई टेस्ट देना है। तो यह नि:संदेह मूल्यांकन के लिए एक कारगर प्रविधि साबित हो सकती है, गणितीय मेले की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि इसमें अधिगमकर्ता (लर्नर) ने निष्क्रिय न होकर सक्रिय अधिगमकर्ता की भूमिका निभाई है। गणितीय मेले द्वारा यह भी सिद्ध हुआ कि मूल्यांकन में नवाचार लाए बिना शिक्षण-अधिगम में बदलाव की उम्मीद बेमानी होगी। गणितीय मेले से विशुद्ध गणितीकरण और उससे संबंधित कौशल निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें हास-परिहास अथवा मनोरंजन के साथ संप्रत्यय से भटकाव नहीं होना चाहिए, सभी बाधाओं को साथ के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि भविष्य में उसको सुधारा जा सके। में यह लघु शोध कार्य सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए भी काफी ज्ञानवर्धक रहा।

सुझाव

अध्यापकों के लिए—

- गणित को कमरे की चारदीवारी से बाहर निकालकर विद्यार्थियों को सीखने-सिखाने के अवसर प्रदान करना चाहिए।
- गणित शिक्षण में मूल्यांकन के तरीकों में नवाचार लाने की ज़रूरत है। मूल्यांकन के लिए पेपर-पेन टेस्ट से अलग प्रविधियों को अपनाने की ज़रूरत है।
- गणित को ऐसा विषय बनाने की ज़रूरत है जिस पर विद्यार्थी आपस में बात कर सकें, चर्चा के द्वारा या गतिविधि के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकें।
- गणित को भयमुक्त बनाने के लिए गणित शिक्षण के अनौपचारिक तरीकों को भी शामिल करना होगा, जैसे कि गणित मेला, गणित सर्किल चर्चा तथा गणित गतिविधियों का आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए।

विद्यार्थी अवलोकन प्रपत्र

विद्यार्थी का नाम— कक्षा—

स्टॉल संख्या— 1 (लंबाई/ऊँचाई)

क्रम संख्या	मापी गई वस्तु का नाम	अनुमानित माप	मापने का उपकरण	उपकरण द्वारा माप	टिप्पणी
1.					
2.					
3.					
4.					

स्टॉल संख्या 2 (भार)

क्रम संख्या	तोली गई वस्तु का नाम	अनुमानित भार	मापने का उपकरण	उपकरण द्वारा भार	टिप्पणी
1.					
2.					
3.					
4.					

स्टॉल संख्या 3 (आयतन)

क्रम संख्या	बर्तन की धारिता	अनुमानित धारिता	मापने का उपकरण	उपकरण द्वारा धारिता	टिप्पणी
1.	1 बाल्टी की धारिता				
2.	½ बाल्टी की धारिता				
3.	1 बड़ी बोतल की धारिता				
4.	1 छोटी बोतल की धारिता				

स्टॉल संख्या 4 (मुद्रा)

1. प्राप्त राशि —
2. कितनी राशि खर्च हुई —
3. कितनी राशि बच गई —

संदर्भ

असर और नेस. 2018. 6 दिसंबर, 2021 को http://img.asercentre.org/docs/ASER%2018/Release%20material/aserreport2018.pdf से प्राप्त।

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनसुंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

3

पहली कक्षा में *रिमझिम* द्वारा हिंदी भाषा-शिक्षण

रमेश तिवारी*

हिंदी भाषा-शिक्षण के लिए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* और *भारतीय भाषाओं के शिक्षण विषयक* आधार पत्र में 'समग्र भाषा पद्धति' द्वारा शिक्षण पर ज़ोर डाला गया है। इसी आधार पर रा.शै.अ.प्र.प., दिल्ली द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में 1–5 तक हिंदी शिक्षण के लिए *रिमझिम* पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया गया है। *पढ़ना सिखाने की शुरुआत* शीर्षक पुस्तक और आलेख के अनुसार, "पहली कक्षा के शिक्षकों में यह मान्यता बैठी हुई है कि पढ़ना सिखाने की शुरुआत वर्ण-परिचय से होनी चाहिए। इस मान्यता के चलते वे पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक *रिमझिम* में शुरुआत से ही मात्रा वाले शब्द देखकर परेशान हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि जब बच्चा अक्षरों को ही नहीं पहचानता तो मात्रा वाले शब्दों से कैसे जूझेगा।" आगे इस लेख में स्पष्ट किया गया है कि पुस्तक *रिमझिम* को पढ़ाने की अपेक्षित विधि क्या है। यह निश्चित रूप से परंपरागत ध्वनि-वर्ण पद्धति नहीं है, बल्कि समग्र भाषा पद्धति है। इस संदर्भ में *रिमझिम* पाठ्यपुस्तक पर एक दृष्टिपात अपेक्षित है। इस आलेख में *रिमझिम–1* के कुछ पाठों के हवाले से शिक्षक समुदाय के लिए भाषा की कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षा, खेल-खेल में शिक्षा, समग्रतावादी दृष्टिकोण के साथ शिक्षा को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। शिक्षक अपनी आवश्यकतानुसार इनकी मदद से व अन्य नवाचारों द्वारा कक्षा-शिक्षण को और बेहतर एवं प्रभावी बनाने में समर्थ हों इस आशा से इस आलेख को लिखा गया है और आलेख में *रिमझिम 1* से कुछ चित्र अकादमिक दृष्टि से उपयोग किए गए हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भाषा-शिक्षण संबंधी जो सिफ़ारिशें की गई थीं और भारतीय भाषाओं संबंधी आधार पत्र में जिन्हें विस्तार से समझाया गया था, उन्हीं बिंदुओं और प्रविधियों को ध्यान में रखते हुए रा.शै.अ.प्र.प. दिल्ली द्वारा *रिमझिम* का निर्माण किया गया है और आज भी यह पुस्तक प्राथमिक शिक्षा के लिए आधार पुस्तक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कई राज्य सरकारों ने अपनी स्वतंत्र पुस्तकें भी निर्मित की हैं, किंतु उन्होंने भी *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* और भारतीय भाषाओं के आधार पत्र की सिफ़ारिशों का अनुपालन किया है। उल्लेखनीय है कि इस आलेख का संदर्भ *रिमझिम–1* तक ही सीमित है।

* *वरिष्ठ हिंदी संकाय संदस्य,* आई.टी.ई.आई., टेक महिंद्रा फ़ाउंडेशन, शक्ति नगर, दिल्ली 110007

पाठ्यपुस्तक का अवलोकन

पाठ्यपुस्तक *रिमझिम 1* के अंतर्गत कुल 23 पाठ हैं। पुस्तक के आरंभ में ही 'बड़ों से दो बातें' का प्रकाशन किया गया है। किताब को पढ़ने-पढ़ाने से पूर्व इस पर ध्यान दिया जाए तो बहुत-सी अनुत्तरित जिज्ञासाओं का जवाब मिल सकता है। इसके बाद यदि हम इस पुस्तक को गौर से देखें तो पाएँगे कि 'स्कूल का पहला दिन' शीर्षक से जो चित्र पुस्तक में उपलब्ध है, वह हमें कक्षा की आंतरिक साज-सज्जा के साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंत:संबंध को भी दर्शाता है। इस चित्र में पूरी कक्षा को व्यवस्थित रूप में दिखाया गया है। कक्षा के एक कोने में रीडिंग कार्नर की संकल्पना, अपनी मनपसंद किताबें देखती एक बच्ची, खिड़की से बाहर बोलते-बतियाते दो बच्चे, झूला झूलती एक बच्ची, कक्षा को बाहर से छुप-छुप कर झाँकता एक बच्चा, साथ ही श्यामपट्ट पर अंकित है— स्कूल का पहला दिन। कक्षा में विभिन्न रंग, फल, फूल पत्तियों को दर्शाते चित्र और एक लोकप्रिय बाल कविता, उसमें खुशी से उछलते बच्चे-बच्चियों समेत चित्रों व कलाकृतियों से समृद्ध, दरवाज़े के पास करीने से रखा कूड़ा पात्र (डस्टबिन), बाहर चाँपाकल पर पानी पीते-पिलाते बच्चे, पेड़ पर ऊपर की ओर कुछ देखते-दिखाते दो बच्चे, अपनी कुर्सी-मेज़ को छोड़कर बच्चों के मध्य में बच्चों के साथ ही नीचे दरी पर बैठीं अध्यापिका, उनके आसपास सहज भाव और प्रफुल्लित मुद्रा में बैठे बच्चे, एक दिव्यांग बच्चा (जिसकी बैसाखी वहीं बगल में रखी हुई है), पीछे की ओर दो बालक-बालिका परस्पर बातें करते हुए। कहा जाता है कि एक चित्र अथवा कार्टून सैकड़ों शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्रभावी होता है परंतु खेद का विषय है कि प्रायः अध्यापक-अध्यापिकाएँ किताब हाथ में लेते ही सीधे पाठों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं और किताब की भूमिका, 'बड़ों से दो बातें' शीर्षक से छपी सामग्री को अपने लिए गैर-ज़रूरी मानते हैं। वे यदि इन्हें ध्यान से देखें-पढ़ें तो पाठ को पढ़ाने संबंधी बहुत-सी समस्याओं का स्वतः निदान हो सकता है। अध्यापक पढ़ाना शुरू करने से पूर्व इन निर्देशों को अवश्य पढ़ें तभी हम इस पुस्तक की सामग्री को बच्चों को पढ़ाते समय अपनाई जानेवाली प्रविधियों की सही जानकारी प्राप्त कर उनका सही अनुप्रयोग कर सकेंगे।

पाठ-विश्लेषण

रिमझिम–1 के कुछ पाठों का अध्ययन-विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है। पहला पाठ है— झूला। यह एक कविता है। बच्चों की सबसे अधिक पसंदीदा विधा कविता है। गेयता, लय, तुक आदि के बल पर कविता का जो बाह्य सौंदर्य है, वह बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी बाँधने में कामयाब होता है। इसलिए झूला कविता में जिन शब्दों और भावों को समाहित किया गया है, वे बच्चों के मनोविज्ञान के अनुरूप हैं। इस कविता में माँ और बच्चे के बीच झूले के बहाने कुछ संवाद हैं और कुछ नए शब्दों से बच्चों को परिचित कराया गया है, जैसे— आसमान, डाली, पत्ता, मजा, दिल्ली, कलकत्ता, नीचे, धरती, उड़, चल, बरस, रहा, रिमझिम-रिमझिम, दल-बादल। रिमझिम-रिमझिम, पत्ता-पत्ता, उड़-चल, उड़-चल में शब्दों अथवा पदबंधों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न ध्वनि-सौंदर्य के आकर्षण को बच्चे अवश्य महसूस करेंगे और कविता के बहाने भाषा सीखने की ओर प्रवृत्त होंगे।

2. आम की कहानी

एक चित्रकथा।

18

दूसरा पाठ है— आम की कहानी, यह चित्रकथा है। प्रायः बच्चे कार्टून देखकर खुश होते हैं। यह पाठ बच्चों की इसी रुचि को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस प्रकार के पाठों से बच्चों में अनुमान लगाने की क्षमता का विकास होता है। हम सब जानते हैं कि भाषा-शिक्षण के शुरुआती दिनों में चित्रों का महत्व अक्षरों व शब्दों के मुकाबले अधिक होता है। बच्चे अक्षरों अथवा शब्दों को भले न पहचान सकें, किंतु वे चित्रों को बड़ी ही सहजता से पहचानते हैं और पूछने पर बता भी सकते हैं। इस संदर्भ में हम इस पाठ को एक अभ्यास अथवा उदाहरण के रूप में रख सकते हैं। इस चित्रकथा में जो चित्र दिए गए हैं, उनको बारी-बारी से दिखाते हुए यदि अध्यापिका बच्चों से उनके नाम पूछें तो बहुत से बच्चों को चित्र देखकर उनकी पहचान करने एवं नाम बताने में आसानी होगी। इस चित्र को दिखाकर आप बच्चों से यह पूछ सकती हैं कि चित्र में क्या दिख रहा है? कोई पक्षी, फल, लड़का-लड़की या कुछ और? ऐसे अन्य प्रश्न भी आप अपनी कक्षा और बच्चों की क्षमताओं के अनुरूप पूछ सकती हैं। बच्चे चित्र देखकर उत्तर देने को सहज ही तत्पर होंगे। इस पाठ के अन्य चित्र भी धीरे-धीरे दिखाकर हम पहले उन्हें चित्रों की पहचान करना सिखाकर, फिर इन चित्रों को जोड़ते हुए कहानी बनाने को भी कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बच्चे कक्षा में सुनना-देखना और बोलना शुरू करेंगे। हमें सदा यह याद रखने की ज़रूरत है कि सुनना-बोलना भाषा-शिक्षण के दो प्राथमिक कौशल हैं।

19

2019-2020

ऊपर दिए गए चित्र के मुकाबले इस एक चित्र में कुछ अधिक दृश्य दिखाए गए हैं। यह सरल से कठिन की यात्रा है, किंतु इस चित्र की विशेषता यह है कि इसका संबंध पहले वाले चित्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए

बच्चे इस चित्र को पहले वाले चित्र के विस्तार के रूप में ही देखेंगे। अधिक दृश्य बच्चों की समझ को बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। इस दृष्टि से इस पाठ के लगभग सभी चित्र बड़े ही उपयोगी हैं, और तो और इस पाठ के अभ्यास में भी बच्चों की सहूलियत के लिए दोनों सिरों पर संकेत रूप में चित्रों को दिया गया है जो बच्चों को कुछ न कुछ बोलने और लिखने को प्रोत्साहित करेगा, उन्हें खाली नहीं बैठने देगा। हमें ऐसे पाठों का पर्याप्त सदुपयोग करना चाहिए और इनका प्रयोग कर बच्चों को सुनना-बोलना-पढ़ना-लिखना सिखाने की ज़रूरत है।

प्राथमिक कक्षाओं में अभिनय शैली को बहुत प्रभावी माना जाता है। अतः हम शिक्षक-शिक्षिकाओं को इस शैली का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे बच्चे सहज ही अध्यापन से जुड़ जाते हैं और

धड़ाम से बैठ गई।
उधर दीदी ने गिनती पूरी
की और इधर हम सब गोला
बनाकर बैठ गए।

© NCERT not to be republished

एक बार यदि बच्चे आपके अध्यापन से जुड़ जाएँ तो आप जो भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, उसे वे बड़ी ही खुशी-खुशी सहजता से ग्रहण करने लगते हैं। हालाँकि, यह भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कविता हो या कहानी, वास्तव में अध्यापक का काम प्राथमिक तौर पर बच्चे के शब्द-भंडार को समृद्ध करना है। बच्चे जितना शब्द-भंडार की दृष्टि से समृद्ध होंगे, वे उस भाषा के एक अच्छे उपयोगकर्ता बन सकेंगे। इस पाठ को पढ़ाते हुए हम बच्चों को गणितीय अंक प्रणाली, रूप और आकार, रंग, फलों के साथ-साथ कुछ आंचलिक शब्दों आदि से भी परिचित करा सकते हैं।

चौथा पाठ है— पत्ते ही पत्ते। यह पाठ समग्रतावादी दृष्टिकोण (इंटिग्रेटेड अप्रोच) का एक बेहतरीन उदाहरण है। पेड़-पौधों, पत्तों, गोल, लंबे, खुरदुरे, छोटे, बड़े आदि शब्दों से सुसज्जित यह पाठ हमें भाषा के साथ-साथ पर्यावरण अध्ययन, गणितीय संख्याओं, रूप, आकार आदि अवधारणाओं से भी परिचित कराने के सुअवसर उपलब्ध कराता है। पाठ के आरंभ का एक अंश देखें—

"दीदी बोली —

मैं पाँच तक गिनूँगी।

गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ।

एक...दो...तीन...चार...।"

इस अंश को यदि कक्षा में व्यावहारिक रूप प्रदान करके प्रस्तुत किया जाए तो एक से पाँच तक की संख्याओं, गोला, बैठने-खड़े होने आदि का ज्ञान बच्चों को कराया जा सकता है। गोला, तिकोन, आयताकार, चौकोर आदि जितने भी शब्द हैं, सब

प्रायः गणित में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार अंकों का ज्ञान भी गणित के अंतर्गत दिया जाता है। इस पाठ में विभिन्न प्रकार के पत्तों के बारे में दिखाया-समझाया गया है। पेड़-पौधों और पत्तियों के बहाने रंगों, आकृतियों के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई है। इस प्रकार कई विषयों को अपने आप में समेटे यह पाठ बच्चों के समग्र विकास के लिए एक आदर्श स्थिति निर्मित करता है। ऐसे पाठों में प्रयुक्त चित्रों की सहायता से बच्चों को आसपास के वातावरण में उपलब्ध ऐसे रंग, आकार के पत्ते, फूल, कंकड़ आदि चुनने की गतिविधि करा सकते हैं। जब हम शिक्षक अपनी निगरानी में बच्चों से इस प्रकार की गतिविधि कराएँगे तो निश्चय ही उन्हें बाहर की दुनिया के ज्ञान से जोड़ने में मदद मिलेगी और करके सीखने के सिद्धांत को भी साकार किया जा सकेगा।

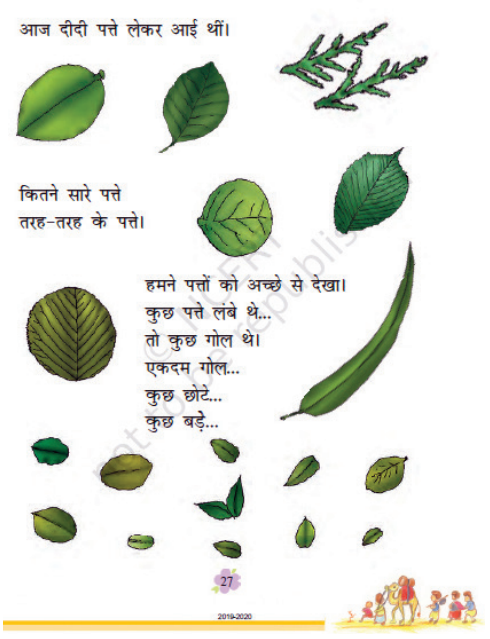

पाँचवाँ पाठ है— पकौड़ी, यह एक कविता है। पकौड़ी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो लगभग सभी लोग खाते हैं और यह भारत में शायद ही ऐसा कोई घर हो, जहाँ न बनती हो। यानी सब खाते हैं और सबके घरों में बनती है। बच्चों को भी पकौड़ी बहुत पसंद होती है। इसी बाल मनोविज्ञान के आधार पर इस कविता को पुस्तक में जगह दी गई होगी। इस कविता में देखा जाए तो शब्दों की पुनरावृत्ति और पंक्तियों की तुकबंदी है। बच्चों को कविता पढ़ने अथवा पढ़कर सुनाने में बहुत अच्छी लगेगी। पकौड़ी में मानवीय गुणों का आरोपण कर उसे और खूबसूरती प्रदान की गई है। अमानव में मानवीय गुण-दोषों का आरोपण ही मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। इससे काव्य-सौंदर्य में वृद्धि होती है। यहाँ भी छोटे बच्चों को अलंकार का ज्ञान कराना प्रयोजन नहीं है, बल्कि मात्र कविता की खूबसूरती को बढ़ाकर कविता को और अधिक संप्रेषणीय और ग्राह्य बनाना उद्देश्य है। दौड़ी-दौड़ी, छुन-छुन छुन-छुन में शब्दों की पुनरावृत्ति से शब्द और अर्थ दोनों की खूबसूरती बच्चों को अपनी ओर खींचने में समर्थ है। नाची, शरमाई, प्लेट, हाथ, उछली, मुँह, पहुँची, पेट, घबराई, आई, मेरे, मन, भाई (पसंद) आदि शब्दों में से अधिकांश बच्चों को पहले से ही ज्ञात होंगे। एकाध शब्द जिनके अर्थ ज्ञात न हों, उनका परिचय कराया जा सकता है। बच्चे भाई-बहन वाले भाई से तो परिचित होते हैं पर भाना यानी पसंद आना से प्रायः बच्चे इस अवस्था में परिचित नहीं होंगे। ऐसे अनेक शब्दों का बार-बार प्रयोग और उनके अर्थ बताकर अभ्यास द्वारा ज्ञान कराया जा सकता है।

ग्यारहवाँ पाठ है— पतंग। पतंग बच्चों को बहुत पसंद होती है। पतंग बनाने, उसे उड़ाने आदि के द्वारा

इस रोचक पाठ को बच्चों को पढ़ाना एक सुखद अनुभव देता है। यह पाठ भी कविता विधा में ही लिखा गया है। हवा की तेज़ रफ़्तार की तरह पतंग उड़ रही है। इस भाव को कविता में कुछ यूँ लिखा गया है— "सर-सर सर-सर उड़ी पतंग, फर-फर फर-फर उड़ी पतंग।" बच्चों को ऐसे पाठों को पढ़ना, पतंग बनाना, पतंग उड़ाना आदि बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए 'पतंग' पढ़ने की अपेक्षा खेलने का विषय अधिक है। इसीलिए बच्चों के इस मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हुए पतंग के सहारे बच्चों को भाषा-शिक्षण में प्रवृत्त करने की सफल कोशिश की गई है। यदि अध्यापिका इस बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से इस पाठ से बच्चों को जोड़कर बहुत अच्छे से उनके भीतर की सृजनात्मकता और खेल-खेल में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाकर भाषा-शिक्षण की मज़बूत बुनियाद रखी जा सकती है।

बारहवाँ पाठ है— गेंद और बल्ला। आज भारत के साथ-साथ दुनिया के कई देशों में सबसे ज़्यादा यही खेल खेला जाता है। बच्चे जो देखते हैं, वह जल्दी सीखते हैं। वे आज जिधर भी नज़र डालते हैं, चारों ओर क्रिकेट का खेल ही अधिक दिखाई देता है। बच्चे भी इस खेल से परिचित होने के कारण सहज ही जुड़ जाते हैं। गेंद-बल्ला के बहाने इस पाठ में मारपीट की प्रवृत्ति में सुधार का संदेश दिया गया है। पाठ का आरंभ संवाद से होता है, जिसे गेंद-बल्ले के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

"गेंद ने बल्ले से कहा— तुम मुझे मारते क्यों हो?"'

"बल्ला ने कहा, मारूँ नहीं तो खेल कैसे हो?"

इसके बाद जब बल्ला मारता है और गेंद छुप जाती है तो बल्ला उसे ढूँढ़ता है, किंतु गेंद नहीं मिलती। बल्ला निराश होकर जाने लगता है तो गेंद उसे पुकारती है और मिल जाती है। जब बल्ला खुशी-खुशी उसे लेकर जाने लगता है तो गेंद उसे दुबारा कहती है— "देखो, अब मुझे मारना मत।" इस छोटे से पाठ से बच्चों के मध्य मारपीट के प्रति उपेक्षा भाव उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। परस्पर संवाद का रूप भी दिखाया गया है, जिससे बच्चों को भी आपसी संवाद करने की प्रेरणा मिलेगी। आप भी बच्चों को इस संदेश से परिचित करा सकती हैं, जिनसे उनमें लड़ाई-झगड़े की भावना के स्थान पर मिल-जुल कर रहने और खेलने की भावना का विकास होगा।

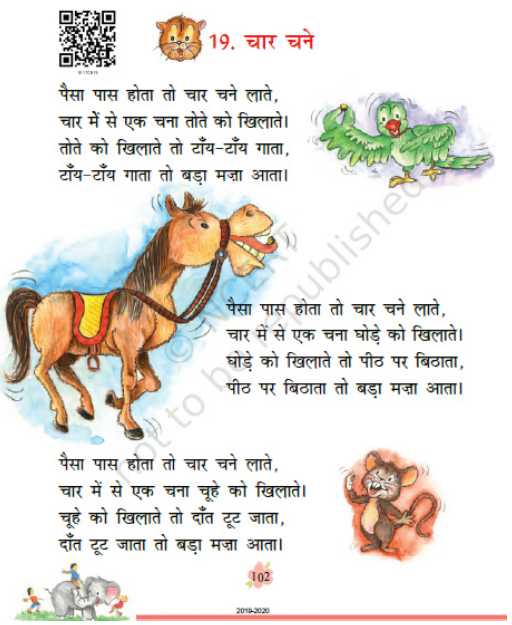
19. चार चने

पैसा पास होता तो चार चने लाते,
चार में से एक चना तोते को खिलाते।
तोते को खिलाते तो टाँय-टाँय गाता,
टाँय-टाँय गाता तो बड़ा मज़ा आता।

पैसा पास होता तो चार चने लाते,
चार में से एक चना घोड़े को खिलाते।
घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता,
पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता।

पैसा पास होता तो चार चने लाते,
चार में से एक चना चूहे को खिलाते।
चूहे को खिलाते तो दाँत टूट जाता,
दाँत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता।

102

2019-2020

उन्नीसवाँ पाठ है— चार चने। इसके सहारे बच्चों को सहजता के साथ संख्या ज्ञान कराया जा सकता है। साथ ही पशु-पक्षियों की आवाज़ों को भी पहचानने तथा याद करने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है।

पशु-पक्षियों की आवाज़ें सुनने, पहचानने, बोलने को हम भाषा-शिक्षण के कौशलों के ज्ञान से जोड़कर देख सकते हैं। ऐसी गतिविधियों से बच्चे निश्चय ही भाषा-शिक्षण में दक्षता हासिल कर पाएँगे। तोता, घोड़ा आदि पाठ में आए पक्षियों के अतिरिक्त अन्य पक्षियों के नाम पूछकर उनके अपने ज्ञान को भी और विस्तार दिया जा सकता है, जिससे वे एक से दूसरे को गुणों के आधार पर जोड़ना सीख सकें।

तेईसवाँ और आखिरी पाठ है— सात पूँछ का चूहा। इस पाठ का भी गतिविधि और संख्या ज्ञान आधारित अभ्यासों के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता है। जो शब्द कहानी में बार-बार आ रहे हैं, उन्हें प्रत्येक बच्चे को एक-एक शब्द बाँट कर कहानी-वाचन शुरू किया जा सकता है। मान लीजिए, छ शब्द आपको ऐसे मिले जो कहानी में बार-बार आ रहे हैं। अध्यापिका को करना यह है कि कहानी में आने वाले उन छ शब्दों को बारी-बारी से सब बच्चों को एक-एक बाँट दें। जब छ बच्चों को एक-एक शब्द देने के बाद अगले बच्चे को देना हो तो पुनः उन्हीं छ शब्दों को पहले वाले क्रम में ही एक-एक करके बाँट दीजिए। यही क्रम आखिरी बच्चे तक चलता रहेगा। सब बच्चों को केवल अपना शब्द याद रखने को कहें। अब इस निर्देश के साथ कहानी वाचन करें अथवा किसी एक विद्यार्थी से करवाएँ कि जब भी उन्हें आवंटित किया गया शब्द कहानी में पढ़ा जाएगा, वे उठकर खड़े हो जाएँ और फिर तुरंत बैठ जाएँ। यदि लगातार एक ही शब्द कहानी वाचन में दो बार आता है तो उस शब्द वाले बच्चों को भी दो बार उठाना-बैठना होगा। अब आप कहानी वाचन आरंभ करें और देखेंगे कि बच्चों को इस कहानी से एक खेल मिल गया है और आपके द्वारा दिए गए शब्दों की उन्हें पहचान हो गई है। इससे आप बच्चों के श्रवण कौशल का विकास, आकलन और शब्दों को पहचानने संबंधी योग्यता की परख कर सकते हैं। इसी अनुसार यह क्रम बदल कर बारी-बारी से कई बार हम इस खेल को करा सकते हैं। बच्चे इस प्रकार खेल-खेल में भाषा सीख जाएँगे।

हिंदी वर्णमाला एवं प्रासंगिक शिक्षण पद्धति

हिंदी वर्णमाला को *रिमझिम* के पृष्ठ संख्या 122 पर प्रकाशित किया गया है, जबकि किताब की कुल पृष्ठ संख्या 124 है। यह क्रम इस सोच का परिणाम है, जो ध्वनि-वर्ण पद्धति और समग्र भाषा पद्धति के बीच का बुनियादी फ़र्क है। ध्वनि-वर्ण पद्धति के द्वारा हम सब 'अ' से अनार और 'क' से कबूतर पढ़ते आए हैं। पर आज के समय में *रिमझिम* ने इस पद्धति को बदल दिया है। अब 'अ' से अनार और 'क' से कबूतर की जगह सीधे-सीधे बच्चों को अनार और कबूतर दिखाकर पढ़ाने की शुरुआत की जा रही है। बच्चे 'अ' और 'क' बेशक न पहचान सकें किंतु वे अनार और कबूतर को हिंदी के वर्णों के मुकाबले अधिक शीघ्रता और आसानी से पहचान लेते हैं। इस पद्धति को ही समग्र भाषा पद्धति के नाम से जाना जाता है। यदि हम इस पद्धति का अनुप्रयोग अपनी कक्षाओं में करें तो परंपरागत ध्वनि-वर्ण पद्धति के मुकाबले बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। हममें से अधिसंख्य लोग परंपरागत ध्वनि-वर्ण पद्धति के द्वारा शिक्षा अर्जित कर यहाँ तक पहुँचे हैं। यही कारण है कि समग्र भाषा पद्धति को लेकर अध्यापकों में अपेक्षित विश्वास अभी तक नहीं बन सका है। उम्मीद है, निकट भविष्य में समग्र भाषा पद्धति स्वयं को साबित कर सफलता हासिल कर सकेगी। इसके साथ-साथ यह भी

जोड़ना श्रेयस्कर है कि दोनों पद्धतियों में जिस पद्धति के अनुसार बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सके, उस संबंध में अंतिम निर्णय कक्षाध्यापक को ही लेना उचित रहेगा। दोनों पद्धतियों को विषयवस्तु की आवश्यकतानुसार मिला-जुला कर प्रयोग करने के उदाहरण भी आम हैं। इसे संतुलित दृष्टिकोण (बैलेंस अप्रोच) कहा जाता है। वास्तव में किसी अध्यापक की कक्षा की सफलता-दर ही उसके अध्यापन के मूल्यांकन का आखिरी पैमाना है। इसलिए उसे अपनी अध्यापन पद्धति के निर्णय का अधिकार भी दिया ही जाना चाहिए। वैसे भी दुनिया की कोई तकनीक कक्षा शिक्षण (क्लासरूम टीचिंग) और अध्यापक को सशक्त तो बना सकती है, उसका स्थान नहीं ले सकती। अतः अध्यापक के समक्ष विकल्प रखते हुए अध्यापन की विधियों का विषयानुरूप निर्णय लेने का अधिकार उसे दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

हम जानते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे लिपि की अपेक्षा चित्रों से जल्दी जुड़ जाते हैं। हम आम या अनार लिख कर बच्चों को पढ़ाएँ तो उनको अधिगम में परेशानी होती है, किंतु यदि उन्हें आम अथवा अनार के चित्र दिखाएँ तो वे बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। पूछने पर बोलने में भी बढ़-चढ़कर दिलचस्पी लेते हैं। इस पुस्तक के आरंभ में 'बड़ों से दो बातें' शीर्षक से कुछ उपयोगी जानकारी अध्यापकों और अभिभावकों के लिए दी गई है। इसके अंतर्गत चित्रों की भूमिका और बच्चों की भाषा को लेकर समझ को भी स्पष्ट किया गया है। "चित्र शब्द-भंडार की वृद्धि, कल्पना, तर्क, कौशल तथा अभिव्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में चित्रों की विशेष भूमिका होती है। चित्र बनाना बच्चों के लिए लिखने, सीखने और अर्थ समझने का एक शुरुआती दौर है। चित्रों से जुड़े सवालों के ज़रिए बच्चों में चीज़ों को बारीकी से देखने और उन पर विस्तृत प्रतिक्रिया देने की आदत विकसित होती है।" अतः इन स्थितियों में चित्रों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जैसे-जैसे बच्चे अगली कक्षा में जाते हैं, चित्रों की मात्रा कम एवं पाठ (टेक्स्ट) की मात्रा बढ़ती जाती है। धीरे-धीरे उच्चतर कक्षाओं में चित्रों का स्थान भी टेक्स्ट ले लेता है।

इस पाठ्यपुस्तक में कई ऐसे पाठ हैं, जो बच्चों की आयु, मानसिक-स्तर एवं रुचि के अनुसार बेहद प्रभावी हैं। कुछ पाठों को उदाहरण के तौर पर ऊपर विश्लेषित करने की कोशिश की गई है। हम इन पाठों में गतिविधि आधारित शिक्षा, खेल-खेल में शिक्षा, समग्रतावादी दृष्टि के साथ शिक्षा के विभिन्न अवसरों को कक्षा में निर्मित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रांतों की लोक शैली के चित्र भी (वरली शैली, मधुबनी पेंटिंग, पट्ट चित्र आदि) पुस्तक में दिए गए हैं, जो बच्चों के लिए उनकी स्थानीयता के साथ-साथ एक नई दुनिया से परिचय का रास्ता भी बनाते हैं। इनकी ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हुए स्थानीय लोककला शैली के कलाकारों को भी विद्यालय में आमंत्रित करके उनसे भी कुछ सीखने के अवसर उपलब्ध कराना बेहतर रहेगा।

संदर्भ

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. *पढ़ना सिखाने की शुरुआत*. पृष्ठ सं. 1, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. *रिमझिम–1*. पृ.सं. 2–3, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 10. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 18. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 25. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 25. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 42. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 76. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 76. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 80. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 80. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 81. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 102. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. पृ.सं. 115. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. बड़ों से दो बातें शीर्षक से

4

प्राथमिक स्तर के हिंदी सुलेखन में लेखन उपकरणों का तुलनात्मक प्रभाव

अश्विनी कुमार पाठक*

मानव सभ्यता में लिपियों एवं लेखन कला के विकास ने आगे बढ़कर ज्ञान को संरक्षित एवं संचित करने का दायित्व संभाला। जहाँ विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम भाषा है वहीं इसके संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम लिपि है। संस्कृतियों को भी संरक्षित रखने में लिपियों की प्रमुख भूमिका रही है। अपने प्रथम शिक्षक द्वारा पहली बार वृत्त बनाने का अभ्यास, सबके लिए अविस्मरणीय स्मृतियों में से एक है। अक्षर निर्माण के अभ्यास हेतु ही सर्वप्रथम एक उपकरण दिया जाता है जिसे पकड़ने का भी एक अभ्यास करवाया जाता है। इसके पश्चात् वह उपकरण एक साधन के रूप में आजीवन साथ जुड़ जाता है। लेखन कला पर लेखन उपकरणों का क्या प्रभाव पड़ता है? यह एक रोचक एवं जिज्ञासापूर्ण विषय है, जिसे प्रस्तुत अध्ययन में उजागर करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन एक लघु-शोध पर आधारित है, जिसमें हिंदी सुलेखन कार्य पर दो उपकरणों (बॉल-पेन एवं निब-पेन) के प्रभाव को देखने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन इस तर्काधार पर आधारित है कि प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा की नींव माना जाता है साथ ही यह भी सर्वविदित है कि प्राथमिक शिक्षा के दौरान ज़्यादा ध्यान आकृष्ट इस बात पर होना चाहिए कि शिक्षा 'कैसे' दी जाए, बजाय इसके कि शिक्षा 'क्या' दी जाए। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी है। अतः प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही कौशल के अधिकाधिक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। अत: इस स्तर पर ही विद्यार्थियों में सुलेखन कौशल का समुचित विकास एवं प्रोत्साहन, उनके लिए न केवल आजीवन उपयोगी होगा वरन् उनके शैक्षिक व्यक्तित्व को भी अलंकृत करने का कार्य करेगा।

शिक्षा के बहुआयामी कृत्य होते हैं, जो छात्रों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करते हैं और हम कह सकते हैं कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दायित्व बालक के व्यवहार में वांछित परिमार्जन करना है। आरंभ में बालक के सभी व्यवहार उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। बालक के व्यवहार में परिमार्जन करने हेतु भाषा एक अनिवार्य साधन है, क्योंकि भाषा बालक के क्रियात्मक, भावात्मक एवं ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। भाषा को सीखने के कई कौशल हैं, जिनमें श्रवण (सुनना), वाचन (बोलना), पठन (पढ़ना) एवं लेखन (लिखना) महत्वपूर्ण रूप से समाहित हैं।

* *शोध छात्र,* शिक्षा संकाय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

लेखन कला मानव समाज का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसने वर्तमान रूप में पहुँचते-पहुँचते सहस्त्रों वर्षों की यात्रा तय की है। सभ्यता के विकास के साथ मानव ने अपने भावों को चित्रित करने के स्थान पर ध्वनियों को चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से अंकित करना सीखा और इस प्रकार लिपि का आविष्कार हुआ। लेखन एक कला है, जो दो चरणों में विकसित होती है। पहला चरण भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करके शुद्ध, सुपाठ्य एवं सुंदर रूप में प्रस्तुत करने की कुशलता से संबंधित है तो दूसरे चरण में लिपि प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों, विचारों की सुस्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं प्रभावी अभिव्यक्ति की योग्यता सन्निहित है। वर्णमाला के ज्ञान के बाद विद्यार्थियों को लेखन अभ्यास करवाया जाता है। सामान्यत: यह अभ्यास तीन प्रकार का होता है— सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। यह लेखन का प्रथम आवश्यक गुण है। सुलेख लिखते समय वर्ण के विभिन्न अवयवों की बनावट, उनकी स्पष्टता तथा सुडौलता, वर्णों में स्वर मात्राओं का उचित योग, वर्ण से वर्ण और शब्द से शब्द के बीच की उचित दूरी, सीधी शिरोरेखा और बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

किसी भी क्षेत्र के कार्य को प्रभावशाली ढंग से संपादित करने एवं कार्य की गुणवत्ता के प्रति सकारात्मक प्रोन्नति हेतु उस क्षेत्र से संबंधित प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का अपना एक विशेष महत्व होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए छः घंटे दिए जाएँ तो उसमें से पहले के चार घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करने में लगाना चाहूँगा। कभी-कभी जब हम प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों के प्रति उदासीन रुख अपना लेते हैं तो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में कार्य की गुणवत्ता अवश्य प्रभावित होती है। यद्यपि इस विषय पर विचार करें अथवा न करें। लेखन उपकरणों का भी अपना विशेष महत्व है। उपकरण या औज़ार, उन युक्तियों को कहते हैं जो किसी कार्य को करने में सुविधा एवं सरलता प्रदान करते हैं। इस प्रकार लेखन उपकरण वह है जो कि हस्तलेखन हेतु शब्दाकृति का किसी भी सतह रूपी पत्र अथवा कागज़ पर चित्रांकन करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे पारिभाषित करें तो यह एक ऐसा माध्यम (या लेखन कार्य संपादन हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला ऐसा उपकरण) है जो कार्य (लेखन) एवं कार्य संपादक (लेखक) के बीच मध्यस्थता करता हुआ कार्य एवं उसकी गुणवत्ता को तो प्रभावित करता ही है। साथ ही समय, उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन की मात्रा आदि में भी हस्तक्षेप करता है। लेखन के लिए भी उक्त बातें उतनी ही सटीक हैं जितनी कि किसी अन्य क्षेत्र के लिए। जिस प्रकार हम भोजन का स्वाद सजी हुई थाली से ही अनुमानित कर लेते हैं। उसी प्रकार विषयवस्तु को भी स्पष्ट लेखनी अवश्य प्रभावित करती है। यदि अच्छी विषयवस्तु के साथ सुंदर, सुस्पष्ट एवं आकर्षक लेखनी भी हो तो यह कहने में संकोच नहीं होगा कि 'चार चाँद लग गए' हैं। सामान्य दिनचर्या में इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, किंतु इस तथ्य पर यदि प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही ध्यान दिया जाए तो उपकरणों के सही प्रयोग एवं उनके द्वारा लगातार अभ्यास अवश्यंभावी सार्थक प्रतिफल प्रदान करेंगे। यदि शुरुआती शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा-सा भी ध्यान सुलेखन कार्य पर भी दिया जाए तो विषयवस्तु के प्रदर्शन में भी कुछ सकारात्मक किया जा सकता है या

यूँ कहें कि उस विषयवस्तु को सुस्पष्ट, सुंदर सुलेखन द्वारा सज़ावटी ढंग से प्रस्तुत करने की कला विकसित की जा सकती है। इसकी ओर लगातार अनदेखी एवं मिलते आधुनिक विकल्प क्या हस्तलेखन कला की अभूतपूर्व क्षमता का उपहास नहीं कर रहे हैं? जिस तरह कैल्कुलेटर जैसा विकल्प गणना की अभूतपूर्व क्षमता को शनै:-शनै: पंगु बनाता चला जा रहा है, क्या उसी तरह प्राथमिक शिक्षा के दौरान सुलेखन के प्रति की गई अनेदखी हस्तलेखन कला की इस रचनात्मक योग्यता को भी पंगुता की ओर नहीं धकेल रही है?

गाँधी जी ने कहा था कि खराब लिखावट अपूर्ण शिक्षा के एक संकेत के रूप में मानी जानी चाहिए। गाँधी जी ने अपनी आत्मकथा (सत्य के प्रयोग) में कहा है कि 'मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है, यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था। पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्में और पढ़े-लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शरमाया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया पर पके घड़े पर कहीं गला जुड़ता है'?

यह भी सर्वमान्य है कि उचित समय पर एवं उचित निर्देशन के अभाव में किसी भी कार्य का वांछित निष्पादन हो पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। यह भी कहा जा सकता है कि सही समय पर सुधार के लिए किया गया थोड़ा-सा प्रयास ही निकट भविष्य के परिणामकारी प्रभाव का दृष्टिगोचर है।

शिक्षा के क्षेत्र, पद्धति एवं प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों में निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। लेखन का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। आज मशीनी उपकरणों की देन है कि हस्तलेखन से सभी बचना चाहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि आज सभी कार्यों को यांत्रिकीकरण के द्वारा अत्यंत ही सहज एवं गतिमान बना दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि मूल व्यवहार से हस्तलेखन जैसे महत्वपूर्ण कौशल का अवनयन हो अथवा वैकल्पिक माध्यम पाकर इस कौशल के विकास के प्रति उदासीन रुख अपनाया जाए।

उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए सुंदर एवं स्पष्ट लेखन की आवश्यकता आज के इस समय में तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि हस्तलेखन का प्रभाव कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में सभी पक्षों पर पड़ता है। इस प्रकार यदि विद्यालयी स्तर पर छात्र हस्तलेखन कौशल में अग्रणी होंगे तो वह भविष्य में हस्तलेखन के साथ-साथ मशीनी उपकरणों के साथ भी उचित सामंजस्य बनाने में भी कुशल रहेंगे। यदि विद्यार्थियों को उचित समय पर उचित प्रशिक्षण एवं निर्देशन दिया जाए तो उनके लेखन पर परिणामकारी प्रभाव तो पड़ेगा ही साथ ही उनके हस्तलेखन में आया यह परिवर्तन आजीवन उपयोगी रहेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है—

- कक्षा पाँचवीं के विद्यार्थियों के हिंदी सुलेख पर बॉल पेन के प्रभाव का अध्ययन करना।
- कक्षा पाँचवीं के विद्यार्थियों के हिंदी सुलेख पर फाउंटेन पेन (निब पेन) के प्रभाव का अध्ययन करना।

- कक्षा पाँचवीं के विद्यार्थियों के हिंदी सुलेख पर उपर्युक्त दोनों माध्यमों (बॉल पेन एवं फाउंटेन पेन) के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के पश्चात बहुत ही न्यून मात्रा में संबंधित साहित्य प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर यह कह पाना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था कि लेखन माध्यमों का प्रभाव सुलेख पर पड़ता है अथवा नहीं। अतएव अनुसंधानकर्ता ने पक्षपात से बचने के लिए शून्य परिकल्पना का निर्माण करना याथोचित समझा। अतः प्रस्तुत अध्ययन शून्य परिकल्पना के आधार पर किया गया है।

हिंदी सुलेख पर उपर्युक्त दोनों माध्यमों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

परिसीमन

- प्रस्तुत अध्ययन हेतु केवल लखनऊ शहर के अशासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों को ही लिया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन हेतु कक्षा पाँचवीं के वे ही विद्यार्थी लिए गए हैं जिन्होंने अब तक (पूर्व) की कक्षाओं में आधिकारिक रूप से केवल पेंसिल का ही लेखन उपकरण के रूप में प्रयोग किया है।
- प्रस्तुत अध्ययन में लेखन के केवल दो ही माध्यमों अथवा उपकरणों (बॉल पेन एवं फाउंटेन-पेन) को प्रयुक्त किया गया है।

संबंधित साहित्य सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष का प्रस्तुत अध्ययन में निहितार्थ

अध्ययनकर्ता ने संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया कि जहाँ प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत मूलभूत कौशल के विकास पर अति न्यून कार्य हुए हैं वही लेखन कौशल के क्षेत्र में कदाचित कुछ एक कार्य ही हुए हैं। इसके अलावा लेखन कौशल जहाँ आधारभूत कौशल में से एक है वहीं यह स्वयं में इतना सीमित भी नहीं हैं। लेखन कौशल को लक्ष्य रूप में देखा जाए तो यह स्वयं में विस्तृत भी है और इस पर अनेकानेक कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। अध्ययनकर्ता ने अनेकानेक कारकों में से एक महत्वपूर्ण एवं लगातार अनदेखा किए जाने वाले कारक को अध्ययन हेतु उपयुक्त समझा और इस क्षेत्र में हुए अध्ययन को ध्यान में रखते हुए सर्वसमक्ष रखने का प्रयास किया।

शोध विधि

सामान्य लक्षणों के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन न तो ऐतिहासिक है तथा नियंत्रण एवं चरों में हेर-फेर जैसी स्थिति न होने के कारण प्रयोगात्मक भी नहीं है। अतएव अनुसंधान समस्या के निराकरण एवं सामान्य लक्षणों के अनुसार हिंदी सुलेख पर लेखन माध्यमों के प्रभाव की वास्तविक स्थिति के अवलोकन हेतु प्रस्तुत अध्ययन विवरणात्मक प्रकार से किया गया है तथा इसके अंतर्गत सर्वेक्षण विधि अनुप्रयोग में लाई गई है। अध्ययन हेतु अभिकल्प के रूप में उक्त विधि के प्रयोग का तर्काधार यह है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्दिष्ट समस्या का स्वरूप, उपकरणों के पड़ने वाले प्रभाव का वास्तविक अवलोकन करना तथा वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित तथ्यों का शीघ्रता एवं शुद्धतापूर्वक आकलन करना मुख्य मुद्दा है। अनुसंधानकर्ता को विद्यमान स्थिति के आधार पर परिशुद्ध सूचना प्राप्त करते हुए खोजे हुए तथ्यों से वैध ऐसे सामान्य निष्कर्ष निकालने हैं, जिनका सामान्यीकरण किया जा सके। अनुसंधानकर्ता ने किसी प्रकार का कोई भी पूर्व या पश्च उपचार का

प्रावधान नहीं रखा है। अतः दिए गए तर्काधार अध्ययन अभिकल्प के रूप में विवरणात्मक अध्ययन के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि की अनुशंसा करते हैं।

सोपान अथवा चरण

अनुसंधानकर्ता ने अपनी अध्ययन समस्या को ध्यान में रखते हुए अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व ही एक संभावित रणनीति बनाते हुए उसे छः सोपानों अथवा चरणों में विभाजित कर लिया, जो निम्न प्रकार से हैं—

सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता ने प्रारंभिक नियोजन के अंतर्गत अध्ययन के उद्देश्यों का निरूपण, अध्ययन विस्तार क्षेत्र का आकलन आदि के अनुरूप एक यादृच्छिक समय-सारणी का निर्धारण किया।

द्वितीय चरण में अनुसंधानकर्ता ने समस्या से संबंधित वास्तविक स्थिति का जायज़ा लेने हेतु अनेक विद्यालयों में परिभ्रमण किया तथा अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित तथ्यों को समझने का प्रयास किया। इसमें लेखन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले लेखन माध्यम, कक्षावार उनके प्रयोग के नियम, उनकी उपयोगिता एवं प्रभाविकता के विषय में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रशासन के मतों एवं दृष्टिकोणों का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

तृतीय चरण में अनुसंधानकर्ता ने उपरोक्त स्थिति एवं समस्या को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या एवं प्रतिदर्श चयन की उपयुक्त प्रविधि का चुनाव किया। अनुसंधानकर्ता को यह अवलोकन करना था कि हस्तलेखन कला पर लेखन माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है, जिस हेतु परस्पर दो माध्यमों (फाउंटेन एवं बॉल पेन) की ही प्रभाविकता का अध्ययन करना था, अतः प्रतिदर्श चयन हेतु यह एक आवश्यक पद बन गया कि प्रतिदर्श में लिए जाने वाले विद्यार्थियों ने इन दोनों माध्यमों का पूर्व प्रयोग, प्रशिक्षण एवं उपचार प्राप्त न किया हो, अन्यथा अध्ययन के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। अतः ऐसे विद्यालयों एवं विद्यार्थियों का चुनाव किया गया जहाँ आधिकारिक रूप से इसके पूर्व किसी तीसरे विकल्प (पेंसिल) से लेखन कार्य करवाया जाता रहा हो। इस प्रकार अध्ययनकर्ता ने असंभाव्यता प्रतिदर्शन विधि के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श चयन विधि को अध्ययन हेतु उपयुक्त एवं अनुरूप पाते हुए चुना।

चतुर्थ चरण में अध्ययनकर्ता द्वारा दत्त संकलन की रणनीति बनाई गई और उसी अनुरूप दत्त संकलन का कार्य संपन्न किया गया। दत्त संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता ने विद्यार्थियों से एक-एक पृष्ठ का सुलेखन कार्य दोनों लेखन उपकरणों द्वारा बारी-बारी से करवाया। सुलेखन कार्य हेतु अनुसंधानकर्ता ने एक पूर्व निर्मित (निष्पक्ष) विषयवस्तु तय कर रखी थी। विद्यालय क्रम में परिवर्तन के साथ लेखन उपकरणों के क्रम को भी परिवर्तित कर दिया जाता था।

पंचम चरण में अनुसंधानकर्ता ने संकलित दत्त (सुलेखन कार्य) का चार विशेषज्ञों से पृथक-पृथक जाँच करवाई, जिसमें विशेषज्ञों को अपने अभिमत अंकों के आधार पर देने थे। इसके लिए अधिकतम दस अंकों का पूर्णांक एवं सुलेखन कार्य के मूल्यांकन का मानदंड आधार पूर्व निर्धारित था। मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त मानदंड का निर्माण अनुसंधानकर्ता ने पूर्व में ही साहित्य अवलोकन की सहायता तथा विशेषज्ञों की प्रतिपुष्टि के आधार पर कर लिया था। मूल्यांकन कार्य के पूर्व ही निर्धारित मानदंड अवलोकनार्थ विशेषज्ञों को दे दिए जाते थे। अनुसंधानकर्ता ने विशेषज्ञों के क्रम परिवर्तन के साथ प्रत्येक बार दत्त (विद्यालयवार) का

क्रम भी परिवर्तित कर दिया, ताकि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अभिमतों पर क्रम के आधार पर कोई आंतरिक प्रभाव ना पड़े। अंत में विशेषज्ञों के व्यक्तिगत मत भी लिए गए।

षष्टम चरण में अनुसंधानकर्ता ने प्राप्त आँकड़ों का सामान्य सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण, परिणाम, निष्कर्ष एवं सुझाव आदि कार्य संपन्न किए।

अध्ययन का न्यादर्श एवं न्यादर्श चयन की विधि

प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के रूप में अनुसंधानकर्ता द्वारा लखनऊ शहर के विद्यार्थियों को ही लिया गया। न्यादर्श हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा चार अशासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों के कक्षा पाँचवी के 100 विद्यार्थियों को चयनित किया गया तथा प्रत्येक विद्यालय से क्रमवार 25 विद्यार्थियों को लिया गया है। वस्तुतः शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा लेखन माध्यमों (हस्त लेखन उपकरणों) के प्रयोग में बहुत अंतर व्याप्त है, यथा कई शासकीय विद्यालयों में अध्ययनकर्ता ने अवलोकन करते हुए यह पाया कि लेखन माध्यमों के प्रयोग हेतु कक्षावार कोई निश्चित नियमावली संज्ञान में नहीं है तथा विद्यार्थियों द्वारा लेखन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले माध्यमों (उपकरणों) के प्रकारों हेतु भी कक्षावार कोई मानदंड भी नहीं निर्धारित है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में ऐसे विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया जहाँ पाँचवीं से पूर्व की कक्षाओं में आधिकारिक रूप से लेखन हेतु केवल पेंसिल का ही प्रयोग करवाया जाता रहा हो। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श चयन के आधार हेतु असंभव्यता प्रतिदर्शन विधि के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनकर्ता ऐसी पूर्व मान्यता को लेकर चल रहा है कि सुलेखन कार्य में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। अतः न्यादर्श चयन में लिंग के आधार पर वर्गीकरण तथा आगे परिणाम एवं व्याख्या का कोई प्रावधान नहीं है।

अध्ययन के उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का निर्मित अथवा अनिर्मित उपकरण प्रयोग में नहीं लाया गया है, जबकि विद्यार्थियों से सुलेखन कार्य करवाने के लिए एक पृष्ठ की पूर्व निर्धारित (निष्पक्ष) विषयवस्तु प्रयोग में लाई गई है।

दत्त विश्लेषण विधि

न्यादर्श के रूप में लिए गए विद्यार्थियों द्वारा क्रमशः दो लेखन माध्यमों (उपकरणों) से एक-एक पृष्ठ (एक पृष्ठ फाउंटेन पेन से तथा एक पृष्ठ बॉल पेन से) सुलेखन कार्य पूर्व निर्मित विषयवस्तु देते हुए दो सत्रों में (विराम देते हुए) करवाया गया तथा इससे प्राप्त दत्त (सुलेखन कार्य) का चार विशेषज्ञों से पूर्व निर्मित मानदंड एवं अंक-मापनी के आधार पर अंक प्रदान करते हुए मूल्यांकन करवाया गया, जो निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है—

- सुलेखन प्रपत्रों के मूल्यांकन हेतु एक पूर्व निर्मित मानदंड आधार के रूप में विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग की गई है।
- विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन के प्रतिफल के रूप में अंक प्रदान किए गए हैं जिसकी न्यूनतम सीमा एक अंक तथा अधिकतम सीमा दस अंक है।
- विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के दोनों सुलेखन कार्यों (एक पृष्ठ फाउंटेन पेन तथा एक पृष्ठ

बॉलपेन) का सूक्ष्म निरीक्षण, मानदंड के आधार पर करते हुए प्रत्येक कार्य पर दस अंकों के पूर्णांक को मानक मानते हुए एक उपयुक्त अंक प्रदान किया गया है।

- प्राप्तांको के आधार पर प्राप्त आँकड़ों को सारणीबद्ध करते हुए, सामान्य सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए विश्लेषण किया गया है।

विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कार्य करवाने से पूर्व निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा गया है—

- चारों विद्यालयों के सुलेखन कार्यों को अलग-अलग रखते हुए भी सभी विशेषज्ञों को एक क्रम में नहीं दिया गया, जबकि बार-बार क्रम परिवर्तित कर दिया गया ताकि विशेषज्ञों के अभिमतों पर क्रम के आधार पर कोई आंतरिक प्रभाव न पड़ने पाए।
- इसी प्रकार दोनों सुलेख प्रपत्रों के क्रमों को भी बारी-बारी से परिवर्तित करते हुए विशेषज्ञों के पास मूल्यांकन हेतु दिया गया।
- मूल्यांकन के पश्चात विशेषज्ञों के व्यक्तिगत मत भी लिए गए।

अध्ययन में प्रयुक्त 'हिंदी सुलेख' के विशेष लक्षण एवं मूल्यांकन हेतु आधार

अध्ययन हेतु हिंदी सुलेख कार्य में अक्षरों का स्वरूप 'देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन, लखनऊ' (28 व 29 नवंबर, 1953) के अनुरूप होगा, जो वर्तमान संदर्भ में सर्वथा प्रयोग में लाया भी जा रहा है। लिपि संरचना के इस मानदंड के निर्धारण हेतु भोलानाथ तिवारी (2001) द्वारा लिखित *हिंदी भाषा की लिपि संरचना* नामक पुस्तक प्रयोग में लाई गई है।

इसके अतिरिक्त सुलेख कार्य के मूल्यांकन हेतु जिस मानदंड का प्रयोग अध्ययन में किया गया है। उनमें से कुछ इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं जिसका विवरण एवं मानक निम्नवत है—

- अक्षरों की बनावट उनके मूल स्वरूप के अनुरूप हो।
- अक्षर सुगठित हों एवं समान आकार के हों।
- अक्षरों एवं शब्दों के मध्य समान एवं यथोचित दूरी हो।
- अक्षर विन्यास शुद्ध हो तथा संयुक्ताक्षरों का प्रयोग यथोचित रूप से किया गया हो।
- लिखावट सुस्पष्ट एवं धाराप्रवाह पढ़ने में सुपाठ्य हो अतएव लेखन में तारतम्यता हो।
- अक्षरों के झुकाव में एकरूपता भली प्रकार से दृष्टिगोचर हो।
- लेखन कौशल में मौलिकता दृष्टिगोचर हो तथा अनावश्यक रूप से थोपी हुई नहीं लगनी चाहिए।
- लिपि सौंदर्य, मूल लिपि के अनुरूप दृष्टिगोचर हो।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध में शून्य परिकल्पना का निर्माण वांछनीय परिस्थितियों के अनुरूप किया गया है। अतः यहाँ परिकल्पना के परीक्षण हेतु सांख्यिकी विधियों का प्रयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि शून्य परिकल्पना वास्तव में एक सांख्यिकी परिकल्पना होती है, साथ ही शोध में एकत्रित किए गए संख्यात्मक तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी प्रयोग आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सांख्यिकी, जैसे— मध्यमान, मानक विचलन आदि का प्रयोग किया गया है तथा तर्कयुक्त विश्लेषण हेतु टी-परीक्षण

एवं क्रांतिक अनुपात को भी प्रयोग में लाया गया है। इस प्रकार सार्थकता के परीक्षणों हेतु मुक्तांशों (df) की भी आवश्यकतानुरूप गणना की गई, जिसमें दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के लिए प्रयुक्त टी-अनुपात के लिए *df* का मान $(n_1 + n_2 - 2)$ नियमानुसार प्रयोग में लाए गए हैं।

दत्त संकलन की प्रक्रिया

प्रस्तुत अध्ययन में चार विद्यालयों से कुल 100 (25 विद्यार्थी प्रति विद्यालय) विद्यार्थियों से दो सत्रों में दो अलग-अलग लेखन माध्यमों (फाउंटेन पेन तथा बॉल पेन) द्वारा एक-एक पृष्ठ (दोनों माध्यमों से अलग-अलग) सुलेखन कार्य करवाया गया। इसके पश्चात दत्त संकलित कर चार विशेषज्ञों से पूर्व निर्मित मानदंड के आधार पर मूल्यांकन (अधिकतम दस अंकों की अंक मापनी के आधार पर) कार्य करवाया गया। इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों को विश्लेषण हेतु सारणीबद्ध एवं योगीकृत किया गया। अतः पहले विद्यालयवार सारणी एवं उनके योग व परिणाम तत्पश्चात एक समग्र सारणी के माध्यम से आँकड़ों को प्रस्तुत किया गया है, परिणामों की व्याख्या भी सारणी के बाद क्रमशः प्रस्तुत की गई है। पुनः एक द्वितीय विधि के द्वारा सभी चार विशेषज्ञों के मतों का एक औसत पाँचवा मत निकाला गया, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी हेतु चारों विशेषज्ञों का औसत मत है, इसे सारणीबद्ध करके चारों विद्यालयों के अलग-अलग मूल्यांकित अंकों का योग करते हुए प्रत्येक विद्यालय हेतु दोनों (उपकरणों के सुलेखन कार्य से प्राप्त आँकड़ों) का मध्यमान (औसत मध्यमान) ज्ञात किया गया। चारों विद्यालयों के मध्यमानों (दो-दो उपकरण कार्यों) के आधार पर परिणाम एवं उसके पश्चात चारों विद्यालयों के मध्यमानों के अंतर में सार्थक भिन्नता ज्ञात करने के लिए अलग-अलग सांख्यिकी टी-परीक्षण प्रयोग द्वारा और चारों विद्यालयों से प्राप्त मध्यमानों (दो-दो मध्यमानों) को (चारों फाउंटेन पेन पर प्राप्त एवं बॉल पेन पर प्राप्त प्राप्तांको के मध्यमान को) योगीकृत कर उनके औसत मध्यमानों (दोनों मुख्य मध्यमानों) के मध्य व्याप्त अंतर में सार्थक भिन्नता ज्ञात करने हेतु सांख्यिकी (क्रांतिक अनुपात) का प्रयोग किया गया है।

दत्त विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष

आँकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण एवं परिणामों की व्याख्या के फलस्वरूप जो निष्कर्ष समक्ष प्राप्त हुए, उनके अनुसार—

उद्देश्यवार निष्कर्ष

1. हिंदी सुलेखन की गुणवत्ता पर बॉल पेन का कम प्रभाव पड़ता है।
2. हिंदी सुलेखन की गुणवत्ता पर निब पेन का अधिक प्रभाव पड़ता है।
3. हिंदी सुलेखन कार्य हेतु निब पेन बॉल पेन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है।

अतः प्राथमिक शिक्षा के दौरान सुलेखन कार्य हेतु निब पेन का प्रयोग एवं अभ्यास प्रभावकारी परिणाम का दृष्टिगोचर है। दोनों लेखन माध्यम की उपलब्धता में विद्यार्थियों द्वारा सुलेखन कार्य हेतु निब पेन को प्राथमिकता देना यथोचित है क्योंकि यदि एक प्रयास के परिणामस्वरूप दोनों माध्यमों के कार्य निष्पादन में सार्थक अंतर प्राप्त हो रहा है तो निरंतर प्रयास अवश्य ही प्रभावशाली परिणाम का द्योतक होगा। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सुलेखन कार्य हेतु निब पेन, बॉल पेन की तुलना में अधिक उपयुक्त एवं प्रभावी है।

समग्र रूप से चारों विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा दोनों माध्यमों से किए गए सुलेखन कार्यों के मध्य प्राप्त अंतर दोनों स्तरों (0.05 एवं 0.01) पर सार्थक है। अतः सभी विद्यालयों का समग्र निष्कर्ष निब पेन को बॉल पेन की अपेक्षा हिंदी सुलेखन हेतु गुणात्मक रूप से अधिक प्रभावशाली मानता है।

अध्ययन पर आधारित सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों, उनके विश्लेषण एवं निष्कर्षों के आधार पर कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं।

विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं प्रशासन हेतु सुझाव—

- सुलेखन कार्य हेतु निब पेन को पुनः परंपरा में लाने का प्रयास करते हुए हस्तलेखन कौशल को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
- पूर्व-माध्यमिक शिक्षा में भी सुलेखन कार्य को स्थान देते हुए विद्यार्थियों में सुलेखन के प्रति रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित की जा सकती है।
- लिपि के मूल सौंदर्य की रक्षा हेतु विद्यार्थियों के सुलेखन की प्रारंभिक अवस्था में निब पेन का प्रयोग करवाया जा सकता है।
- अभिभावकों को प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चों द्वारा बॉल पेन के प्रयोग की अपेक्षा निब पेन के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए और बॉल पेन को यथासंभव नहीं प्रयोग करने देना चाहिए।
- विद्यालय प्रशासन को समय-समय पर निब पेन द्वारा सुलेख की प्रतियोगिता करवानी चाहिए।
- विद्यालय प्रशासन को प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के सुलेखन कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले माध्यमों (उपकरणों) के प्रयोग का मानदंड निर्धारित करना चाहिए।

अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध प्राथमिक शिक्षा के दौरान सुलेखन से संबंधित है जिसमें हिंदी सुलेखन पर लेखन माध्यमों (उपकरणों) के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। यदि अध्ययन उद्देश्यों के निहितार्थ पर ध्यान दिया जाए तो इस अध्ययन ने सुलेखन कार्य को प्रभावशाली बनाने में कतिपय कारणों में से एक प्रमुख (उपकरण महत्व) की भूमिका निवर्हन एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

वास्तव में यदि देखा जाए तो सुलेखन का शिक्षा के सैद्धांतिक पक्षों तथा शैक्षिक प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र अभिलेख से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष महत्व नहीं है। किंतु शिक्षा के क्षेत्र में जब हम व्यावहारिक कौशल के विकास की बात करते हैं तो सुलेखन, महत्वपूर्ण कौशल में से एक स्वतः हमारे समक्ष आ जाता है। साथ ही निबंधात्मक परीक्षण में भाषा तथा सुलेख का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इस प्रकार यह अनेक स्तरों एवं संदर्भों में विद्यार्थी हेतु लाभकारी है। यह एक ऐसा कौशल है जिस पर यदि एक बार प्राथमिक शिक्षा के दौरान ध्यान दे दिया जाए तो आजीवन इसका लाभ किसी न किसी रूप में मिलना अवश्य संभव है। सही अर्थों में प्राथमिक शिक्षा स्वयं में, शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी है तथा इसी काल में बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना भी आवश्यक होता है। अनेकानेक कौशल को विकसित करने के साथ यदि इस कौशल को प्रभावशाली ढंग से विकसित करने का ध्यान प्राथमिक शिक्षा के दौरान दे दिया जाए तो प्रत्येक विद्यार्थी

के शैक्षिक व्यक्तित्व में जहाँ चार चाँद लग जाएँगे, वहीं उसके द्वारा लिखी गई विषयवस्तु में लिपि के मूल-सौंदर्य की आत्मा जीवित रहेगी।

इस प्रकार लगातार अनदेखी का शिकार यह क्षेत्र विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं प्रशासकों द्वारा ध्यान देने योग्य एक सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण बिंदु है। हस्तलेखन कौशल जहाँ भाषा के मूल आधार स्तंभों में से एक है वहीं शिक्षा, भाषा के अभाव में संभव ही नहीं है। इस प्रकार लेखन कौशल शिक्षा का एक अभिन्न अंग है।

संदर्भ

कुलश्रेष्ठ, एस.पी. 2009. *शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार*. अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा.

गांधी, मो.के., अनुवादक– काशीनाथ त्रिवेदी. 1957. *सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा*. पृ.सं. 13. नवजीवन प्रकाशन मंदिर. अहमदाबाद.

गुप्ता, एस.पी. 2009. *भारतीय शिक्षा का इतिहास— विकास एवं समस्याएँ*. शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

तिवारी, उदय नारायण. 2003. *हिंदी भाषा का उद्‌गम और विकास*. लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद.

तिवारी, भोलानाथ. 2001. *हिंदी भाषा की लिपि संरचना*. साहित्य सहकार, दिल्ली.

पांडेय, राकशकल. 2008. *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक*. अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा.

मोहम्मद, सुलैमान. 2007. *उच्चतर शिक्षा मनोनिज्ञान*. मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ लोबा. 1990. *लोवा टेस्ट ऑफ़ बेसिक स्किल्स*. www.eric.rd.gov

लाल, जे.एन. 2006. *जीवन कालिक विकास का मनोविज्ञान*. वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर.

शर्मा, उमारानी. 2012. *शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार*. आलोक प्रकाशन, लखनऊ.

सिंह, अरूण कुमार. 2007. *शिक्षा मनोविज्ञान*. भारतीय भवन, पटना.

श्रीवास्तव, रामजी. 2005. *उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान*. मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी.

www.academeia.edu.in

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/abrahmlin109275.html

www.eric.rd.gov

www.primaryresources.co.uk/english/handwriting/Handwriting%20criteria.pdf

5

बच्चों का कक्षा में मूल्यांकन द्वारा सामाजिक स्तरीकरण एक समीक्षा

एम.एम. रॉय*
मीना सहरावत**

शिक्षा पर सभी का अधिकार है चाहे वह किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा हो। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चे की पृष्ठभूमि को समझे और उसके अनुभव को कक्षा में सम्मान दे, यदि ऐसा नहीं होता है तो इसी प्रकार के बच्चे कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं और ऐसा अधिक होने पर स्कूल छोड़ने का एक कारण बनते हैं। बच्चों का सीखने के एक ही पक्ष से संबंध नहीं होता है जैसा कि स्कूलों में मापा और जाँचा जाता है ऐसी रूढ़िवादी मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक ऐसे बच्चों पर ना सीखने का सूचक लगा देते हैं। जबकि *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के अनुसार मूल्यांकन का यह आशय बिल्कुल भी नहीं है। इस लेख का उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि हम सभी यह पहचान पाएँ कि बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके अनुभव और मूल्यांकन करने के तरीके कहीं उनके सीखने के बीच में अवरोधक ना बने और सभी को सीखने का मौका मिले जिससे कि उनकी विविधता और अनुभव का सम्मान कक्षा में हो।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में समाज का समाजवादी ढाँचा स्वीकार किया गया और यह भी घोषित किया गया कि जाति निरपेक्ष और वर्ग निरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद का राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया जाए जो लोकतंत्र व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक न्याय पर आधारित हो तथा जिसे लोकतांत्रिक साधनों द्वारा प्राप्त किया जाए। लोकतंत्र की माँग प्रबुद्ध नागरिक की माँग है, अतः शिक्षा की पहुँच जन-जन तक होनी चाहिए। शिक्षा का सार्वजनीकरण लोकतंत्र की पुकार है। लोकतंत्र में यह आवश्यक और अपरिहार्य है कि विकास के स्तर चाहे कुछ भी क्यों ना हों उसके शैक्षिक कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चों की बुनियाद अथवा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लोकतंत्र में सामाजिक एवं आर्थिक क्षमता को मान्यता मिलनी चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है जिससे मानव मानव के बीच विद्यमान भेदों के रहते हुए वह अपनी क्षमताओं को अधिक से अधिक विकसित कर सके और इस प्रकार से समाज

* *सहायक आचार्य,* पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र संकाय, ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली
** *सहायक आचार्य,* पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र संकाय, ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली

में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत भेद को स्वीकार करते हुए भी सभी को शिक्षा का शुभ अवसर प्रदान करना है। हमारे विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को पहली से आठवीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। *शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009* में धारा 13 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपरोक्त आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का है।

प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले सभी बच्चों को अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं और यह अनुभव सभी बच्चों के एक जैसे नहीं होते हैं। इस भेद का कारण यह है कि विद्यालय में भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे पढ़ने आते हैं और उनके परिवारों के वातावरण में अंतर होता है। वे भिन्न-भिन्न समुदाय, सामाजिक वर्ग, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तरों वाले परिवार से होते हैं। विद्यालयों में बच्चे जो कुछ भी और जैसे सीखते हैं उसमें यह ज्वलंत विभेद और समानता का मूल कारण है अतः यह कहना ही होगा कि बच्चा परिवार और अपने सांस्कृतिक वातावरण में जो कुछ सीखता है अपने उसी अनुभव को विद्यालय में भी लेकर आता है और इस प्रकार से वे अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों को प्रतिबिंबित करते हैं और ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी अलग-अलग सामाजिक वातावरण से आते हैं अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके वातावरण का अंतर जीवन और कार्य के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। बच्चे और शिक्षक विद्यालय में एक छोटे समाज की और कक्षा में उससे भी छोटे समाज की स्थापना कर लेते हैं।

सभी बच्चों को सीखने का अधिकार है, ऐसा बाल अधिकार सम्मेलन में पहले ही तय किया जा चुका है जिसे विश्व की सभी सरकारों ने सहमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सभी बच्चे सीख सकते हैं चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषागत सामान्य स्थितियाँ चाहे जो भी हों। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि विद्यालय में भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे पढ़ने आते हैं जैसे अक्षम और असामान्य बच्चे, गलियों में घूमने वाले और कामकाज़ी बच्चे, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के भाषागत, प्रजातीय या सांस्कृतिक आधार वाले बच्चे। आपने यह भी पढ़ा है कि किस प्रकार से एक विद्यालय और कक्षा एक लघु समाज का रूप है जहाँ पर विभिन्न पृष्ठभूमि से आए बच्चों का अपना अनुभव है और यह बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि—

- क्या इन सभी बच्चों को पढ़ाने का तरीका एक होगा?
- क्या इन बच्चों को पढ़ाना चुनौती है?
- क्या इन सभी बच्चों का मूल्यांकन करने का तरीका भी एक होगा?

ऐसे बच्चों को पढ़ाना अवश्य ही एक चुनौती है और ये लोग प्रभावपूर्ण ढंग से सीख सकते हैं यदि उनको सीखने का अवसर मिले। बच्चे क्योंकि विविध पृष्ठभूमि और अनुभव लिए होते हैं वे सक्रिय रूप से अपना ज्ञान और उसका अर्थ स्वयं निर्मित कर सकते हैं। बच्चे नयी जानकारियों को पहले से प्राप्त जानकारियों के साथ संबंधित करते हुए या अपने पूर्व ज्ञान से सीखते हैं, जैसे— एक दूसरे से बात करना, सवाल पूछना, चर्चा करना, अवलोकन करना आदि तरीके, कक्षा में या कक्षा के बाहर सामाजिक अंतः क्रियाएँ हैं जिनके द्वारा बच्चे ठोस रूप में सीखते हैं। इसलिए जोड़ों में या समूह में कार्य करना अधिक

महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर सभी जगह बच्चों की भागीदारी ज़रूरी है खासकर शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चे तथा कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के सबसे ज़्यादा फ़ायदे मिलने चाहिए। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ सीखने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने के शक्तिशाली तरीकों में से एक है लेकिन अकसर विद्यालय में आकर सीखने-सिखाने की गतिविधियों में शिक्षक के द्वारा कुछ गिने-चुने बच्चों को ही बार-बार चुना जाता है। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फ़ायदा होता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है तथा विद्यालय में लोकप्रिय भी हो जाते हैं लेकिन दूसरे बच्चे उपेक्षित महसूस करते हैं और उनको पहचाने जाने एवं स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है। अवसर सभी बच्चों को मिलना चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्टताओं को पहचाना भी जाना चाहिए।

क्या आपको अपनी कक्षा का कोई ऐसा सहपाठी याद है जो आमतौर पर गुमसुम रहता था, सहभागिता पसंद नहीं करता था और साथ ही सीखने में पिछड़ जाता था? ऐसे बच्चों का आत्मसम्मान कम होना उनके इस व्यवहार का एक मुख्य कारण हो सकता है। ऐसे बच्चे अपनी क्षमताओं को लेकर विश्वास से भरे नहीं होते हैं और सोचते हैं कि वे इस कक्षा के कोई महत्वपूर्ण सदस्य भी नहीं हैं।

कई अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि बच्चों के स्वयं के बारे में निर्मित दृष्टिकोण के सीखने की उपलब्धि के बीच निकट संबंध होता है। ऐसे बच्चों के प्रति नकारात्मक टिप्पणी से उनका आत्मसम्मान भी कमज़ोर हो जाता है जैसे किसी शिक्षक ने कहा कि देखो तुमने कितने सवाल गलत किए हैं, यह एक नकारात्मक टिप्पणी है; दूसरा इसको ऐसे भी कहा जा सकता है देखो तुमने कितने सवाल सही किए हैं और अगली बार तुम इससे और अधिक सवाल सही कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कहाँ गलती की है? आओ तुम्हारी गलती को मिलकर खोजें। यह एक सकारात्मक टिप्पणी है। जब विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि/लिंग या अन्य पृष्ठभूमि वाले बच्चों को मान्यता नहीं दी जाती है या उनकी विशेषताओं को लेकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, तब बच्चे बहुत ज़्यादा आहत होते हैं।

शिक्षक के द्वारा यदि कोई गतिविधि आयोजित की जाती है जिसमें विशेष ज़रूरत वाले बच्चे भी शामिल हैं और जिन्हें दिए गए कार्य को पूरा करने में ज़्यादा समय लगता है या उनको मदद की ज़रूरत होती है। शिक्षक ऐसे बच्चों को छोड़कर अन्य बच्चों को गतिविधि की योजना बनाने में शामिल करते हैं तो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे आहत होते हैं। अच्छा तो यह होता कि गतिविधि की योजना बनाने से लेकर उसको कार्यान्वित करने तक में शिक्षक सभी बच्चों को शामिल करें और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें जिससे कि प्रत्येक बच्चा अपना योगदान दे पाए।

प्रतियोगिता पर अत्यधिक बल और व्यक्तिगत सफलताएँ कई विद्यालयों की पहचान बनती जा रही हैं लेकिन इससे उनके शैक्षिक लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि स्पर्धा की अत्यधिक भावना किसी दूसरे से बेहतर करने के लक्ष्य को बढ़ावा देती है। परंतु बच्चों में स्पर्धा की अत्यधिक भावना विद्यालय के अंदर के सामाजिक रिश्तों को नष्ट कर देती है जिससे

सहपाठियों के संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और साथ में सहयोग और संवेदनशीलता के मूल्यों को भी क्षति पहुँचती है। ऐसे विद्यालयों में बच्चों को संकीर्ण संज्ञानात्मक आधार पर वर्गीकृत करके विद्यालय उस विविधता को भी क्षति पहुँचाते हैं जो बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभाओं में होती है, जैसे— श्रेष्ठ, सामान्य, सामान्य से कम, पास या फिर फेल। समाज में पहले से व्याप्त विभिन्न सामाजिक स्तरीकरण और फिर कक्षा में भी इस तरह के सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का बच्चे पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और तो और कुछ बच्चों को मंदबुद्धि कहकर उन्हें अलग भी बैठाया जाता है और ऐसे सूचक कक्षा में लगा दिए जाते हैं जिससे बच्चों का विभाजन बहुत ही स्पष्ट दिखने लगता है। सही उत्तर पता नहीं होने का भय और विभाजन सीखने की सारी ज़िम्मेदारियाँ बच्चों पर डाल देते हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, "एक अच्छी मूल्यांकन और परीक्षा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सकती है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों को ही विवेचनात्मक और आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से फ़ायदा हो सकता है। मूल्यांकन शिक्षा में हमेशा से उद्देश्य क्रियान्वयन से जुड़ा रहा। यह स्वयं में एक प्रक्रिया है जो कार्य योजना का निर्धारण करती है तथा समाज, राष्ट्र तथा मानव जाति के हित के लिए संतति करती है"।

अगर हम शिक्षा को सार्थकतापूर्ण जीवन की तैयारी मानें तो वर्तमान मूल्यांकन की प्रक्रिया जो मस्तिष्क के बहुत ही कम संकाय को मापती एवं जाँचती है। यह व्यक्ति की योग्यता अथवा शैक्षिक उद्देश्यों की और इसकी प्रगति की सही तस्वीर देने में अपर्याप्त एवं असफल है। आकलन बच्चों के केवल निष्पत्ति की गुणवत्ता देखने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में राय बनाने के लिए, प्रमाणों को इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य निष्पत्ति में सुधार होता है, न कि यह जानने के लिए की बच्चों ने कितना याद किया है। आधुनिक समय में जहाँ बच्चों की सृजनात्मकता, नवाचार एवं विकास पर बल दिया जा रहा है वहाँ बच्चों की याददाश्त एवं समझ को बने-बनाए तरीके से जाँचना अप्रचलित एवं पुराना है जो कई बच्चों को कक्षा में बिल्कुल मौन रखता है जिससे वे भागीदारी और सीखने के समान अवसरों से वंचित हो जाते हैं। अच्छे अंक पाने वाले सफल बच्चे भी असफलता के डर से उतने ही भयभीत रहते हैं, उन्हें यह डर लगता है कि परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए तो उनकी अच्छी श्रेणी नहीं आ पाएगी। गलतियों को शिक्षा के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकार किए जाने की ज़रूरत है और बच्चे के दिमाग से पूरे अंक न ला पाने के डर को भी निकाला जाना चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, "मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है कि बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना और बच्चों को नाम देना जैसे धीमी गति से सीखने वाला, होशियार, समस्यात्मक विद्यार्थी"। ऐसे में मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि के नवीन तरीकों को ढूँढ़ना होगा जो प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का साधन नहीं होना चाहिए। यदि निष्पत्ति में गुणवत्ता की दरकार हो तो बच्चों के अलग-अलग स्तरों को विभाजित कर उनमें कुंठा भरना सही नहीं है।

बच्चों की उपलब्धि स्तर के साथ-साथ बच्चे की अभिरुचि, उसके स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता

का मूल्यांकन होना चाहिए। यह समझना ज़रूरी है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को बदलकर बच्चे के सीखने के अनुभव पर आधारित मूल्यांकन किया जाए। सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन होता है जिसमें निर्णय सीखने वाले के स्वभाव और गुणवत्ता को आधार बना कर लिया जाए जिसमें धीमी गति और तेज़ गति से सीखने वाले के रूप में तुलना, विभाजन एवं वर्गीकरण नहीं हो।

अगर कोई शिक्षा में गुणवत्ता चाहता है तो बच्चों का विभाजन कर उन्हें ऐसी श्रेणियों में डालना जिससे उनमें हीन भावना आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन ऐसे हो जो यह संभव कर सके कि कक्षा में विविधता का सम्मान हो और वह पूर्ण रूप में निखरे। विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता मिलनी चाहिए तथा उसका सम्मान होना चाहिए। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* आकलन के प्रति एकदम स्पष्ट है और इसमें ज़ोर देकर यह कहा गया है कि योगात्मक आकलन का उद्देश्य तो सिर्फ़ याद करने का कौशल समझा है, उससे हटकर रचनात्मक आकलन बच्चे को सीखने के लिए बढ़ावा देता है और यह दक्षता आधारित भी है। इससे बच्चों के अंदर विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणा की स्पष्टता को आराम से जाँचा जा सकता है, इसलिए आकलन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए ही होना चाहिए, न कि वह इस प्रकार से कक्षा में सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा दे।

विद्यालय आधारित आकलन की अनुशंसा लगातार की जा रही है जिसमें बच्चे की सीखने की प्रगति का कार्ड तैयार किया जाता है जहाँ पर बच्चे की जो बहुमुखी प्रतिभा है जिसमें उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष शामिल हैं, उन्हीं पक्षों का आकलन होगा और उसको बहुआयामी प्रगति कार्ड पर अंकित किया जाएगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मूल्यांकन सही अर्थों में किया जाएगा? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यदि बच्चों के सामाजिक स्तरीकरण करने के लिए मूल्यांकन को संकीर्ण रूप में न सोचा जाए और न उपयोग किया जाए। जैसा कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* और *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,* यह अनुशंसा करती हैं कि यदि विद्यालय आधारित आकलन किया जाए जो कि एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का परिष्कृत रूप है और वह सही अर्थों में विद्यालयों में बच्चों के आकलन के लिए उपयोग किया जाए तो अवश्य ही बच्चों का सामाजिक स्तरीकरण भी कक्षा में नहीं होगा।

बच्चों का विद्यालय आधारित आकलन किया जाए जिसमें बच्चों के आकलन करने का जो ज़ोर होगा, वह बच्चों के 'सीखने के लिए' पर होगा। कहने का अर्थ है कि बच्चों का रचनात्मक आकलन होगा और वह सीखने के एक पक्ष का नहीं अपितु वह बच्चों के सीखने के तीनों पक्षों का आकलन भी होगा, लेकिन ऐसा तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में भी प्रावधान था कि बच्चे के तीनों पक्षों का आकलन किया जाए लेकिन शिक्षक का ज़ोर बच्चों के योगात्मक आकलन पर ही रहा जिसमें वह बच्चों के उपलब्धि परीक्षण की उत्तर पुस्तिकाओं को जाँचने तक ही सीमित रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्यालय आधारित आकलन भी संकुचित रूप में ले लिया जाए और बच्चे का पूर्ण रूप से आकलन फिर से न हो तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि शिक्षकों का विद्यालय आधारित आकलन पर शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि समय-समय पर कराया जाता रहना

चाहिए और उसकी शिक्षकों के समक्ष जाकर प्रतिपुष्टि भी प्राप्त की जाए।

अब तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहाँ पर शिक्षक यदि किसी शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र में नहीं जा पाते हैं तो वह ऑनलाइन साधनों द्वारा भी प्रशिक्षण प्राप्त कर स्कूल आधारित आकलन का अभ्यास कर सकते हैं जैसा कि शिक्षक निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल ऑनलाइन कर सकते हैं जिसका आकलन संकुल स्तर पर ज़िला प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा हो। साथ ही शिक्षकों को विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के बारे में पूर्ण जानकारी रखनी होगी। इस प्रकार के बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उसका भी प्रावधान शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में होना चाहिए।

यदि हमारे शिक्षक सक्षम होंगे तभी वे इस प्रकार की कक्षा में सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा नहीं देंगे। यहाँ यह कहना भी बहुत ज़रूरी होगा कि स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण-प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम भी बदला जाए जिसमें मानवीय मूल्यों पर आधारित सामग्री शामिल की जाए, जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, वैश्विक नागरिकता और समावेशन। हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम और शिक्षण-प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को हटा दिया जाए और ऐसी सामग्री को शामिल किया जाए जो हमारे समुदाय के लिए प्रासंगिक और संबंधित हो; जो विविधता को सम्मान प्रदान करती हो।

निष्कर्ष

एक कक्षा जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि से आए बच्चे शामिल होते हैं और उनकी अपनी विशेषताएँ होती हैं तो कैसे सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में उनके अपने अनुभव शामिल होते हैं। जहाँ हमें बच्चों के अनुभवों को सम्मान देना चाहिए वहाँ हम बच्चों पर अपनी गलती के कारण उन पर न सीखने का सूचक लगा देते हैं। ऐसा मूल्यांकन नि:संदेह बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का होता है जिसमें सभी बच्चों के सीखने के पक्षों को शामिल नहीं किया जाता है ऐसा करने से मूल्यांकन संकुचित हो जाता है और बच्चे कक्षा में अपने आपको अलग-थलग पाते हैं तथा विद्यालय छोड़ने पर मज़बूर हो जाते हैं। जबकि अच्छी मूल्यांकन की प्रक्रिया बच्चों के सीखने का एक अभिन्न अंग बन सकती है। आकलन करने का उद्देश्य यह है कि बच्चों ने कितना सीखा और वह आगे सीखने के लिए कितने तैयार हैं, यह जाना जा सके। सही अर्थों में बच्चों का आकलन, बच्चों के सीखने के तीनों पक्षों का होना चाहिए। शिक्षक के द्वारा बच्चों के प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य शामिल होने चाहिए और उन आँकड़ों का विश्लेषण कर बच्चों को, उनके माता-पिता को तथा अपने अपने लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चों के लिए विविध मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसका ज़ोर बच्चों के 'सीखने के लिए' पर होगा जिसमें बच्चों की सीखने की गति का पता लगाना, उनकी कमी का पता लगाना और उसको दूर करने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसा कक्षा में होता है तो सभी बच्चों के सीखने के सभी पक्षों का आकलन होगा तथा बच्चों की क्षमता तथा उनके सीखने की विविधता का भी सम्मान होगा। ऐसा होने से अवश्य ही कक्षा में सीखने-सिखाने का वातावरण बनेगा।

संदर्भ

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. *भारत का राजपत्र.* संख्या 35. 27 अगस्त 2009. विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनसुंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2019. निष्ठा— स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल— प्रशिक्षण पैकेज. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

6

प्राथमिक स्तर के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर आँगनबाड़ी शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव

रवीन्द्र कुमार*

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का महत्व गुरूकुल शिक्षा प्रणाली से ही रहा है। यदि भारतीय शिक्षा के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो प्रारंभ में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा का ही प्रावधान था। आज़ादी के बाद से ही प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि प्राथमिक शिक्षा ही बच्चे की बुनियादी शिक्षा होती है जिसके आधार पर वह उच्च शिक्षा रूपी भवनों का निर्माण कर सकता है। इस स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भारत सरकार की प्राथमिकता रही है फिर भी आज भारतवर्ष में सबसे बुरी स्थिति सरकार के अधीन प्राथमिक विद्यालयों की ही मानी जाती है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु सरकार द्वारा और प्रबल कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। संविधान की धारा 21ए के फलस्वरूप *निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009* देश में वर्ष 2010 में लागू होने के बाद से ही बच्चों के शिक्षण के लिए नवोन्मेषी शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग की होड़ ही लग गई है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे आँगनबाड़ी में पढ़ने के पश्चात् प्रवेश लेते हैं उनकी उपलब्धि सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में कम होती है या ज़्यादा? इस समस्या के लिए इन बच्चों का न्यादर्श की रैंडम विधि का प्रयोग करके उनकी शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया गया है जिसके लिए सांख्यिकी की टी-परीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि जो बच्चे आँगनबाड़ी में पढ़ने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं उनकी समझ सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों से अधिक होती है। यह कहा जा सकता है कि आँगनबाड़ी शिक्षा प्रणाली बच्चों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि करने के लिए एक सशक्त शिक्षा व्यवस्था है। इसके प्रभाव को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में आँगनबाड़ी शिक्षा व्यवस्था के दिए गए महत्व से भी जाना जा सकता है।

शोध की पृष्ठभूमि

कहा जाता है कि समाज शिक्षा को जन्म देता है और शिक्षा एक आदर्श समाज की कल्पना को पूर्ण करती है। विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। शिक्षा तथा समाज का अटूट संबंध रहा है और भविष्य में भी रहेगा जिसको नकारा नहीं जा सकता है। बच्चों के

* *सहायक आचार्य,* अध्यापक शिक्षा विभाग, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार

विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः प्रत्येक समाज का यह दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था अथवा प्रावधान करे। यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयासों को पर्याप्त गंभीरता से लिया जाता रहा है और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में समुचित प्रावधान किए गए जाते रहे हैं। भारत के संविधान में नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत 45वें अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु पुनः 28 नवंबर 2002 को 86वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उनके मौलिक अधिकार के रूप में 21ए के तहत घोषित कर दिया गया (सूचना प्रसारण मंत्रालय, 2021)। इसी क्रम में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002 के दौरान आँगनबाड़ियों की स्थापना पर बल दिया गया और उनकी दशा सुधारने हेतु प्रयास किए जाने लगे, इसके साथ-साथ इनमें कार्यरत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक और सराहनीय कदम उठाया गया जिसमें सन् 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' (एस.एस.ए.) की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत आँगनबाड़ियों और बालवाड़ियों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया और इन्हें प्राथमिक विद्यालयों के पास ही स्थापित किया जाने लगा। परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार के पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education PPE) केंद्रों को चलाने के लिए प्रत्येक ज़िले को 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहयोग दिया जाने लगा। प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) का मुख्य लक्ष्य उन स्थानों पर आँगनवाड़ियों की स्थापना करना था जिन स्थानों पर अभी तक इनकी स्थापना नहीं हो पाई थी। इसके साथ-साथ आँगनवाड़ियों की कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उनकी दशा सुधारना था तथा साथ-ही-साथ सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक स्कूलों के साथ एक वर्षीय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना भी रहा था (लाल, 2014, पृ. 335–337)।

स्वतंत्रता के उपरांत से ही देश में प्रारंभिक शिक्षा के विकास के साथ-साथ बाल विकास को भी विशेष महत्व दिया जाने लगा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कल्याण और मनोरंजन की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया जाने लगा था तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं, जैसे— समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.), सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास योजना, अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम, विशेष पोषाहार वितरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सहयोग और बाल विकास संस्थान, मध्याह्न भोजन योजना आदि द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने लगे और अभी भी किए जा रहे हैं। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आँगनबाड़ियों की स्थापना कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई, जैसे— (i) 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना; (ii) मृत्युदर, कुपोषण

तथा स्कूल छोड़ने की दरों में गिरावट लाना; (iii) बाल विकास हेतु विभिन्न नीति एवं क्रियान्वयन के मध्य संयोजन को प्राप्त करना और (iv) उचित पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं एवं उनके सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल हेतु गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना आदि। इतना ही नहीं 2 अक्तूबर, 1975 को समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) को शुरू किया गया (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2012)। इस योजना को देश के 33 विकास खंडों में लागू किया गया जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में यह परियोजना तीन विकास खंडों में स्थापित की गई थी, जो हैं— (1) शंकर गढ़ (प्रयागराज), (2) डलमऊ (रायबरेली) तथा (3) अलीगढ़। आई.सी.डी.एस. भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जो बच्चों के बचपन की देखभाल और विकास के लिए सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। आई.सी.डी.एस. योजना के तहत लाभार्थियों में 0–6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया है। आई.सी.डी.एस. में चार अलग-अलग घटक होते हैं, जैसे— (i) बचपन की देखभाल, शिक्षा और विकास; (ii) देखभाल और पोषण परामर्श, (iii) स्वास्थ्य सेवाएँ तथा (iv) समुदाय संघटन जागरूकता, वकालत और सूचना, शिक्षा और संचार। परंतु इस योजना का ज़्यादातर कार्यान्वयन संपूर्ण भारतवर्ष में आँगनवाड़ियों के माध्यम से किया जाता रहा है (नीति आयोग, 2015)। लगभग 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास हो चुका होता है, बच्चे के उचित विकास और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 58)। इसी आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 3–6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ़्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना है।

भारतीय संदर्भ में आँगनबाड़ी

आँगनबाड़ी, भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र हैं। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में, 1975 में इन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आँगनबाड़ी का अर्थ है, 'आँगन आश्रय'। इस प्रकार का आँगनबाड़ी केंद्र भारतीय गाँवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भनिरोधक परामर्श और आपूर्ति, पोषण शिक्षा और अनुपूरक, साथ ही पूर्व-विद्यालय की गतिविधियाँ शामिल हैं। केंद्रों को मौखिक रीहाइड्रेशन नमक, बुनियादी दवाओं और गर्भनिरोधकों के लिए डिपो के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

रिसर्च गैप

आज प्रायः सभी समाजों में शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट वर्गों में बाँटा गया है और उनमें प्रत्येक वर्ग की शिक्षा का अपना महत्व है। हमारे देश में अशिक्षा और निरक्षरता का प्रकोप एक वंशानुगत रोग की भाँति व्याप्त है। अभी भी भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं, दूरदराज़ इलाके हैं, जहाँ विद्यालय

क्रम टूटने का सिलसिला निरंतर जारी है। इन क्षेत्रों में आँगनबाड़ी व्यवस्था को लागू करना विद्यालय क्रम के सिलसिले को जोड़े रखने की दिशा में सार्थक कदम है। बच्चे की आयु तीन वर्ष होने से पूर्व ही माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और पोषण दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है और साथ-ही-साथ बातचीत, खेलकूद, चलने-फिरने, ध्वनि व संगीत तथा विशेष रूप से दृश्य एवं स्पर्श के साथ अन्य ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाशीलता के द्वारा संज्ञानात्मक और भावात्मक उत्प्रेरण उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना कि इस आयु के बच्चों में भाषाओं, संख्याओं तथा समस्या समाधान की परिस्थिति से अवगत होना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए बड़े सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परंतु वर्तमान में आँगनबाड़ियों के उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं, जैसे— शिशुओं की देखभाल एवं उनके उचित पोषण के साथ-साथ उन्हें सुनने, बोलने और शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना, शिशुओं को अपना कार्य अपने आप करने में प्रशिक्षित करना तथा शिशुओं को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना आदि।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखा गया है—

1. प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों के सामान्य ज्ञान की तुलना करना।
2. प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों की भाषायी दक्षता की तुलना करना।
3. प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों के गणितीय ज्ञान की तुलना करना।

शोध प्रश्न

शोध पत्र के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित शोध प्रश्न निर्धारित किए गए हैं—

1. क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों के सामान्य ज्ञान का स्तर अधिक होता है?
2. क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों में भाषायी दक्षता अधिक होती है?
3. क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों में गणितीय ज्ञान का स्तर अधिक होता है?

शोध प्रक्रिया

शोध हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का चुनाव किया गया है। न्यादर्श का निर्धारण यादृच्छिक प्रविधि की सहायता से किया गया, जिसमें उत्तर-प्रदेश के मेरठ के तीन ब्लॉकों के चार-चार प्राथमिक विद्यालयों को चुना गया था। यह शोध पत्र प्रारंभिक विद्यालय में पाँचवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की सामान्य ज्ञान तथा भाषायी दक्षता संबंधी उपलब्धि को जानने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आँकड़ों के संकलन के लिए एक स्वनिर्मित शोध उपकरण 'बच्चों के सामान्य ज्ञान, भाषायी दक्षता तथा गणितीय अभिक्षमता का उपलब्धि परीक्षण' को चयनित न्यादर्शों पर प्रशासित किया गया तत्पश्चात् प्राप्त आँकड़ों की प्रकृति के आधार पर टी-परीक्षण सांख्यिकी प्रविधि के आधार पर शोध कर के निष्कर्षों की व्याख्या की गई।

शोध के परिणाम एवं निष्कर्ष

प्रश्न 1— क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों के सामान्य ज्ञान का स्तर अधिक होता है?

तालिका 1 के अवलोकन से पता चलता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 7.50 एवं मानक विचलन 3.10 प्राप्त हुआ है जबकि इसी स्तर पर आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 10.5 तथा मानक विचलन 4.08 प्राप्त हुआ है। आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चे तथा आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों के सांख्यिकी मानों में उच्च स्तरीय सार्थकता ($t = 6.52, p < 0.01$) प्राप्त हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों का सामान्य ज्ञान स्तर अधिक अच्छा पाया गया है। प्राप्त सांख्यिकी आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि बच्चों को आँगनबाड़ी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर प्रवेशित किया जाता है तो निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है।

तालिका 1

प्राथमिक स्तर पर प्रवेशित बच्चे	बच्चों की संख्या *(N)*	मध्यमान *(M)*	मानक विचलन *(S.D.)*	टी-परीक्षण *(t)*
सीधे प्रवेशित विद्यार्थी	50	7.50	3.10	6.52*
आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित विद्यार्थी	52	10.5	4.08	

*सार्थकता स्तर 0.01

तालिका 2

प्राथमिक स्तर पर प्रवेशित बच्चे	बच्चों की संख्या *(N)*	मध्यमान *(M)*	मानक विचलन *(S.D.)*	टी-परीक्षण *(t)*
सीधे प्रवेशित विद्यार्थी	50	5.12	2.80	7.70*
आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित विद्यार्थी	52	10.50	3.91	

*सार्थकता स्तर 0.01

तालिका 2

प्राथमिक स्तर पर प्रवेशित बच्चे	बच्चों की संख्या *(N)*	मध्यमान *(M)*	मानक विचलन *(S.D.)*	टी-परीक्षण *(t)*
सीधे प्रवेशित विद्यार्थी	50	4.5	3.10	7.90*
आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित विद्यार्थी	52	11.10	4.91	

*सार्थकता स्तर 0.01

प्रश्न 2— क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों में भाषायी दक्षता अधिक होती है?

तालिका 2 से विदित होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 5.12 एवं मानक विचलन 2.80 प्राप्त हुआ है जबकि इसी स्तर पर आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 10.50 तथा मानक विचलन 3.91 प्राप्त हुआ है। आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चे तथा आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों के सांख्यिकी मानों में उच्च स्तरीय सार्थकता ($t = 7.70, p < 0.01$) प्राप्त हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों की भाषायी दक्षता का स्तर अधिक पाया गया है।

प्रश्न 3— क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों में गणितीय ज्ञान अधिक होता है?

तालिका 3 के अवलोकन से अवगत होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 4.5 एवं मानक विचलन 3.10 प्राप्त हुआ है जबकि इसी स्तर पर आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 11.10 तथा मानक विचलन 4.91 प्राप्त हुआ है। आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चे तथा आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों के सांख्यिकी मानों में उच्च स्तरीय सार्थकता ($t = 7.90, p < 0.01$) प्राप्त हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों के गणितीय ज्ञान का स्तर अधिक पाया गया है।

निष्कर्ष तथा शैक्षिक निहितार्थ

तालिका 1 के निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सीधे प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों के सामान्य ज्ञान का स्तर अधिक होता है क्योंकि जो बच्चे विद्यालय में सीधे प्रवेश लेते हैं तो उन बच्चों को आरंभ से भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होता है जबकि आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों को पाठ्यचर्या के सामान्य ज्ञान से आँगनबाड़ियों द्वारा पहले ही परिचित करा दिया जाता है। इसी प्रकार क्रमशः तालिका 2 तथा 3 के अवलोकन से भी विदित होता है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की अपेक्षा आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों में भाषायी दक्षता तथा गणितीय ज्ञान की अधिक समझ होती है, जिससे इन्हें भाषा तथा गणित संबंधी समस्याओं को समझने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है। आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों की अभियोग्यताओं में वृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकते हैं, जैसे— (i) परिणामों के सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सीधे प्रवेश लेने वाले प्राथमिक स्तर के बच्चों की आँगनबाड़ी के उपरांत प्रवेश लेने वाले बच्चों से अध्ययन में थोड़ी कम रुचि है। (ii) आँगनबाड़ी से प्रवेश लेने वाले बच्चों की अध्ययन में अधिक रुचि है एवं वे अपनी विद्यालय-पूर्व शिक्षा के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में आने के पश्चात् अपनी विद्यालय-पूर्व शिक्षा को प्राथमिक विद्यालय

की शिक्षा से जोड़ने के पश्चात् विषय को भलीभाँति समझ पाते हैं। (iii) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों को पूर्व से ही अक्षर ज्ञान, सामान्य गणितीय ज्ञान आदि का ज्ञान लगभग हो जाता है, जिससे उनको प्राथमिक विद्यालय में अधिक सहायता मिलती है। (iv) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों से सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में विद्यालय प्रतिदिन जाने के प्रति अधिक लगनशीलता होती है। (v) प्राथमिक विद्यालय में आँगनबाड़ी द्वारा पंजीकृत बच्चों के दाखिला लेने की वज़ह से नामांकन में बढ़ोतरी होती है। (vi) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों के भाषा ज्ञान का स्तर निम्न पाया गया। (vii) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों की गणितीय अभियोग्यता का स्तर सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में उत्तम पाया गया है। (viii) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चे सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में अधिक क्रियाशील प्रतीत होते हैं। (ix) आँगनबाड़ी कार्यक्रम की भूमिका का प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के नामांकन हेतु धनात्मक प्रभाव पड़ता है, तथा (x) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों की सभी विषय को पढ़ने एवं समझने में अधिक रुचि होती है।

निष्कर्ष रूप में कह सकते है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों की सामान्य ज्ञान, भाषायी तथा गणितीय अभियोग्यताओं की समझ सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों से अधिक होती है। इस प्रश्न को इस तर्क से भी सिद्ध किया जा सकता है कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के अनुसार बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही 3R's अर्थात् R1–Reading (पढ़ना), R2–wRiting (लिखना) तथा R3–aRithmetic (गणित) शिक्षा प्रदान की जाती है, जबकि इसी के आधार पर महात्मा गांधी ने 3H's के संप्रत्यय को दिया जिसमें H1–Head; Cognitive skill (ज्ञानात्मक कौशल), H2–Heart-Spiritual skills (भावात्मक कौशल) तथा H3–Hand-Psychomotor skills (मनोगत्यात्मक कौशल) के विकास पर ज़ोर दिया जाता है (श्रेयस फाउंडेशन, http://www.shreyasfoundation.in/gandhian-philosophy.html)। इससे सिद्ध होता है कि यदि बच्चे में प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने से पूर्व ही 3R's या 3H's की योग्यताएँ विकसित कर दी जाएँ तो इस प्रकार के बच्चे निश्चित रूप से सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना भाषायी, गणितीय तथा सामान्य अभियोग्यताओं को समझने की अधिक योग्यता रखते होंगे।

संदर्भ

नीति आयोग. 2015. *ए क्विक इवैल्यूएशन स्टडी ऑफ़ आँगनबाड़ी.* प्रोग्राम इवैल्यूएशन. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 7 जून, 2021 को https://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/report-awc.pdf. से प्राप्त.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 2012. *समेकित बाल विकास योजना.* भारत सरकार. 7 जून, 2019 को https://icds-wcd.nic.in/icdsimg/icdsdtd29102012.pdf. से प्राप्त।

राष्ट्रीय सहयोग और बाल विकास संस्थान. 2009. *रिसर्च ऑन आई.सी.डी.एस. एन ऑवरव्यू (1986–1995).* वॉल्यूम 2. नयी दिल्ली. 17 सितंबर, 2020 को http://www.nipccd-earchive.wcd.nic.in/sites/default/files/PDF/38b%20%20icdsvol2.pdf. से प्राप्त।

लाल, बी.आर. 2014. *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ.* पृ.सं. 335–337. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, उत्तर प्रदेश.

शिक्षा मंत्रालय. *सर्व शिक्षा अभियान.* स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नयी दिल्ली. 6 अगस्त, 2021 को https://mhrd.gov.in/hi/node/15021. से प्राप्त।

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* पृ. 58. भारत सरकार. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf से प्राप्त।

सचदेव, वाई., बी.एन. टंडन., एन. गांधी और जे. दासगुप्ता. 1996. इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, सर्वे, इवैल्यूएशन एंड रिसर्च 1975–1995. *सेंट्रल टेक्नीकल कमेटी – इंटीग्रेटिड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट.* पृ. सं. 149–152. नयी दिल्ली.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय. 2021. *भारत 2021.* वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रकाशन विभाग, भारत सरकार.

श्रेयस फाउंडेशन एजुकेशन. *गाँधीयन फ़िलोसॉफ़ी ऑफ़ एजुकेशन.* 30 अगस्त, 2020 को http://www.shreyasfoundation.in/gandhian-philosophy.html से प्राप्त।

7

बिहार में अभिवंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षाधिकार दिलाने में विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका

अल्पना शालिनी*
विनय कुमार दास**

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालय शिक्षा समिति वस्तुतः विद्यालय के सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु गठित की गई है। इसका उद्देश्य है कि समावेशी और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा सभी बच्चों विशेषकर अभिवंचित समुदाय को प्राप्त हो सके। विद्यालय शिक्षा समिति का जो प्रारूप *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* में निर्धारित है कि लोक भागीदारी की भावना के अनुरूप समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों, चाहे वह देश में कहीं भी निवास करते हों, उनके 6–14 आयु वर्ग के बच्चे विद्यालय में नामांकित हो सकें, नियमित रूप से निर्धारित समयानुकूल शिक्षा ग्रहण कर सकें और प्रारंभिक स्तर की निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर सकें। परंतु विद्यालय शिक्षा समिति की लचर कार्य प्रणाली के कारण यह प्रभावकारी ढँग से कार्य नहीं कर पा रही है जिससे अभिवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय शिक्षा समिति को सक्षम और सक्रिय बनाने का शीघ्र सुनियोजित प्रयास हो जिससे अभिवंचित समुदाय के बच्चों के शैक्षणिक विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को रेखांकित कर उसे दूर किया जा सके। प्रस्तुत आलेख में विद्यालय शिक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी से अभिवंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षाधिकार दिलाने पर विस्तृत चर्चा की गई है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय शिक्षा समिति वस्तुतः विद्यालय के सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु गठित की गई है। इसका अंतर्निहित अभीष्ट मूल रूप से लोक भागीदारी के द्वारा विद्यालय में सुव्यवस्थित व्यवस्था करना है ताकि समावेशी और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा सभी बच्चों को प्रदान की जा सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लक्ष्य एवं भावना के अनुरूप समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों, चाहे वह देश में कहीं भी निवास करते हों, उनके 6–14 आयु वर्ग के बच्चे विद्यालय में नामांकित हो सकें, नियमित रूप से निर्धारित समयानुकूल शिक्षा ग्रहण कर सकें और प्रारंभिक स्तर की निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर सकें। विद्यालय

* *अतिथि व्याख्याता,* मनोविज्ञान विभाग, एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
** *सहायक प्राध्यापक,* जे.एम.डी.पी.एल. महिला कॉलेज, मधुबनी, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

शिक्षा समिति इन्हीं व्यापक लक्ष्यों को केंद्र में रख कर कार्य करे, यह अपरिहार्य है।

1. भारत सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति नाम दिया गया है लेकिन इस अधिनियम के आधार पर बिहार सरकार द्वारा निर्गत नियमावली में विद्यालय शिक्षा समिति से इसे नामित किया गया है, इसलिए इस रचना में विद्यालय शिक्षा समिति नाम की चर्चा है जिसका अर्थ विद्यालय प्रबंधन समिति से है।
2. *पंचायती राज अधिनियम, 1993* में भी ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति बनाने का अधिकार है जिसका कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के तहत पड़ने वाले सभी प्रारंभिक विद्यालयों को नियंत्रित करना है।
3. राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक की नियुक्ति केंद्र सरकार के युवा कार्य मंत्रालय द्वारा देश के प्रत्येक ज़िले में स्थापित नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक प्रखंड में की जाती है जिन्हें नियमित मानदेय भी दिया जाता है। इसी तरह नेहरू युवा केंद्र द्वारा ज़िले के प्रत्येक पंचायत में युवा क्लब और महिला मंडल का भी गठन किया जाता है।
4. सहभागी शिक्षण आकलन पद्धति नवीनतम सामाजिक अध्ययन प्रक्रिया माइक्रो प्लानिंग का एक अंग है जिसके माध्यम से शिक्षा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है जिससे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहभागी योजना निर्मित की जा सकती है।

विदित है कि भारतीय समाज में अभिवंचित समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के वैसे समूह से है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हैं और भारतीय संविधान की धारा 341 की उपधारा (1) के तहत इन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया और धारा 366 की उपधारा (24) के तहत इसे पारिभाषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इनके उत्थान के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था करते हुए कई परियोजनाएँ लागू की। इस समुदाय के बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी कई योजनाएँ बनाई और लागू भी की गईं। फिर भी लगभग 7 दशक के बीतने की स्थिति तक इस दिशा में कोई अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। अभिवंचित समुदाय के बच्चों में तो प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत ज़्यादा दयनीय आँकी गई। शिक्षाविदों और समाज वैज्ञानिकों ने पिछले अनुभव के आधार पर यह माना कि प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने में, विगत प्रयासों में स्थानीय लोगों की सहभागिता नहीं ली गई थी। इसलिए 2009 में संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया तो इसमें विद्यालय शिक्षा समिति बनाने का प्रावधान लाया गया ताकि स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इतना ही नहीं इसे उक्त आयु वर्ग के बच्चों के लिए 'मौलक अधिकार' माना गया है। इसे केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक कदम माना गया। इस तरह सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, विद्यालय में उनका नियमित ठहराव और अपेक्षित शैक्षणिक लाभ को सुनिश्चित करने के लिए इसे नवाचारी और ठोस प्रयास माना गया है।

विद्यालय शिक्षा समिति का गठन

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के पिछले प्रयासों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में कुछ मौलिक बातों को सामाजिक और वैज्ञानिक कसौटी पर

जाँच-परख कर शामिल किया गया है। वह यह कि *निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*, 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है ताकि निर्धारित आयु वर्ग के समाज के सभी वर्गों के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित हो सके। इस अधिनियम की धारा 21 और 22 के तहत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालयों में एक 'विद्यालय शिक्षा समिति' के गठन को अनिवार्य माना गया। इस समिति 17 सदस्यीय के गठन की भी एक ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें अभिभावक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र-छात्रा के प्रतिनिधि सहित कई अन्य लोगों को शामिल किया गया है जिससे एक मज़बूत लोकतांत्रिक ढाँचे का निर्माण हो सके। इसके लिए यह आवश्यक माना गया है कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक संबंधित संकुल के समन्वयक की सहमति से एक निश्चित तिथि का निर्धारण कर संबंधित विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों की एक आम सभा बुलाएँगे। इस आम सभा की सूचना सभी निर्धारित व्यक्तियों को सूचना पंजी के माध्यम से दी जाएगी और संकूल समसमंव्यक की देखरेख में चुनाव कार्य संपन्न किए जाएँगे। यदि समिति के गठन के विरुद्ध किसी को आपत्ति होती है तो यह प्रावधान बनाया गया है कि ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को समिति गठन होने के 15 दिनों के अंदर आपत्ति दायर करेंगे, जिसकी सुनवाई आपत्ति दायर करने के एक महीने अर्थात् 30 दिनों के अंदर होगी। इस समिति का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा और समिति का पुनर्गठन समिति के कार्यकाल पूरा होने के पूर्व किया जा सकेगा।

विद्यालय शिक्षा समिति की सदस्यता के लिए आवश्यक शर्तें

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य बनने के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। जैसे— यह कि विद्यालय के पूर्ववर्ती वर्गों में जिन बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम रहती है। ऐसे बच्चों की माताएँ समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं की जा सकती हैं, लेकिन वर्ग 1 के बच्चों की माताओं के मामले में यह लागू नहीं होता है।

जहाँ तक विद्यालय शिक्षा समिति की बैठकों का सवाल है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार इसकी बैठक समिति के अध्यक्ष की सहमति से सचिव द्वारा प्रत्येक माह बुलाई जानी है। यदि अध्यक्ष द्वारा लगातार तीन महीने तक बैठक नहीं बुलाई जाती है तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी समिति के सचिव को बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है कि यदि ऐसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से दैनिक अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे।

जब ज़िला शिक्षा पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त/ज़िला पदाधिकारी को यह ज्ञात हो कि विद्यालय शिक्षा समिति अपने दायित्वों का पालन विधिवत नहीं कर रही है तो उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे उस समिति को विघटित कर पुनः अग्रलिखित प्रक्रिया के द्वारा नयी समिति का गठन कर लें। इस संदर्भ में यह भी ज़िक्र करना अनिवार्य होगा कि यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होते हैं तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में निर्णय लेकर वैसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। इसी

तरह यदि कोई सदस्य अपनी मर्ज़ी से त्यागपत्र देता है तो विद्यालय शिक्षा समिति उसे स्वीकार कर सकती है।

इसके अतिरिक्त नामांकन और वर्ग से उत्तीर्ण होने की प्रक्रिया को भी सरल बनाते हुए यह व्यवस्था की गई है कि बच्चों के नामांकन में जन्म प्रमाण-पत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी विद्यार्थी को किसी वर्ग में फेल नहीं करने तथा उसे समकक्ष वर्ग में लाने के लिए शिक्षकों को विशेष शिक्षा देने के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं सभी बच्चों विशेषकर अभिवंचित वर्ग के बच्चों की पहुँच विद्यालय तक हो सके, इसके लिए प्रत्येक एक किलोमीटर पर प्राथमिक एवं प्रत्येक तीन किलोमीटर पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की बात कही गई है। हालाँकि, बिहार में इस दूरी के मापदंड को बदला गया है क्योंकि यहाँ के गाँव विभिन्न टोलों में बँटे हैं और अधिक दूरी वाले टोलों में ज़्यादातर अभिवंचित समुदाय के लोग ही बसते हैं। इसलिए बिहार में सभी टोलों/बसावटों से ही, 1 तथा 3 किलोमीटर मापने का मापदंड निर्धारित किया गया है।

इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक गठित विद्यालय शिक्षा समिति के लिए समिति के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में खाता खोलने की भी व्यवस्था है। इसका संचालन विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से करने का निर्देश है। इस खाते में सरकार द्वारा देय राशि के अतिरिक्त जन सहयोग से प्राप्त राशि रखी जाएगी। इस खाते का वार्षिक अंकेक्षण भी नियमित रूप से होना है। इस संदर्भ में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई निजी दाता एक लाख रुपये तक अपनी मर्ज़ी से दान देता है तो दाता की मर्ज़ी से चापाकल, शौचालय आदि का निर्माण किया जा सकता है। यदि वहीं व्यक्ति एक करोड़ रुपये का दान देता है तो उससे दाता अथवा उनकी सहमति से किसी व्यक्ति का नाम विद्यालय के मुख्य द्वार पर अंकित किया जा सकता है।

17 सदस्यीय इस समिति के गठन में निम्नलिखित तरह के व्यक्तियों के सदस्य होने की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है—

- ग्राम पंचायत/नगर निकाय से संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य जिसमें विद्यालय अवस्थित है— 1 पदेन अध्यक्ष
- विद्यालय का प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक— 1 सदस्य
- छात्र-छात्राओं की माताएँ (चयनित)— 9 सदस्य, जिसमें पिछड़ा वर्ग से 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से 2, सामान्य जाति से 2, तथा 1 नि:शक्त बच्चों की माता
- जीविका के ग्राम एवं महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान— 2 सदस्य
- छात्र प्रतिनिधि (चयनित)— 2 सदस्य
- विद्यालय के वरीयतम शिक्षक— 1 सदस्य
- दाता, जिसने सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकतम भूमि दान दी हो अथवा विद्यालय निधि में 10 लाख रुपये से अधिक राशि दी हो तो उन्हें या उनके द्वारा नामित उनके परिवार का कोई 1 सदस्य (विशेष आमंत्रित)

(समिति के सचिव का चयन चयनित सदस्यों के द्वारा अपने में से बहुमत से करने का प्रावधान है।)

विद्यालय शिक्षा समिति के अधिकार

स्पष्ट है कि प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय लोगों या यूँ कहें कि सामाजिक अभिकर्ताओं को विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार बनाया गया है। ज़ाहिर है इसे व्यापक अधिकार भी दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

- विद्यालय के विधिवत संचालन का अनुश्रवण करना।
- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कोष का विद्यालय के हित में उपयोग करना।
- विद्यालय के पोषक क्षेत्र (1अथवा 3 किलोमीटर) के अंतर्गत 6–4 आयु वर्ग के सभी वर्ग के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना।
- *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के सदृश्य विद्यालय भवनों का निर्माण तथा रखरखाव करना।
- मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना एवं उसकी गुणवत्ता बरकरार रखना।
- शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
- शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ लिंग, जाति या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करने के प्रति सतर्क रहना।
- शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखना।
- नये वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के दो माह पूर्व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के देखरेख में विद्यालय की विकास योजना तैयार कर उस पर विद्यालय शिक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति हेतु ज़िला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित करना।
- अन्य ऐसे तात्कालिक कार्य जो शैक्षणिक वातावरण बहाल करने हेतु आवश्यक हों।

विद्यालय शिक्षा समिति संबंधित तमाम प्रावधानों के अध्ययन से यह तो स्पष्ट है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों की सफलता एवं असफलता को ध्यान में रखकर, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने रखकर *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* की रूपरेखा तैयार कर लागू किया गया है। विद्यालय शिक्षा समिति के गठन में इस बात पर सर्वाधिक ध्यान रखा गया है कि इस समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है। विद्यालय संबंधी कार्यों में भी इस समिति की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। यह भी 'विकेंद्रित व्यवस्था' और 'समावेशी शिक्षा नीति' का सूचक है जिसका अभाव पूर्व के प्रारंभिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था में देखा जाता रहा है।

इन सब खूबियों के बावजूद इसमें कई खामियाँ उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहले तो यह देखा गया है कि विद्यालय शिक्षा समिति की नियमित बैठकें हो रही हैं या नहीं। यदि होती भी हैं तो प्रभावशाली लोग अभिवंचित समुदाय के सदस्यों को या तो बुलाते ही नहीं हैं या फिर उनकी बातों को सुना ही नहीं जाता है। आनन-फानन में बैठक कर ली जाती है और अभिवंचित समुदाय के बच्चों के हित में कोई ठोस निर्णय भी नहीं लिया जाता है। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य को किसी भी तरह के प्रशासनिक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इस क्रम में यह भी अनुभव किया जा रहा है कि कोई सदस्य खासकर

अभिवंचित समुदाय के सदस्य यदि कोई प्रस्ताव लाते हैं या फिर जाति के आधार पर भेदभाव या फिर कोई अन्य समस्या से संबंधित प्रस्ताव हो और यदि वह अन्य समुदाय के बच्चों और शिक्षकों के हित में नहीं होता है तो प्रभावशाली सदस्य ऐसे प्रस्ताव को शामिल ही नहीं होने देते हैं। ऐसे में सदस्यों को प्रशासनिक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होने के कारण उसे लागू नहीं करवा पाते हैं।

पंचायती राज अधिनियम, 1993 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को पंचायत के दायरे में रखा गया है लेकिन इस विद्यालय शिक्षा समिति के गठन में मात्र उस वार्ड सदस्य को शामिल किया गया है जिसके वार्ड के तहत विद्यालय अवस्थित है। इसके अतिरिक्त कहीं भी ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहभागिता को शामिल नहीं किया गया है जबकि बिहार में इस स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति कई स्तरों से होती है जिसमें एक स्तर पंचायत भी है, अर्थात् पंचायत को भी अधिकार है कि वह अपने स्तर से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। एक बात यह भी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित शिक्षा समिति के सदस्यों को भी इस विद्यालय शिक्षा समिति में न तो शामिल किया गया है और न ही दोनों समितियों में किसी तरह का तालमेल स्थापित किया गया है। यहाँ विरोधाभास है कि एक ही ग्राम पंचायत में गठित दो तरह की समितियाँ अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र अस्तित्व में हैं जो व्यावहारिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस विद्यालय शिक्षा समिति में दिव्यांगों की सदस्यता को एक प्रतिनिधि के रूप में तो शामिल किया गया है लेकिन किसी दिव्यांग को सदस्य बनाने के प्रावधान को नज़रअंदाज़ किया गया है। यह एक बड़ी कमी है। साथ ही यह शिक्षा के समावेशी सिद्धांत और *विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016* का खुला उल्लंघन है। इस संदर्भ में यहाँ यह ज़िक्र करना समीचीन होगा कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने माह जुलाई, 2020 में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकशित किया जिसमें दिव्यांगों (नेत्रहीन श्रेणी) के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं था। ऐसी स्थिति में एक जनहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय, पटना ने इस रिक्ति पर आगे के निर्धारित कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया।

विद्यालय शिक्षा समिति में सदस्यों के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर चुके व्यक्ति यथा अवकाश प्राप्त शिक्षक को भी शामिल करने का प्रावधान नहीं है जिससे कि विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ मिल सके। ऐसे स्वयंसेवी संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों या फिर अन्य सरकारी संगठन यथा नेहरू युवा केंद्र द्वारा गठित युवा क्लब, महिला मंडल या फिर उनके द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक को भी शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इस अधिनियम के तहत विद्यालय शिक्षा समिति को विद्यालय के लिए वार्षिक योजना बनाने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन इस तकनीकी कार्य को करने हेतु इनके सदस्यों को किसी तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। यही नहीं इसके सदस्यों को *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के प्रावधानों को जानने और समझने के लिए न तो किसी तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और न ही उन्मुखीकरण की, जबकि अधिनियम की भावना को समझने के लिए यह परम आवश्यक है।

यह भी ध्यातव्य है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु विद्यालय के पोषक क्षेत्र का

'शैक्षणिक सहभागी आकलन' किया जाना चाहिए ताकि सदस्यों को यह ज्ञात हो सके कि किस विद्यार्थी की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति क्या है? क्यों वे अब तक प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहे हैं? आगे वे कैसे नियमित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? आदि। ऐसा करके ही विद्यालय शिक्षा समिति अभिवंचित समुदाय के बच्चों की परेशानियों का सहभागी आकलन कर पाएँगे और उसके निवारण का सटीक प्रयास कर पाएँगे तथा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूरा कर पाएँगे। यह सहभागी पद्धति से समस्याओं के सही आकलन करने की एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसे इस अधिनियम में नज़रअंदाज़ किया गया है। इस विद्यालय शिक्षा समिति में ग्रामीण लोगों से लेकर प्रखंड और ज़िला स्तर के पदाधिकारियों की भूमिका की तो चर्चा है लेकिन विद्यार्थियों के शैक्षणिक गुणवत्ता और शैक्षणिक उपलब्धि को आँकने की तकनीक की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है जो एक आवश्यक पहलू है। इस कड़ी में यह बात भी जोड़ी जा सकती है कि विभिन्न तरह की आपदा की स्थिति में विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका क्या होगी, इसे भी इस अधिनियम में नज़रअंदाज़ किया गया है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय शिक्षा समिति को सक्षम और सक्रिय बनाने के शीघ्र सुनियोजित प्रयास हों और वे विद्यालय के विकास के केंद्रबिंदु में अभिवंचित समुदाय के बच्चों की समस्याओं को रखकर विद्यालय के विकास, अनुश्रवण, उत्प्रेरण और पर्यवेक्षण की योजना बनाएँ तथा अभिवंचित वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को रेखांकित कर उसे दूर करने का प्रयास करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के तहत विद्यालय शिक्षा समिति का गठन स्थानीय स्तर पर लोक भागीदारी को सुनिश्चित कर समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिसका अभाव पूर्व के प्रयासों में था। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि विद्यालय शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली प्रभावकारी प्रतीत नहीं होती है। साथ ही विद्यालय की सामान्य समस्याओं के साथ-साथ अभिवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोई ठोस पहल भी नहीं हो रही है। इसके कतिपय कारण हैं, जिसमें मुख्य यह है कि विद्यालय शिक्षा समिति के प्रतिनिधि का सही चुनाव नहीं होता है। इन्हें विद्यालय विकास एवं प्रबंधन तथा बच्चों की समस्या से संबंधित त्वरित पहल की वित्तीय और प्रशासनिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं के बराबर होना, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने, पंचायत शिक्षा समिति के साथ मिलकर काम करने की भी परंपरा का अब तक विकसित नहीं होना, विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किए गए या फिर किए जा रहे कार्यों का कोई शोध और मूल्यांकन का नहीं होना आदि। इस तरह यह समिति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर पाने में सफल नहीं हो रही है। फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यदि विद्यालय शिक्षा समिति के प्रावधान और क्रियान्वयन में समानता होगी तो निश्चित रूप से अभिवंचित समुदाय के बच्चों के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आएगा और यह शिक्षा के सार्वभौमीकरण की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में गति प्रदान करने वाला एक 'मील का पत्थर'

साबित होगा। अब तो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020* आ गई है इसमें *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके लागू होने के बाद अभिवंचित समुदाय के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के अवसर और चुनौतियाँ दोनों और भी बढ़ जाएँगे।

संदर्भ

अंबेडकर, बी.आर. 2013. *संपूर्ण वाङ्मय.* खंड 10. पृ. 311. अंबेडकर प्रतिष्ठान, नयी दिल्ली.

झा, पंकज कुमार. 2010. *सुशासन के आईने में बिहार.* पृ. 881. प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली.

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम. 2016.

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. भारत का राजपत्र, नयी दिल्ली.

पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम. 1993.

बिहार एलिमेंटरी स्कूल एजुकेशन कमिटी एक्ट, 12 ऑफ़ 2011, (बिहार गजट, असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित)

बिहार शिक्षा समिति (संशोधित) अधिनियम, 2013. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार (अधिसूचना).

शिक्षाधिकार— अब एक मौलिक अधिकार. 2012. एसोसिएशन ऑफ़ प्रमोशन ऑफ़ क्रिएटिव लर्निंग, नरगदा, दानापुर, पटना. प्रकाशक — ऑक्सफ़ेम इंडिया, बिहार फ़िल्ड ऑफ़िस, पटना.

शिक्षाधिकार— नागरिक प्रतिवेदन. 2013. एसोसिएशन ऑफ़ प्रमोशन ऑफ़ क्रिएटिव लर्निंग, नरगदा, दानापुर, पटना. प्रकाशक — ऑक्सफ़ेम इंडिया, बिहार फ़िल्ड ऑफ़िस, पटना.

सिंह, आर.जी. 1986. *भारतीय दलितों की समस्याएँ एवं उसका समाधान.* पृ. 84. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश.

सिटिज़ंस चार्टर ऑफ़ डिमांड ऑन एजुकेशन. 2013. प्रकाशक — झारखंड राइट टू एजुकेशन फ़ोरम, झारखंड.

हिंदुस्तान. (दैनिक समाचार-पत्र). पृ. 3. पटना संस्करण, 23 जुलाई, 2020.

8

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष परिप्रेक्ष्य में समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा

नरेश कुमार*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वह शिक्षा नीति है जिसमें शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-ही-साथ छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया गया है। यह शिक्षा नीति जहाँ एक ओर प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष ज़ोर देती है; तो वहीं दूसरी ओर यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, कला, मानविकी, भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21वीं सदी की क्षमता, सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता, व्यावहारिक कौशल; जैसे— संप्रेषण, वाद-विवाद, चर्चा और एक चुने हुए क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी तथा कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएँ अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी तथा साथ ही इसमें प्रवेश एवं निकास से संबंधित बिंदुओं के अनेक विकल्प होंगे। इस शिक्षा नीति के अनुसार समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को वास्तविक धरातल पर लाने के लिए समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य शिक्षा आदि क्षेत्र सम्मिलित होंगे तथा इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की समस्त क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्वतंत्र भारत अर्थात् आज़ाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में तथा दूसरी शिक्षा नीति 1986 में देश के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के निर्माण के संदर्भ में वर्ष 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई तथा इस नीति के निर्माण अर्थात् इसको तैयार करने के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई। यह शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष ज़ोर देती है। इस शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ज़ोर देते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम के 10+2 ढाँचे की जगह 5+3+3+4 की नयी पाठ्यक्रम संरचना

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ज़िला — दक्षिण-पश्चिम, घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली 110 073

लागू की जाएगी जो क्रमश: 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 उम्र के बच्चों के लिए है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब तक दूर रखे गए 3–6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। नयी शिक्षा व्यवस्था में तीन साल की आँगनबाड़ी/प्री-स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी तथा प्री-स्कूलिंग एवं स्कूली शिक्षा को मिलाकर यह अवधि कुल 15 वर्ष की होगी। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-ही-साथ छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया गया है। वास्तव में यह नीति शिक्षा तक सबकी पहुँच को आसान बनाने, समता, गुणवत्ता और जवाबदेही आदि के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा पर विशेष बल एवं महत्व प्रदान किया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विषय में यह उल्लेखित किया गया है कि—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की विवेचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को निम्न आधारों पर प्रस्तुत एवं विवेचित किया जा सकता है—

> भारत में समग्र और बहु-विषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित/वर्णित करती है; और इन 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियांत्रिकी और साथ-ही-साथ संप्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ़्ट स्किल्स) भी शामिल हैं। — *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृ.सं. 57 एवं 58

1. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा द्वारा मनुष्य की सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना— इस नीति के अनुसार समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं, जैसे— बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, सौंदर्यात्मक, भावात्मक तथा नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, कला, मानविकी, भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21वीं सदी की क्षमता, सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता, व्यावहारिक कौशल; जैसे— संप्रेषण, वाद-विवाद, चर्चा और एक चुने हुए क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी तथा साथ ही इस तरह की समग्र शिक्षा लंबे समय तक व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों का दृष्टिकोण होगा। यह नीति इस बात पर बल देती है कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का

प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की समस्त क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा।

2. कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा देना— यह शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएँ अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी तथा साथ ही प्रवेश एवं निकास से संबंधित बिंदुओं के विकल्प होंगे। इस नीति के अनुसार इस तरह की व्यवस्था से आज की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने से संबंधित संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर (मास्टर एवं डॉक्टरेट) की शिक्षा कठोर अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-ही-साथ अकादमिक और उद्योग सहित बहु-विषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान किए जाएँगे।

3. भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए विषयों के विभागों को बहु-विषयक बनाना— इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात बड़े ही स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है कि देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में साहित्य, भाषा, दर्शन, संगीत, कला, नृत्य, शिक्षा, नाट्यकला, गणित, सांख्यिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, व्यावहारिक विज्ञान, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहु-विषयक, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित एवं मज़बूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में क्रेडिट प्रणाली अथवा व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा।

4. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा आज के विद्यालयों की ज़रूरत— इस नीति का यह अटल विश्वास है कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास में बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णित की गई है, वास्तव में आज के विद्यालयों की ज़रूरत है। जिससे कि हम 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। इस नीति के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि अभियांत्रिकी संस्थान, जैसे— आई.आई.टी. कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तथा कला और मानविकी के विद्यार्थी भी विज्ञान सीखेंगे। इस नीति के अनुसार कोशिश यही होगी कि सभी विद्यार्थी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों को हासिल करें। समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित किया गया है कि—

5. छात्रों के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, नवीन और रोचक कोर्सेस के विकल्प देना— इस नीति में छात्रों के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, नवीन और रोचक कोर्सेस के विकल्पों पर विशेष बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में इस संदर्भ में यह वर्णित

> आकलन से पता चलता है कि स्नातक शिक्षा के दौरान ऐसी शैक्षणिक पद्धतियाँ जो एस.टी.ई.एम. (विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित) के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती हैं, तो रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उच्चतर स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य

में दक्षता, संप्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं और साथ ही समग्र और बहु-विषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुई है। — *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृ.58

किया गया है कि बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्चतर गुणवत्ता की समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा छात्रों के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, नवीन और रोचक कोर्सेस के विकल्प भी दिए जाएँगे तथा साथ ही पाठ्यक्रम निर्धारित करने के संदर्भ में संकाय और संस्थागत स्वायत्तता को विशेष महत्व प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षाशास्त्र में संचार, बहस, चर्चा, अनुसंधान और अंतःविषयक सोच के अवसरों पर भी अधिक बल दिया जाएगा।

6. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करना— इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को वास्तविक धरातल पर लाने के लिए समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य शिक्षा आदि के क्षेत्र सम्मिलित होंगे।

उदाहरण के रूप में पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का प्रबंधन, वन और वन्यजीवन संरक्षण तथा सतत

मूल्य आधारित शिक्षा में निम्न शामिल हैं— मानवीय, नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वभौमिक मूल्य; जैसे— सत्य, नेक आचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन-कौशल, सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग होगा। जैसे-जैसे दुनिया तेज़ी से आपस में जुड़ती जा रही है, वैश्विक नागरिक शिक्षा (जी.सी.ई.डी.), समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया, शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों को समझने और अधिक शांति, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित और सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए प्रदान की जाएगी। — *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* पृ. 59

विकास आदि क्षेत्र सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थानों में अथवा अन्य उच्चतर शिक्षा अथवा शोध संस्थानों में इंटर्नशिप के समुचित अवसर उपलब्ध कराएँगे; जैसे— स्थानीय उद्योग, कलाकार, व्यवसाय, शिल्पकार आदि के साथ इंटर्नशिप और शिक्षकों एवं शोधार्थियों के साथ शोध इंटर्नशिप आदि, ताकि विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ जुड़ सकें तथा साथ-ही-साथ वे स्वयं के रोज़गार की संभावनाओं को भी विस्तार दे सकें।

7. डिग्री कार्यक्रमों की अवधि तथा संरचना में बदलाव करना— यह शिक्षा नीति डिग्री कार्यक्रमों की अवधि तथा संरचना में बदलाव का पुरज़ोर समर्थन करती है। इस नीति में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह वर्णित किया गया है कि डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी जिसमें उपयुक्त प्रमाण-पत्र के साथ निकास के कई विकल्प भी होंगे। उदाहरण के तौर पर इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि— व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में एक वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा और तीन वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी अथवा छात्र की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त समग्र तथा बहु-विषयक शिक्षा का अनुभव लेने का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त एक अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की जाएगी जो कि अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा जिससे कि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि विद्यार्थी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में एक जटिल शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे चार वर्षीय कार्यक्रम में 'शोध सहित' डिग्री भी प्रदान की जा सकती है।

8. विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की छूट— *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार उच्चतर शिक्षण संस्थानों को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया अथवा उपलब्ध कराने की छूट होगी। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत अथवा अनुसार— 1. ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने तीन साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें दो वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं जिसमें कि द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित हो। 2. वे विद्यार्थी जिन्होंने चार वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए एक वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है, और 3. पाँच वर्षों का एकीकृत/स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। पीएच.डी. के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या चार वर्षों की शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त इस नीति के अंतर्गत एम.फ़िल कार्यक्रम को बंद करने की अनुशंसा की गई है।

9. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना— इस नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए आई.आई.एम. एवं आई.आई.टी. आदि की तर्ज पर मेरू (बहु-विषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय) नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी एवं इन विश्वविद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा तथा साथ ही ये देश भर में बहु-विषयक शिक्षा के उच्चतम मानकों को भी स्थापित करेंगे।

10. अंतर-विषय अनुसंधान एवं नवाचार पर फ़ोकस करना— इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को भी वर्णित किया गया है कि उच्चतर शिक्षण संस्थान स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग अकादमिक जुड़ाव तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर-विषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान एवं नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा साथ-ही-साथ वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों को देखते हुए यह विशेष महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान संक्रामक रोगों, विषाणु विज्ञान (वायरोलॉजी), महामारी विज्ञान, नैदानिक उपकरण (डायग्नोस्टिक, इंस्ट्रूमेंटेशन), वैक्सीनोलॉजी और अन्य संबंधित और प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने की अगुवाई करें। इसके अतिरिक्त इस नीति में छात्र समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के संदर्भ में उच्चतर शिक्षण संस्थान विशिष्ट हैंडहोल्डिंग तंत्र विकसित करेगा तथा इस संदर्भ में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एन. आर.एफ़.) जीवंत अनुसंधान एवं नवाचार संस्कृति को सक्षम बनाने एवं समर्थन प्रदान करने तथा मदद करने के संदर्भ में कार्य करेगा।

समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने से संबंधित कुछ मुख्य चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने से संबंधित कुछ ऐसी प्रमुख चुनौतियाँ हैं जो इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। इन चुनौतियों को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है—

1. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के संदर्भ में सभी शिक्षण-संस्थानों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों आदि के बुनियादी ढाँचे अथवा संस्थागत सरंचना में विशेष बदलाव अथवा परिवर्तन लाने होंगे अथवा करने पड़ेंगे। समूचे राष्ट्र के शिक्षण संस्थानों में एक साथ इस तरह के बदलाव अथवा परिवर्तन लाना इतना आसान कार्य नहीं है। अतः समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के मार्ग में बुनियादी ढाँचे एवं संस्थागत संरचना में बदलाव करना अथवा परिवर्तन लाना इस शिक्षा के मार्ग में एक प्रमुख चुनौती कही जा सकती है जो इसके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती है।
2. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातलीय आधार प्रदान करने के लिए इससे संबंधित सभी नीतियों को समयबद्ध तरीके से बड़े ही क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके अथवा ढँग से लागू करना पड़ेगा तथा साथ ही इससे संबंधित अनेक प्रकार के क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों आदि को भी शुरु करना होगा। लेकिन प्रायः यह देखने में आता है कि संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रम समयबद्ध तरीके एवं व्यवस्थित ढँग से लागू नहीं हो पाते जिनके अभाव में इस प्रकार की शिक्षा के विचार को धरातलीय आधार प्रदान करना एक मुश्किल कार्य होगा।
3. इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता एवं विशेष पैकेज शीघ्रता से प्रदान करने होंगे जिससे कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को उचित दिशा एवं आधार प्रदान किया जा सके। वित्तीय सहायता के अभाव के कारण भी इसके मार्ग

में अनेक प्रकार के अवरोध एवं बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

4. यह नीति समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में मनुष्य की सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करने पर बल देती है। लेकिन क्षमताओं के एकीकृत विकास के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मानविकी, व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना एक कष्टकर एवं जटिल कार्य है जिसको इतनी आसानी से संपादित नहीं किया जा सकता।
5. इस नीति में विषयों के विभागों को बहु-विषयक बनाने पर बल दिया गया है, लेकिन विभागों को बहु-विषयक बनाने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के संस्थागत एवं प्रशासनिक परिवर्तनों को अमली जामा पहनाना पड़ेगा जो कि एक दुष्कर एवं कठिन कार्य है।
6. इस नीति के अंतर्गत अभियांत्रिकी संस्थान, जैसे— आई.आई.टी.; कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तथा कला और मानविकी के विद्यार्थी भी विज्ञान सीखेंगे। लेकिन वे विद्यार्थी जो पहले से ही विज्ञान विषय में रुचि नहीं रखते या वे विद्यार्थी जो कला अथवा मानविकी के विषयों में रुचि नहीं रखते तो उनके लिए समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का क्या औचित्य होगा और वे किस प्रकार इस प्रकार की शिक्षा के मध्य समन्वय अथवा सामंजस्य स्थापित कर पाएँगे।
7. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में मेरू नामक सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, जैसे— कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँगे, कहाँ स्थापित किए जाएँगे, उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उनमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी, क्या वर्तमान विश्वविद्यालयों को भी मेरू नामक सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में सम्मिलित किया जाएगा आदि; इसके अतिरिक्त इन विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना अपने आप में बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।
8. इस संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा के क्रियान्वयन को लेकर है अर्थात् इस प्रकार की शिक्षा के क्रियान्वयन का आधार क्या होगा? समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम कैसे बदलेंगे अथवा उनकी प्रक्रिया क्या होगी तथा इससे संबंधित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को किस तरह पूरा किया जाएगा अर्थात् उनके व्यवहार में कैसे क्रियान्वयन एवं संपादन किया जाएगा, इसमें स्पष्टता की कमी है।
9. समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त अथवा प्रकट करती है। लेकिन गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा अथवा उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग किस तरह से किया जाएगा अर्थात् उसको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाएगा, उसके प्रमुख पक्ष कौन-कौन से होंगे एवं उनका प्रमुख आधार क्या होगा, यह भी एक प्रमुख चुनौती इस संदर्भ में परिलक्षित होती है।
10. इस शिक्षा के संदर्भ में एक अन्य और विशेष चुनौती स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को

लेकर भी हो सकती है। शिक्षण प्रक्रिया एवं अधिगम के संदर्भ में भाषाओं को लेकर विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है तथा साथ ही अंग्रेज़ी और गैर-अंग्रेज़ी माध्यम से सीखने अथवा पढ़ने वालों विद्यार्थियों में रोज़गार के अवसरों में अंतर बढ़ने से संबंधित चुनौती इस संदर्भ में प्रस्तुत हो सकती है।

11. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में एक अन्य चुनौती विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्थापित करने के संदर्भ में भी हो सकती है। विदेशी विश्वविद्यालय एक खास विचारधारा एवं मुनाफ़े को लेकर कार्य करेंगे तथा साथ ही वे स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा वाली रणनीति अपनाएँगे। इसके अतिरिक्त विदेशी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेना तथा शिक्षा प्राप्त करना भी महँगा हो सकता है तो ऐसी स्थिति में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने एवं उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ एवं अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त आधारों एवं पक्षों की विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज एवं ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत समग्र और बहु-विषयक शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे— समग्र और बहु-विषयक शिक्षा द्वारा मनुष्य की सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना, कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा देना, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए विषयों के विभागों को बहु-विषयक बनाना, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा आज के विद्यालयों की ज़रूरत, छात्रों के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, नवीन और रोचक कोर्सेस के विकल्प देना, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करना, डिग्री कार्यक्रमों की अवधि तथा संरचना में बदलाव करना, विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की छूट, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, अंतर-विषय अनुसंधान एवं नवाचार पर फ़ोकस करना आदि जो इसे अपने आप में वर्तमान समय में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि इस शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के संदर्भ में कुछ ऐसी चुनौतियाँ एवं समस्याएँ भी हैं जो इसके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती हैं। यदि हम इन चुनौतियों एवं समस्याओं का डटकर मुकाबला करें तथा इनके संदर्भ में समयबद्ध एवं क्रमबद्ध तरीके से विशेष रणनीतियों एवं आव्यूह रचनाओं का निर्माण करें और उनको व्यावहारिक रूप से अनुप्रयोग में लाएँ तो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर आसानी से उतारा जा सकता है।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

https://innovateindia.mygov.in/nep2020/

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5294663_Salient-Featuresofnep-Eng-merged.pdf

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/explained-how-will-nep-2020-change-the-education-system-in-india-1767385-2021-02-09

9

वर्तमान समय में शिक्षक और शिक्षार्थियों के संबंधों की समीक्षा एवं उपाय

चित्ररेखा*
मनोज कुमार**

वैसे तो गुरु या शिक्षक का कोई रूप नहीं होता। वह किसी भी रूप में हो सकता है अर्थात् जिससे हम कुछ सीखते हैं या जो हमारा मार्गदर्शन करता है, वह ही हमारा गुरु कहलाता है। हमारा शिक्षक/गुरु मानव और किताबों आदि के रूप में भी हो सकता है। किताबों में दी गई जानकारियाँ, कहानियाँ या घटनाएँ आदि भी हमारे लिए मार्गदर्शक और गुरु का कम कर देती हैं, जैसे मणिपुर के नौंगपोक काकचिंग गाँव के एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाली मीराबाई चानू की जिंदगी का लक्ष्य आठवीं कक्षा की किताब में दी गई वेटलिफ़्टर कुंज़रानी देवी के एक ज़िक्र ने बदल दिया और आज वे एक प्रसिद्ध वेटलिफ़्टर हैं। परंतु इस लेख में हम ऐसे शिक्षक की बात कर रहे हैं जो जीवित है, मानवीय गुणों से संपन्न है। जो अक्षर ज्ञान कराकर हमारे अंदर ज्ञान व समझ का संचार करता है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष व औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के संपर्क में रहता है। यह बात सार्वभौमिक सत्य है कि शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परंतु कुछ समय से शिक्षक का शिक्षार्थी पर और शिक्षार्थी का शिक्षक पर से विश्वास, स्नेह, लगाव, सम्मान, आदरभाव आदि कहीं कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस लेख में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों की महत्ता की समीक्षा करने के साथ-साथ उन कारकों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है जिनके कारण आज इनके मध्य पारस्परिक संबंधों की दूरी बढ़ रही है और दूरी को कम करने के राष्ट्रीय व राज्य सरकार (दिल्ली) द्वारा किए गए उपायों पर भी चर्चा की गई है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक का काम सिर्फ़ छात्रों को शिक्षा देना ही नहीं है बल्कि शिक्षक को छात्रों का बौद्धिक विकास करने के साथ-साथ उनमें देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना भी जाग्रत करनी चाहिए। शिक्षक को सिर्फ़ शिक्षा देकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए बल्कि छात्रों से अपने लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान भी हासिल करना चाहिए इसलिए उसे निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए।

शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों पर चर्चा करने से पूर्व यह जानने की आवश्यकता है कि शिक्षक कौन है? शिक्षक जिससे गुरु/अध्यापक/शिक्षक/आचार्य

*सहायक प्रोफ़ेसर, (एल.एस.ई), करिकुलम एंड पैडागॉजी, मण्डलीय संस्थान, (डी.आई.ई.टी. दक्षिण-पश्चिम) घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली 110 073
**टी.जी.टी., सोशल साईंस, (शिक्षा विभाग) रा.व.मा.बा.वि. मोती बाग-1, नयी दिल्ली 110 021

आदि के नाम से जाना जाता है। यह वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान से समाज को प्रकाशित करता है, जो अज्ञान रूपी अँधेरे में आशा का दीप जलाने का प्रयास करता है और संपूर्ण समाज की अज्ञानता को ज्ञान व समझ में परिवर्तित करता है। इस प्रकार गुरु का अर्थ है अंधकार (अज्ञानता) को हटाने वाला। शिक्षक कुएँ में पाई जाने वाली उस लता के समान है जिसके माध्यम (सहारे) से छात्र कुएँ (अज्ञानता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, गुलामी) से बाहर निकल पाता है। शिक्षक न केवल वर्तमान अपितु भविष्य का रचयिता होता है। यह अपने शिष्य को सफलता की ऊँचाईयों तक पहुँचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और स्वयं एकांत में खड़े होकर अपने शिष्य की सफलता पर फ़ख्र एवं गर्व महसूस करता है। उसका ज्ञान, समझ व अनुभव उसके पास वह बेशकीमती पूँजी है जिससे वह एक सभ्य एवं विकसित समाज एवं राष्ट्र की स्थापना कर सकता है। समाज में एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो अपने चिंतन व ज्ञान से आशावादी, समीक्षावादी व स्वतंत्र सोच की नींव रख सकता है। अपने ज्ञान व सोच से न केवल छात्रों की सोच, चिंतनशक्ति, सृजनात्मक शक्ति, कल्पनाशक्ति व निर्णयशक्ति को बदलने की क्षमता रखता है बल्कि समाज में भी अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता भी रखता है। इसलिए अध्यापक की एक चूक का असर समस्त वर्तमान व भावी पीढ़ी पर पड़ता है। शिक्षक और शिष्य दोनों एक कड़ी से जुड़े हैं जिसके एक छोर पर शिक्षक है और दूसरे छोर पर शिक्षार्थी/शिष्य।

शिक्षार्थी

शिष्य जिसे शिक्षार्थी/छात्र/विद्यार्थी आदि के नाम से जाना जाता है। शिष्य वह है जो ज्ञान का अर्जन करता है। वह किसी भी उम्र का हो सकता है। वैसे तो हम सभी अपने ज्ञान का अर्जन एवं निर्माण स्वयं करते हैं परंतु स्वयं ज्ञान का निर्माण कैसे करें? हमारा मार्गदर्शन कौन करे? किसकी निगरानी में हम नए ज्ञान का सृजन करें? कौन हमें गलत और सही की जाँच करने के लिए प्रेरित करे आदि? ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो शिक्षक की आवश्यकता एवं महत्ता की ओर इशारा करते हैं।

यह कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माता होती है और प्रथम विद्यालय उसका घर होता है। परंतु आगे कि औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के मार्ग में शिक्षार्थी को और अन्य शिक्षक भी मिलते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उसका मार्गदर्शन करते हैं इसलिए किसी व्यक्ति के जीवन में एक ही गुरु या शिक्षक हो यह आवश्यक नहीं है।

शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंधों की महत्ता

शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंधों से तात्पर्य उनके परस्पर विश्वास, सहयोग, स्नेह, लगाव, मैत्रीपूर्ण व्यवहार एवं एक-दूसरे के प्रति सम्मान आदि से है। शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क का सही प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और शिक्षक इसके सही प्रयोग में सहायता करता है। शिक्षक, शिक्षार्थी का आईना होता है जो हर वक्त अपने शिष्य को हकीकत व वास्तविकता से रूबरू कराता है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपने शिक्षार्थियों को डाँटता भी है

और आवश्यकता के अनुसार उन्हें दुलार भी करता है तभी तो कहा गया है कि 'गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट'।

शिक्षक अपने विचारों एवं व्यवहार से छात्रों व समाज को अपना गुलाम नहीं बनाता अपितु स्वतंत्र चिंतन एवं स्वयं की निर्णय शक्ति के द्वारा उन्हें अपने स्वयं के गुणों से अवगत कराने का प्रयास करता है। वह हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है जैसे गुरु सुकरात ने अपने शिष्यों व समाज से कहा था, अपने आप को पहचानो अर्थात् अपनी शक्तियों को पहचानो जिनके द्वारा हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि सच्चा ज्ञान व वास्तविक ज्ञान संभव है, बशर्ते (उसके लिए ठीक तौर पर प्रयास किया जाए) वे बातें जो हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं उन्हें तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनेक परखों एवं जाँच के बाद हम एक सच्चाई एवं वास्तविकता पर पहुँच सकते हैं जो हमें भ्रमों से बाहर निकालकर हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। इस प्रकार शिक्षक हमें बताता है कि हमें अपनी अज्ञानताओं का भी ज्ञान होना चाहिए।

शिक्षक, छात्रों को सपने दिखाता नहीं है वरन् उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता भी करता है। वह विभिन्न व्यवसायों, जैसे— डॉक्टर, खिलाड़ी, व्यापारी, इंजीनियर, वकील आदि बनने में उनका मार्गदर्शन करता है। छात्रों को हीरे की तरह तराशता है और उनकी प्रतिभाओं को सामने ले कर आता है। इसकी पुष्टि इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के संबंधों से भी की जा सकती है कि किस प्रकार आचार्य चाणक्य/विष्णु गुप्त ने एक सामान्य से बालक चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को पहचान कर उसे अखंड भारत का महान सम्राट बना दिया। यही रिश्ता गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच देखा जा सकता है कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक महान धनुर्धर बना दिया। गुरु-शिष्य के ऐसे संबंधों के विभिन्न उदाहरण हम अपने समाज में देख सकते हैं।

शिक्षक नि:स्वार्थ होकर अपने शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। वह कई बार स्वयं इतना सफल नहीं हो पाता पर अपने शिष्यों को अवश्य सफल बनाता है। वह अपने अनुभवों व ज्ञान के माध्यम से अपने छात्रों को वह शिक्षा देता है जिससे कि वे उस सफलता को हासिल कर पाते हैं जिसके कि वे योग्य होते हैं। यह उदाहरण हम वर्तमान समय के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और उनके गुरु रमाकांत विठ्ठल आचेरकर के मध्य देख सकते हैं कि किस प्रकार बतौर खिलाड़ी उनका करियर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वे अपने जीवन काल में सिर्फ़ एक ही फ़र्स्ट क्लास मैच खेल पाए परंतु सचिन तेंदुलकर को उन्होंने क्रिकेट की दुनिया का महान खिलाड़ी बना दिया। इसी प्रकार सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जो पिता की मृत्यु और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्वयं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला न ले सके। उन्होंने उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया बल्कि गरीब बच्चों की काबिलियत को समझते हुए और उनके सपनों को साकार करने के लिए आई.आई.टी. की मुफ़्त में कोचिंग दे रहे हैं।

हमारे समाज में शिक्षकों को भगवान तुल्य माना जाता है। उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता है। इसलिए कहा भी गया है— 'गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु

गुरुर देवो महेश्वर:। गुरु: सक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नम:'। किसी भी काम के लिए उनकी राय ली जाती थी, ली जाती है और ली जाती रहेगी। जहाँ एक तरफ़ शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य घनिष्ठता थी; शिक्षार्थी व समाज में शिक्षकों का इतना सम्मान दिया जाता था, वहीं आज के समय में शिक्षक के सम्मान और शिक्षार्थी के संबंधों में कहीं न कहीं कमी आ रही है। आज उन कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है कि कौन-से ऐसे कारक हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं?

शिक्षकों और शिक्षार्थी के आपसी संबंधों में कमी के लिए ज़िम्मेदार कारक

1. कारण जिनके लिए शिक्षक स्वयं उत्तरदायी हो सकते हैं

मानवीय व भावात्मक संबंध की उपेक्षा करना और केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रहना—

पाठ्यवस्तु की अधिकता के कारण कई बार हमारे शिक्षक पाठ्यक्रम की उतनी विषयवस्तु तक ही सीमित रहते हैं जितना कि छात्रों की परीक्षा के लिए आवश्यक है उनका उद्देश्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त कराना होता है जिसके कारण वे छात्रों के साथ कक्षा में कोई मानवीय व भावात्मक संबंध नहीं बना पाते और कक्षा में जाते ही पढ़ना शुरु कर देते हैं। वे नहीं जानते कि उनका शिक्षार्थी कौन है? उसका पारिवारिक परिवेश कैसा है? उसका अधिगम स्तर क्या है? आदि। वे छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचि का ध्यान न रखते हुए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं उनकी भावनाओं का सम्मान भी नहीं करते, जिससे छात्रों से उनके संबंधों में नीरसता आने लगती है। छात्र भी ऐसे शिक्षकों को न केवल कम पसंद करना शुरु कर देते हैं बल्कि ऐसे शिक्षकों के लिए उनका सम्मान भी कम हो जाता है।

विषय संबंधी ज्ञान का अभाव होना—

हमारे शिक्षार्थी जिज्ञासु प्रवृति के होते हैं, वे हमेशा नए ज्ञान की माँग करते हैं और एक जैसी बातों को बार-बार सुनना पसंद नहीं करते। उनकी हमेशा यह अपेक्षा रहती है कि उनकी समस्याओं का हल उनके शिक्षकों के पास अवश्य मिलेगा और ऐसी दशा में जब शिक्षक उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाते या असफल हो जाते हैं, तब उनका भरोसा उन शिक्षकों पर से उठ जाता है। दूसरा एक कटु सत्य यह भी है कि नौकरी पाने के बाद हमारे बहुत से शिक्षक अपने आप को सुरक्षित समझ, अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वे नयी जानकारियाँ एकत्रित नहीं करते और न ही अपने छात्रों के साथ उन्हें साझा करते हैं जिसके कारण विषय पर उनकी पकड़ नहीं बन पाती और छात्र उनसे प्रभावित नहीं हो पाते परिणामस्वरूप शिक्षक के सम्मान में कमी आने लगती है।

शिक्षक का नज़रिया संकुचित होना व व्यावसायिक हो जाना—

वर्तमान समय में शिक्षक कहीं न कहीं स्वार्थी होता जा रहा है। वह अपने हितों के प्रति सजग होने के साथ-साथ अपनी तरक्की के विषय में अधिक सोचने लगा है। वह छात्र केंद्रित होने के स्थान पर आत्मकेंद्रित और आर्थिक केंद्रित होता जा रहा है और परिणामस्वरूप धीरे-धीरे व्यवसायी होता जा रहा है। कक्षा में शिक्षण के अपेक्षा प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग देने में रुचि व विश्वास रखने लगा है। हाँलाकि, शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत इस पर रोक लगाई गई है परंतु फिर भी चोरी छुपे वह इस काम को करने का प्रयास करता है। समाज सेवा का भाव उनसे कहीं दूर होता जा रहा है। नैतिक, भावात्मक, सामाजिक आदि मूल्य भी उनमें कम होते जा रहे हैं।

उसने अपनी भूमिका को सिर्फ़ विषयवस्तु के संप्रेक्षण तक ही सीमित कर लिया है जिसके कारण वह स्वयं छात्रों के साथ मानवीय संबंध बनाना पसंद नहीं करता और स्वयं उनसे एक दूरी बनाकर रखता है।

शिक्षण व तकनीकी कौशलों और उनसे संबंधित योग्यता का अभाव होना—

इस बात से आज इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे बहुत से शिक्षक शिक्षण कौशलों एवं तकनीकी ज्ञान में इतने निपुण नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। वे न तो उचित प्रकार से उनका प्रशिक्षण लेते हैं और न ही उसमें रुचि लेते हैं। आज भी परंपरागत विधियों व पुरानी तकनीक से पढ़ाना पसंद करते हैं। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया निष्क्रिय एवं नीरस रहती है। वे छात्रों को कोई नयी चुनौती इस डर से नहीं दे पाते कि कहीं उनकी कमी के बारे में छात्रों को पता न चल जाए या उन्हें स्वयं कोई नया काम करना न पड़ जाए। जिसके कारण छात्रों के सम्मुख उनकी छवि खराब हो जाती है और छात्र उन्हें पसंद नहीं करते और उनसे दूरी बनाने लगते हैं।

व्यक्तित्व एवं व्यवहार का प्रभावी न होना व पक्षपाती होना—

यह सर्वमान्य सत्य है कि आज भी हमारा समाज व शिक्षार्थी केवल उन शिक्षकों का सम्मान, स्नेह व आदर करना पसंद करते हैं जिनका व्यक्तित्व एवं व्यवहार प्रभावी होता है और जो साधारण जीवन और उच्च विचारों में विश्वास रखते हैं। व्यक्तित्व से अभिप्राय है कि शिक्षक के आंतरिक व बाहरी गुण अर्थात् शिक्षक की सोच, निर्णय शक्ति, भाषा, संप्रेषण, व्यवहारवादी कौशल आदि में संपन्न होना। जब तक शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावी नहीं होता तब तक वह छात्रों के साथ मधुर संबंध नहीं बना पाता। उसकी विषय पर पकड़, भाषा पर नियंत्रण, शब्दावली का चयन, समय की पाबंदी के साथ-साथ कथनी व करनी आदि में अंतर नहीं होना चाहिए। आज के हमारे शिक्षकों के पास सैद्धांतिक ज्ञान तो बहुत है परंतु व्यावहारिक ज्ञान के क्षेत्र में अभी भी वे पिछड़े हुए हैं। वे अपने तानाशाही रवैये, पक्षपाती व्यवहार, कक्षा में देरी से पहुँचना व अकुशल संप्रेषण कौशल आदि के कारण भी अपनी छवि को खराब कर लेते हैं। एक शिक्षक को पक्षपाती नहीं होना चाहिए। शिक्षक सभ्य समाज का निर्माता है हमारा समाज उनकी कही बातों व उनके आचरण का अनुसरण करता है। यदि वे कोई भी गलती करते हैं तो हमारा समाज उनके द्वारा की जाने वाली गलतियों को जल्दी से माफ़ नहीं करता। जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने भले ही अर्जुन को एक महान धनुर्धर बना दिया परंतु इतिहास में आज भी एकलव्य के साथ उनके पक्षपाती व्यवहार को भुलाया नहीं जाता।

बदलते समय में शिक्षक का समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित न होना—

हमारा समाज निरंतर गतिशील है। वैश्वीकरण, सार्वजनीकरण, निजीकरण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक संदर्भों में परिवर्तन के कारण हमारी परिस्थितियाँ निरंतर परिवर्तनशील हैं। इन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप छात्रों को बदलने अर्थात् उनके ज्ञान, समझ व व्यवहार में परिवर्तन लाने की मुख्य ज़िम्मेदारी एक शिक्षक की ही होती है, परंतु हमारे बहुत से शिक्षक अभी भी लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। बदलते समय में शिक्षक की भूमिका के कुशल निर्वहन के लिए एक शिक्षक को—

- विद्यार्थियों की समझ होनी चाहिए।

- अपने विषय पर अच्छी पकड़ होने के साथ-साथ एक अच्छा ज्ञाता होना चाहिए।
- कक्षा-कक्ष प्रबंधन में निपुणता होनी चाहिए।
- एक कुशल अवलोकनकर्ता, निरीक्षक एवं मूल्यांकनकर्ता होना चाहिए।
- सृजनात्मक व समीक्षात्मक सोच के साथ स्वयं निर्णय लेना आना चाहिए।
- निरंतर ज्ञान प्राप्ति की अग्रसर एवं जिज्ञासु रहना चाहिए।
- समाज में होने वाले परिवर्तन एवं सम-सामयिक घटनाओं की तथ्यों के अनुसार जानकारी होनी चाहिए।
- विषय सामग्री के उचित निष्पादन के लिए अन्य शिक्षण कौशलों, जैसे— जिज्ञासा प्रकट करना, पूछताछ करना (प्रश्न करना), उदाहरण या दृष्टांत देकर समझाना, वर्णन करना, चित्रण करना, व्याख्या करना, संग्रह करना, प्रदर्शित करना, विचार विमर्श करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, संचालन करना, निर्णय करना आदि कौशलों का उचित समझ के साथ प्रभावी एवं समुचित प्रयोग करना आना चाहिए।
- नेतृत्व के साथ-साथ एक प्रभावी प्रबंधक अर्थात् समय, धन, भौतिक संसाधनों तथा सुविधाओं के साथ-साथ मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का भी गुण होना चाहिए। कक्षा के अंदर व बाहर के अधिगम वातावरण में उचित सामंजस्य बनाना आना चाहिए।
- विद्यालयी व सामुदायिक संसाधनों का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में भरपूर उपयोग करते हुए अध्यापक को अपने अध्यापन कार्य को संगठित, नियोजित और कार्यान्वित करने का हुनर आना चाहिए।
- विषयवस्तु एवं शिक्षण-अधिगम विधि के अनुरूप शिक्षण-अधिगम सामग्री का चुनाव एवं उसका प्रयोग करना आना चाहिए।
- विभिन्न शिक्षण-अधिगम विधियों का ज्ञान होने के साथ-साथ विषयवस्तु के अनुसार उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन आना चाहिए।
- स्वयं के व्यवहार एवं निजी अनुभवों से छात्रों को प्रभावित एवं प्रेरित करना चाहिए।
- प्रधानाचार्य, छात्रों व समाज के साथ सहयोग से काम करना आना चाहिए।
- संप्रेषण कौशल में प्रवीणता होनी चाहिए ताकि अपनी बात प्रभावी ढंग से छात्रों तक पहुँचा सकें।
- सांस्कृतिक विविधता में काम करने वाला होना चाहिए।
- तकनीकी अर्थात् उपकरणों के संचालन की समझ होनी चाहिए।
- मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता होना चाहिए।

इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि हमारे शिक्षक मेहनती नहीं है या फिर अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है परंतु कहीं न कहीं एक तरफ़ जहाँ उपरोक्त योग्यताओं व क्षमताओं में कमी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ़ हमारे कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कार्यशैली, आचरण, प्रतिभा, योग्यता आदि से एक गलत उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके कारण आज शिक्षक समाज पर अँगुली उठने लगी है जिस तरह एक एक मछली जैसे सारे तालाब के जल को गंदा कर देती है, उसी प्रकार कुछ

शिक्षकों ने पूरे शिक्षक समाज के सम्मान को धूमिल करने का प्रयास किया है।

2. कारण जिनके लिए शिक्षार्थी उत्तरदायी हैं

शिक्षार्थियों का बदलता हुआ व्यवहार व घटते हुए नैतिक मूल्य—

हमारे व्यवहार में तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन में अधिकांश योगदान हमारे पारिवारिक परिवेश, मित्र मंडली, सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया का है। हम उस काम को और उन बातों को अपने व्यवहार में ज़्यादा अपनाते हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक होती हैं, चाहे भविष्य में उसके परिणाम घातक क्यों न हों। यही कारण है कि आज हमारे शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत व्यवहार में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। धीरे-धीरे हमारे छात्र नैतिक, सांस्कृतिक व आदर्श मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। आधुनिकता के इस समय में वे माता-पिता का सम्मान व शिक्षकों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं और उनके दायित्व को अपनी तरफ़ से सीमित करने लगे हैं, उनके अनुसार माता-पिता का दायित्व, उनका पालन-पोषण करना व उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है और इसी प्रकार शिक्षक का काम उन्हें पढ़ाना होता है जिसका कि उसे वेतन मिलता है। इसके अलावा माता-पिता व शिक्षकों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं होती। यदि उन्हें कुछ समझाया जाता है तो वे उसे आधुनिक युग में मानसिक संकीर्णता का उदाहरण बताते हैं। इसलिए यह कहना भी आज अनुचित न होगा कि 'आधुनिकता व संकीर्णता' दो ऐसे रक्षात्मक शब्द कहे जा सकते हैं जिनकी आड़ में हम कई बार अपनी गलत बातों, गलत सोच को सही साबित करने की कोशिश करते हैं।

पारिवारिक वातावरण—

किसी बच्चे के पालन-पोषण एवं सामाजीकरण में सबसे अधिक योगदान उसके परिवार के सदस्यों एवं उसके माता-पिता का होता है। यदि माता-पिता के संबंध अपने बच्चों के साथ अच्छे नहीं होते या फिर माता-पिता उनकी गलत बातों का समर्थन करते हैं तब इन दोनों ही स्थिति में छात्र न तो शिक्षक का सम्मान करते हैं और न ही समाज के अन्य लोगों का सम्मान करते हैं। ऐसे बच्चे झगड़ालू, आक्रामक, चिड़चिड़े व अवज्ञाकारी बन जाते हैं। उनमें कोई न कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है।

शिक्षार्थी का स्वार्थी होना—

जहाँ एक तरफ़ हम बात करते हैं कि हमारा शिक्षक कहीं न कहीं स्वार्थी होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ देखें तो आज का हमारा शिक्षार्थी भी स्वार्थी हो गया है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब उन्हें काम होता है या परीक्षा निकट होती है तब वे शिक्षक का सम्मान, आज्ञा का पालन व शिक्षकों के संपर्क में आने लगते हैं और जैसे ही परीक्षा या काम खत्म होता है, शिक्षक से संपर्क खत्म कर देते हैं जो शिक्षकों से उनके प्रति लगाव को कम करता है।

मोबाइल, मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप आदि पर आश्रित व उसकी लत होना—

आज के समय में छात्र कम समय में अधिक जानकारी विभिन्न स्रोतों से हासिल कर लेता है और उसकी जाँच भी आसानी से कर लेता है इसलिए शिक्षक पर उसकी निर्भरता कम होती जा रही है और आपस की दूरी भी बढ़ती जा रही है मोबाइल, मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि का सकारात्मक प्रयोग जहाँ फ़ायदा पहुँचाता है वहीं दूसरी तरफ़ इनके

अत्याधिक प्रयोग व लत से कई स्वास्थ्य संबंधी रोगों को भी जन्म मिलता है, जैसे छात्रों का चिड़चिड़ा व आक्रामक होना जिसके कारण उनके सामाजिक व भावात्मक व्यवहार में कमी आई है।

3. कारण जिनके लिए तकनीकी उत्तरदायी हैं

आज का युग टेक्नॉलॉजी अर्थात् तकनीकी का युग है। इस युग को कल युग अर्थात् मशीनी युग भी कहते हैं। मशीनों में क्योंकि संवेदनाएँ नहीं होतीं इसलिए वे एक संवेदनहीन समाज को बढ़ावा देती हैं, परिणामस्वरूप हमारे छात्र दूसरे की समस्याओं एवं भावनाओं की तदनुभूति नहीं कर पाते और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे बहुत से शिक्षार्थी भी आगे चलकर शिक्षक बनते हैं, तब उस समय वे कैसे एक अच्छे शिक्षार्थी का निर्माण करेंगे जब वे स्वयं में अधूरे हैं।

4. कारण जिनके लिए सरकार की नीतियाँ एवं बदलता हुआ स्वरूप उत्तरदायी है

ऐसा नहीं है कि पुराने समय के हमारे छात्रों में भावनाएँ, संवेदनाएँ, आत्मसम्मान नहीं था या वे बेइज़्ज़ती, अपमान, निरादर, तनाव जैसे शब्दों से परीचित नहीं थे या इन्हें महसूस नहीं करते थे या उनके माता-पिता व शिक्षक अपने बच्चों या छात्रों की शिक्षा या भलाई नहीं चाहते थे। वास्तविकता यह है कि उस समय की शिक्षा प्रणाली में या समाज में इन शब्दों की उपयोगिता को इतनी एहमियत नहीं दी जाती थी। दूसरा शिक्षक, शिक्षार्थी और माता-पिता आत्मीयता और अपनेपन की भावना से इतने जुड़े हुए थे कि शिक्षार्थी, शिक्षक द्वारा कही हुई हर बात को अपनी-अपनी भलाई के संदर्भ में कही हुई बात मानते थे। परंतु आज के समय में हमने बेइज़्ज़ती, अपमान, निरादर, तनाव जैसे शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग किया है कि आज एक छोटा-सा 4–5 साल का बच्चा भी उन्हें कुछ समझाने पर बेइज़्ज़ती महसूस करता है हाँलाकि, उसे इन शब्दों का ढँग से मतलब भी नहीं पता होता। वह बस इतना जानता व समझता है कि यदि उसे किसी के सामने समझाया गया या कुछ कहा गया तो उसकी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, जो कि गलत है। इस प्रकार से इन शब्दों के बार-बार वर्णन एवं रिवायत ने कहीं न कहीं हमारे छात्रों को मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है। जिसके कारण सामाजिक समायोजन व सहनशीलता की कमी आ रही है वे शिक्षक की हर छोटी बात को महसूस करने लगते हैं और बहुत जल्दी बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं। सरकार की नीतियों को और शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप ने भी इस खाई को बढ़ाने में कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है, जैसे शिक्षा का अधिकार की धारा 17 के अनुसार शारीरिक व मानसिक सज़ा पर रोक लगाना अपने आप में बिल्कुल जायज़ है। इस पर रोक लगनी भी चाहिए थी क्योंकि इसके कारण छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा आती है। परंतु छात्रों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरु कर दिया। अब वे शिक्षक के ज़रा से धमकाने व समझाने पर भी कई बार उसके खिलाफ़ हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ़ शिक्षक भी छात्रों के गलती को बताने व उन्हें समझाने से डरने लगे हैं जिसके कारण दोनों के मध्य अपनेपन की भावना व एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में कहीं न कहीं कमी आई है।

विद्यालय से निष्कासित करने पर रोक या फ़ेल करने पर रोक या मूल्यांकन की नीति की बात करें तो इन नियमों के द्वारा शिक्षक की स्वतंत्र निर्णय शक्ति को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की दूरी को बढ़ाने में सहायक हुए हैं।

किताबी ज्ञान पर निर्भरता—

किसी भी छात्र का मूल्यांकन उसके अंको के आधार पर न होकर उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए परंतु हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति व हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कहीं न कहीं किताबी व सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल देती है और अंको के आधार पर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करती है। किताबी व सैद्धांतिक ज्ञान और अंको पर अधिक निर्भरता ने भी संबंधों की दूरी को बढ़ाने का प्रयास किया है। जिसके कारण छात्र और शिक्षक सिर्फ़ उसी विषयवस्तु के इर्दगिर्द ही घूमते रहते हैं।

शिक्षण के अलावा शिक्षक को विद्यालय के अन्य कार्यों में संलग्न करना—

यदि हम विद्यालयी शिक्षा की बात करें तो हमारे शिक्षक के पास अध्यापन के अलावा स्कूल व समुदाय के इतने कार्य होते हैं कि वे चाहकर भी अपने छात्रों को उतना समय नहीं दे पाते जितना कि उन्हें देना चाहिए। इसका प्रभाव यह होता है कि हमारे छात्र ये समझने लगते हैं कि हमारे शिक्षक कामचोर हैं जो विद्यालय आने पर भी हमारी कक्षा में नहीं आते।

5. कोरोना महामारी

कोरोना महामारी के समय में मोबाइल, मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप आदि पर हमारी व हमारे छात्रों की निर्भरता और शिक्षक से परस्पर प्रत्यक्ष संवाद की दूरी बढ़ी है। मोबाइल, मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप आदि के अत्याधिक प्रयोग ने छात्रों के मानसिक तनाव को बहुत बढ़ाया है। इसका असर उनकी स्मरण शक्ति एवं आँखों की रोशनी पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है जिसके कारण छात्र अब ऑनलाइन कक्षा लेने से कतराते हैं जिस कारण से शिक्षक और छात्रों के मानवीय संबंधों में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। यह कहना अनुचित होगा कि संबंधों में कमी की शुरुआत कोरोना के समय में आई, क्योंकि इसकी शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी थी।

शिक्षक और शिक्षार्थी के संबधों में मधुरता, विश्वास व निकटता लाने हेतु किए गए उपाय

शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। उसका निजी व्यक्तित्व, आचरण एवं शैक्षिक योग्यता छात्रों की मानसिकता पर बहुत प्रभाव डालती है। इस दिशा में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968* और *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* में निम्न क्षमताओं व योग्यताओं के विकास पर बल दिया गया।

- शैक्षिक क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने एवं सोचने की क्षमता।
- उत्प्रेरक एवं समझदार लोगों के साथ कार्य करने की योग्यता।
- समझ एवं अनुभव के आधार पर नेतृत्व करने की क्षमता।
- सृजनात्मक एवं स्थिर कार्य करने की योग्यता।
- मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों को संगठित करने की योग्यता।
- समाज एवं शासन के विभिन्न विभागों के साथ कार्य करने की योग्यता।
- उपलब्धि के लिए उच्च अभिप्रेरणात्मक आवश्यकताएँ होना।
- उत्तरदायित्व स्वीकारने एवं ज़िम्मेदारियों को समझने की इच्छाशक्ति तथा उच्च अंतर्वैयक्तिक कौशल।
- पूर्व सेवाकालीन और सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण पर बल देना।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अध्यापकों के आवश्यक तैयारी हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं—

- शिक्षकों की ऐसी तैयारी ज़रूरी हो कि वे विद्यार्थियों का ध्यान रख सकें और उनके साथ रहना पसंद करें।
- सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में विद्यार्थियों को समझ सकें।
- ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाले हों।
- शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखें तथा निर्माण को मननशील अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें।
- ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर साझा संदर्भों और व्यक्तिगत संदर्भों में उसके निर्माण को देखें।
- समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें और बेहतर विश्व के लिए काम करें।
- उत्पादक कार्य के महत्व को समझें तथा कक्षा के बाहर और अंदर व्यावहारिक अनुभव देने के लिए कार्य को शिक्षण का माध्यम बनाएँ।
- पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके नीतिगत निहितार्थ एवं पाठों का विश्लेषण करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षक की महत्ता को स्वीकार करते हुए यह माना गया कि शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को आकार देते हैं और शिक्षक समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर न केवल छात्रों के व्यवहार में आए नकारात्मक परिवर्तनों में सुधार कर सकता है बल्कि अपने अथक प्रयासों से वह छात्रों को अपनी ओर नज़दीक लाकर उनमें अपने प्रति पुन: विश्वास जाग्रत कर सकता है। शिक्षकों की कुशलता बढ़ाने के लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कई प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जैसे—

1. शिक्षकों को विद्यालय में गैर-शिक्षण गतिविधियों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
2. शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी जिससे कि वे उन तरीकों से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्रभावी हों। शिक्षक छात्रों के भावनात्मक पक्षों पर ध्यान देते हुए उनके सर्वांगीण विकास का प्रयास करेंगे।
3. शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कि शिक्षार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो।
4. शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लगातार अवसर दिए जाएँगे।
5. प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सी.पी.डी. (सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम) में हिस्सा लें।
6. शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एन.सी.टी.ई. द्वारा रा.शै.अ.प्र.प. के परामर्श से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एन.सी.एफ़. टी.ई. (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ़ॉर टीचर एजुकेशन) तैयार की जाएगी।

42वें संविधान संशोधन (1976) के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था।

इसलिए शिक्षा की राज्य सरकारों पर भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है जितनी की केंद्र पर है। शिक्षा के स्तर और उसकी गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के साथ-साथ शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधो की गंभीरता को दिल्ली सरकार ने समझा और माता-पिता, शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध बनाने के लिए पिछले पाँच वर्षों में अपने विद्यालयों में कई योजनाओं को चलाया, जैसे— मेंटर शिक्षक तैयार करना और शिक्षक विकास समन्वयक (टी.डी.सी) तैयार करना, जिसका उद्देश्य आपस में साथी शिक्षकों के सहयोग से सीखने को बढ़ावा देना है जिससे वे अपने शिक्षार्थियों को ज़्यादा कुशलता व दक्षता के साथ अधिगम कराने में सहायक हो सकें।

मेगा माता-पिता अभिभावक सभा (एम.पी.टी.एम.)

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी विद्यालयों में मेगा पी.टी.एम. से पहले भी माता-पिता अभिभावक सभा का अयोजन किया जाता था। परंतु उसमें कुछ खामियाँ होती थीं, जैसे— (1) सभा के आयोजन की कोई तिथि पूर्व-निर्धारित नहीं होती थी और यह शिक्षक की अपनी इच्छा या प्रधानाचार्य या शिक्षा अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करती थी कि वे कब पी.टी.एम. का आयोजन अपने विद्यालय में करेंगे (2) माता-पिता कि उपस्थिति न के बराबर होती थी। इसके पीछे वैसे तो कई कारण थे परंतु दो मुख्य कारण जो सामने आए (i) माता-पिता या अभिभावकों को सही प्रकार से सूचित न करना (ii) पी.टी.एम. का मुख्य मुद्दा शिक्षार्थियों की शिकायत पर केंद्रित रहना जिसके कारण अभिभावक इस सभा में रुचि नहीं लेते थे और शिक्षार्थियों में भी अपने लिए भय उत्पन्न हो जाता था और वे अपने आपको शिक्षक और विद्यालय में सुरक्षित नहीं मानते थे। जिसके कारण शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक संवाद की कमी पाई जाती थी। इन सब कमियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा 30 जुलाई, 2016 में शिक्षा निदेशालय दिल्ली के सभी विद्यालयों में एक साथ प्रथम मेगा माता-पिता अभिभावक सभा का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए माता-पिता, शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों के मध्य एक पारस्परिक सकारात्मक संबंध बनाना था तथा तीनों को शिक्षार्थी विकास के लिए एक साथ जोड़ना था, जिससे कि वे बिना किसी हिचकिचाहाट के शिक्षार्थी के हित की बात कर सकें और शिक्षार्थी भी बिना किसी डर व भय के साथ अपनी बात अपने शिक्षकों के सम्मुख रख सकें। इस प्रकार की मेगा पी.टी.एम वर्ष में दो प्रकार से आयोजित की जाती है जिसमें छात्रों के शैक्षिक व व्यवहारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा की जाती है। इस सभा के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, फिर चाहे वे अभिभावकों की उपस्थिति को लेकर हो या फिर छात्रों के शैक्षिक व व्यवहारगत विकास की बात हो। यह अपने आप में एक सराहनीय कदम है। इसके माध्यम से बहुत सारे शिक्षार्थियों के अभिभावक व शिक्षार्थी स्वयं शिक्षकों के संपर्क में आए तो वहीं दूसरी तरफ़ शिक्षकों ने भी एक बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई।

हेप्पीनस करिकुलम/माइंड्फुलनैस

हमने देखा है कि किस प्रकार से हमारी नयी पीढ़ी अपने नैतिक व व्यवहारगत मूल्य खोती जा ही है? किस प्रकार से अपनी बढ़ती इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण आज का शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों तनाव में हैं और दोनों ने अपनी

प्रसन्नता, खुशी को इनके आगे बलि चढ़ा दिया है? उन खोते हुए नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित व तनाव को आंतरिक प्रसन्नता में बदलने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा हेप्पीनस करिकुलम/माइंड्फुलनैस की शुरुआत 2 जुलाई 2018 में की गई। यह कक्षा एक से आठ तक के छात्रों की मानसिकता को विकसित करने का एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जो शिक्षार्थियों को सामाजिक भावनात्मक, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और संबंध निर्माण सिखाता है। कहानियों व माइंड्फुलनैस के माध्यम से शिक्षार्थियों की चेतना एवं संबंधों के साथ जीने की भावना को जाग्रत करने का प्रयास करता है।

मिशन बुनियाद

हमारे सरकारी विद्यालयों में अधिकांश छात्र बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके माता-पिता अनपढ़ या न के बराबर पढ़े-लिखे होते हैं और मज़दूरी करते हैं। वे अपने बच्चों को विद्यालय तो भेज देते हैं परंतु शैक्षिक कार्य में उनकी कोई सहायता नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक का उत्तरदायित्व और अधिक हो जाता है। परंतु कई कारणों से शिक्षक भी उन छात्रों को उतना समय नहीं दे पाते, जितना कि उन्हें देना चाहिए। वे छात्रों की भावनाओं उनकी रुचियों व आवश्यकताओं की तरफ़ ध्यान नहीं देते। शिक्षार्थी भी चीज़ें समझ न आने पर उसे न तो अपने माता-पिता से और न ही अपने शिक्षकों से पूछ पाते हैं जिसके कारण धीरे-धीरे आसान चीज़ें भी उनके लिए कठिन बनने लग जाती हैं परिणामस्वरूप वे शिक्षा व शिक्षक दोनों से डरने लगते हैं और अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। नैशनल अचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस) में पाया गया कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के लगभग 50 प्रतिशत छात्रों का अधिगम स्तर विज्ञान, गणित और भाषा में बहुत निराशाजनक है इसलिए कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों के अधिगम स्तर को सुधारने के लिए और शिक्षकों तक छात्रों की पहुँच आसान बनाने के लिए 11 अप्रैल, 2018 को मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई।

चुनौती

यह योजना भी वर्ष 2018 में शुरु की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या व उनके पीछे के कारणों को जानते हुए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है। यह योजना विशेषत: कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षार्थियों के लिए चलायी गई ताकि उनके शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया जा सके।

उद्यमिता मानसिकता कार्यक्रम

13 फ़रवरी, 2019 में इसकी शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य छात्रों को नौकरी खोजने वाला न बनाकर, उन्हें नौकरी देने वाला बनाने के साथ-साथ एक अच्छा इंसान बनाना भी है। यह कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। विद्यालयी शिक्षा पास करने के उपरांत अधिकतर शिक्षक और छात्र का संबंध खत्म हुआ माना जाता है और जब छात्र अपनी नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश करता था तो उस समय वह अपने आप को बहुत नि:सहाय समझता है, उसे लगता है कि इस समय कोई भी उसका सहायक नहीं है। परंतु इस योजना के तहत शिक्षक न केवल 9वीं कक्षा से ही छात्रों से जुड़ जाते हैं बल्कि आगे तक, 12वीं कक्षा के बाद भी उन्हें परामर्श देते रहते हैं और उनके बीच एक गहरा मानवीय संबंध भी बन जाता है।

निष्कर्ष

हमारी और हमारे राष्ट्र की कामयाबी के पीछे हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है इसलिए शिक्षकों और छात्रों के मध्य मधुर संबंध बनाने के लिए राष्ट्रीय व राज्य दोनों स्तर पर प्रयास किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं। आधुनिकता एवं तकनीकी के इस समय में शिक्षकों और छात्रों दोनों के आचरण एवं उनकी योग्यता में परिवर्तन आया है। आज के समय में शिक्षक से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ हैं। उसकी भूमिका केवल कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रह गई है। उसे अपने छात्रों के साथ भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ निभानी होती हैं। शिक्षकों को हमेशा अपने छात्रों से दो कदम आगे चलने होंगे व छात्रों में विश्वास जाग्रत कर उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा और इस बात को भलीभाँति समझना होगा कि जब तक हम अपने छात्रों को कुछ नया, अर्थपूर्ण एवं उनकी रुचि के अनुसार ज्ञान प्रदान नहीं करते, उन्हें शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शामिल नहीं करते, तब तक हमारे छात्र हमसे नज़दीकी नहीं बना पाते। शिक्षक की भूमिका एक ऐसे जादूगर की होनी चाहिए जिसके पिटारे में छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार हमेशा कुछ न कुछ नया हो। उन्हें स्वयं आदर्श बनकर किताबों के अध्यायों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समाज को भी शिक्षक की भूमिका को हमेशा ध्यान रखना होगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि जब शिक्षक अपनी भूमिका को भूलने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि उस समाज, देश या राष्ट्र का पतन शीघ्र ही निश्चित है।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 1968. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968.* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986.* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

www.education.gov.in

www.edudel.nic.in

www.tak-in.cdn.ampproject.org

www.shivra.com

10

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पंखों से नारी शिक्षा उड़ान

अमित अग्रवाल*
अभिषेक कुमार सिंह**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' तैयार किया। फिर 29 जुलाई, 2020 को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भारत सरकार द्वारा घोषित की गई। एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों नारी और पुरुष द्वारा होता है। नारी इस कड़ी का अहम हिस्सा होती है, क्योंकि वह परिवार का केंद्र बिंदु होती है। यदि एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाएगा। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आँगनबाड़ी/प्री-स्कूलिंग के साथ एक नया 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरु किया गया है। यदि हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अब नारी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकल चुकी है, नारी को यह संज्ञान है कि उनका शिक्षित होना ही उन्हें बेहतर जीवन दे सकता है। नारी शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास की ओर निरंतर अग्रसर है। सरकार की ओर से भी नारी शिक्षा को लेकर अनेकों योजनाएँ बनी हैं, जिसके माध्यम से वह लाभान्वित हो रही हैं।

एक नारी जीवनपर्यंत बेटी, बहन, पत्नी और माँ जैसी किरदारों का निर्वाह करती है। इस प्रक्रिया में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका सामना करने का आत्मबल उन्हें शिक्षा ही प्रदान करती है। शिक्षा नारी को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है और उसमें स्वावलंबन के गुणों का भी विकास करती है पर यह भी सच है कि प्राचीन समाज को आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियाँ उपेक्षित हो रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता है, इसी कारण आज भी महिलाओं का एक हिस्सा अत्यंत निचले स्तर पर है।

आज़ादी के सात दशकों के बाद भी नारी शिक्षा पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि 100 वर्ष पहले गाँधी जी, मदन मोहन मालवीय के नारी शिक्षा के प्रति जो विचार व्यक्त किए गए, वह आज भी साक्षात् दिखाई दे रहे हैं। हम वहीं के वहीं खड़े नज़र आते हैं।

* *सहायक प्राध्यापक,* राजकीय महाविद्यालय, रज़ा नगर, ज़िला रामपुर, उत्तर प्रदेश
** *सहायक प्राध्यापक,* रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय 110 019

हमने नारी शिक्षा पर केवल मुखौटा लगाया है। नारी शिक्षा के नाम पर केवल दुकान चला रहे हैं। आय का एक माध्यम बना रखा है। गाँधी जी कहते थे शिक्षा के दो समूह हैं। आज भी हैं— एक सुविधा संपन्न एवं दूसरा सुविधा वंचित। दोनों ही समूहों में रंग रूप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर जारी रहता है, दोनों समूहों के बीच मेल-मिलाप नहीं के बराबर रहे, इनके आर्थिक स्वार्थ टकराते हैं। प्रभावशाली सुविधा संपन्न लोग जब सुविधा वंचित लोगों को अपने समूह में सम्मिलित करते हैं तो उसकी कीमत वसूलते हैं। इससे गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर, और अमीर हो जाता है। एक पीएच.डी. किया हुआ प्रोफ़ेसर दूसरे को पीएच.डी. करवाता है और अध्यापक बनने में मदद करता तो अपवादों को छोड़ दें तो कितनी कीमत वसूलता है, उसका उल्लेख न करना ही बेहतर है। वास्तविक रूप में देखें तो स्वाधीनता के बाद इस शिक्षित वर्ग ने अंग्रेज़ी को पूरी तरह से अपना लिया। यह शैक्षिक भेदभाव संस्थागत होता आ रहा है, इसे एक तरह से सामाजिक मान्यता मिलती जा रही है।

भारत में लगभग 40 प्रतिशत महिलाओं का बैंक खाता नहीं है। इनमें बहुत-सी महिलाएँ अपनी साधारण-सी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरे पर निर्भर हैं। उनके बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, संतुलित भोजन की कमी है तथा उनके आय के साधन इतने कम हैं कि वे किसी व्यवसाय के बारे में भी सोच नहीं सकतीं। ऐसी महिलाएँ दूसरे के यहाँ मज़दूरी करने के लिए बाध्य हैं, जहाँ न केवल मानसिक बल्कि कभी-कभी अनैतिक एवं शारीरिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। यदि उन महिलाओं की पहुँच बैंक तक हो जाए तो इनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। यह सब तभी संभव है जब नारी शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो।

शिक्षा के पंखों से उड़कर,
छू लो सपनों का संसार।

शोध के उद्देश्य

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नारी शिक्षा को समझना।

(ख) नारी शिक्षा की पृष्ठभूमि या उसकी आवश्यकता को समझना।

(ग) क्रॉस कटिंग टीम को समझना और उसका विश्लेषण।

(घ) नारी शिक्षा के संबंध में विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करना।

नारी शिक्षा की पृष्ठभूमि

जब महिलाओं की पहुँच वित्तीय संस्थानों तक हो जाती है तो वे अपना खुद का उद्यमिता या व्यवसाय स्थापित कर सकती हैं। वे उपकरण आदि खरीद सकती हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती हैं। रोज़गार सृजन वित्तीय संस्थाओं तक पहुँच के कारण महिला उद्यमी नये रोज़गार का सृजन करती हैं। महिलाएँ सामान्यतः अपनी कमाई का अधिकांश भाग अपने परिवार कल्याण पर व्यय करती हैं। अतः महिलाओं की आय बढ़ने पर परिवार कल्याण के कार्यक्रम सफल होंगे जबकि पुरुष अपनी कमाई का आधा से ज़्यादा विनियोग करता है। महिलाओं की पहुँच महिलाओं तक आसानी से हो पाती है अतः महिलाएँ महिला कल्याण में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। बेरोज़गारी तभी पनपती है जब जनसंख्या आर्थिक संसाधनों की तुलना में तीव्रगति से बढ़ जाती है, स्त्री शिक्षा तथा स्त्री

सशक्तिकरण जनसंख्या नियंत्रण में महिला भूमिका निभा सकती है।

बीमारी, गंदगी, अंधविश्वास और धर्मांधता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए महिला साक्षरता रामबाण दवा का काम करेगी। हमारे समाज में आज जो अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसका एक मात्र कारण अशिक्षा है। समाज से गरीबी के कलंक को मिटाना है तो महिलाओं को निरक्षरता को समाप्त करना ही होगा।

महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, अर्थात् समाज शिक्षित होता है। शिक्षित महिला न केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है बल्कि अच्छे संस्कारों के प्रति जागरूक भी करती है। आजकल पारिवारिक विघटन का प्रचलन बढ़ा है। मोबाइल का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है जो न केवल मानसिक रूप से बीमार कर रहा है बल्कि उनकी सहनशीलता, अनुकरणशीलता, सामाजिकता की भावना को भी समाप्त कर रहा है। यदि माँ बहनें पढ़ी लिखी हों तो वे बच्चों को इन बुराइयों के प्रति सचेत कर सकती हैं। देश में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण अंतर धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर नहीं अपितु शिक्षा के आधार पर है। हमारे यहाँ दो वर्ग हैं— पहला सुविधा संपन्न शिक्षित और दूसरा गरीब अशिक्षित और ये वर्ग अपनी पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रखे हुए हैं और धरातल पर देखें तो शिक्षा पुरातनी चीज़ बन गई है। यदि वह महिला है और सफल हो गई तो राष्ट्रीय समाचार की सुर्खियाँ बन जाएगी।

बेटी से संसार बना है
बेटी है तो कल है।
उसे बचाओ खूब पढ़ाओ
यही लक्ष्मी का फल है।

क्रॉस कटिंग थीम

क्रॉस कटिंग से अभिप्राय दो या दो से अधिक स्वतंत्र विचारों या गतिविधियों को आपस में जोड़ना अर्थात् एक तीर से कई निशाना या पलटकर बोलें तो कई निशानों/उद्देश्यों को एकीकृत करना। क्रॉस कटिंग थीम की कोई मानक सूची नहीं है। एक आवेदन में एक क्रास कटिंग थीम दूसरे में प्राथमिक विषय से ही सकती है जबकि कुछ थीम दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से एकीकृत हो जाती हैं। क्रॉस कटिंग थीम के रूप में लड़कियों की शिक्षा दीर्घकाल से भारतीय समाज में महिलाओं को महत्व दिया गया है। *नयी शिक्षा नीति 2020* में भी नारी शिक्षा को क्रॉस कटिंग थीम के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। क्रॉस कटिंग थीम में निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है— क. लैंगिक समानता; ख. विविधता और समावेशन; ग. पर्यावरणीय स्थिरता; घ. आजीविका विकास; ङ. गरीबी घटाना और च. सबकी भलाई।

उपरोक्त सभी विषयों का विश्लेषण किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे क्रास कटिंग थीम के अंतर्गत महिला शिक्षा

सारणी 1 (उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की गई रैंक)

क्रमांक	थीम	रैंक
क.	शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना और रोल मॉडल तैयार करना।	1
ख.	स्कूल की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।	2

ग.	स्कूल उपस्थिति बढ़ाने हेतु सामाजिक प्रयासों और जेंडर संबंधी रूढ़ियों को समाप्त करना।	3
घ.	अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के उत्थान हेतु लड़कियों और महिलाओं को केंद्र में रखना।	4
ङ.	स्कूलों में लैंगिक संवेदनहीनता को समाप्त करने के लिए कदम उठाना।	5
च.	सामाजिक वर्गों के बीच गैर-बराबरी को दूर करना। (पहुँच, भागीदारी और अधिकार स्तर)	6
छ.	स्कूल व्यवस्था में 100 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में अधिकाधिक लड़कियों की भागीदारी	7
ज.	सभी स्तरों पर शैक्षिक उपलब्धियों और लड़के-लड़कियों के बीच अंतर को कम करना।	8
झ.	मानसिकता में बदलाव लाना और नुकसानदेह प्रथाओं को समाप्त करना।	9
ञ.	सिविल सोसाइटी के साथ संवाद, अनुदान एवं विवेकाधीन कोष तैयार करना।	10

स्रोत— स्वत: सर्वेक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी.ई.आर. के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाएगी। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आँगनबाड़ी/प्री-स्कूलिंग के साथ एक नया 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। एन.ई.पी. को 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ स्कूली शिक्षा में ये बदलाव

- 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन
- रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा फाउंडेशनल लिट्रेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू
- 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रुपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर
- बच्चों के लिए नए कौशल— कोडिंग कोर्स शुरु
- एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़-मेन करिकुलम में शामिल
- वोकेशनल पर ज़ोर— कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई
- नयी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार— बोर्ड एग्ज़ाम दो भाग में
- रिपोर्ट कार्ड में लाइफ़ स्किल्स शामिल
- साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बालिकाओं के विकास को लक्षित करने के लिए 'लिंग समावेशन कोष' की शुरुआत की है। भारत सरकार सभी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा प्रदान करने के लिए एक 'लिंग समावेशन कोष' का गठन करेगी। यह फंड स्कूली शिक्षा में लड़कियों के 100 प्रतिशत नामांकन और उच्च शिक्षा में रिकॉर्ड भागीदारी दर सुनिश्चित करने, सभी स्तरों पर लिंग अंतर को कम करने, लिंग समानता का अभ्यास करने और समाज में समावेश करने और सकारात्मक

नागरिक संवादों के माध्यम से लड़कियों की नेतृत्व क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। फंड राज्यों को प्रभावी समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों का समर्थन करने और स्तरीकृत करने में सक्षम करेगा जो लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए स्थानीय संदर्भ-विशिष्ट बाधाओं को संबोधित करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिसर के अंदर और बाहर स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। वार्षिक मान्यता के लिए सूचीबद्ध होने से पहले स्कूलों को उत्पीड़न, भेदभाव और दबंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करना होगा। इससे कक्षा में बालिकाओं की उपस्थिति संख्या में वृद्धि होगी। यह नीति उन सामाजिक रीति-रिवाज़ों और लैंगिक रूढ़ियों की पहचान करेगी जो लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं और नियमित रूप से स्कूल छोड़ने का कारण बनती हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.) समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है— स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना (आई.एस.एस.ई.) जिसके तहत लड़कियों की शिक्षा के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को लक्षित किया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। एप, टीवी चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी-आधारित विकल्प, जैसे— एप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम/मॉड्यूल, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, और आई.सी.टी. से सुसज्जित पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएँगे।

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा बालवाटिका 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक 'प्रारंभिक कक्षा' या 'बालवाटिका' (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ई.सी.सी.ई. योग्य शिक्षक है।

कक्षा 6 से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोडिंग स्कूल शिक्षा सचिव ने कहा कि कक्षा 6 और उसके बाद के छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के एक भाग के रूप में स्कूलों में कोडिंग सिखाई जाएगी।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है।

शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच

ड्रॉपआउट्स को पुन: स्थापित करने और शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2030 तक 3–18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा में पहुँच और भागीदारी प्राप्त करने का एक उद्देश्य निर्धारित किया है।

स्थानीय भाषा/मातृभाषा में शिक्षा

बच्चे 2–8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं, और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, इसलिए बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही तीन भाषाओं में विसर्जित कर दिया जाएगा।

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने और वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ई.बी.बी.) में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) स्वीकृत किए गए हैं।

निष्कर्ष

मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करने वाले, प्रगति के सब्ज़बाग दिखाने में निपुण हो गए हैं, दिखावटी सुधार एवं विकास, विश्वभर में प्रचार एक उद्योग बन गया है। क्या जनसाधारण के स्वप्न एवं चिर संचित आकांक्षाएँ पूरी होने लगी हैं। स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और कुछ के निर्णायक कदम उठाए गए हैं। शिक्षा नीति में अपेक्षाकृत बिखराव आया है और सभी सरकारें अपना-अपना एजेंडा चलाने लगते हैं। शैक्षिक विकास के मॉडल की एक पक्षीय विकृत तुष्टि के कारण सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, जातीय धार्मिक क्षेत्रीयता, भाषाई कट्टरता आदि तरह-तरह की विसंगतियों की ओर ले जा रही है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* नारी शिक्षा के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा यदि वह वंचित समाज तक विभिन्न भागीदारों के सहयोग से नारी को शत-प्रतिशत शिक्षा देने में सफल रहती है।

सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावशाली क्रियान्वयन के अतिरिक्त सामाजिक सहभागिता और विचारधारा में परिवर्तन भी आवश्यक है। रा.शै.अ.प्र.प., जहाँ पाठ्यक्रम में समाज को नारी शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नारी में लाइफ़ स्किल विकसित करने की विधाओं का भी विकास करने पर बल देने की आवश्यकता है। यदि पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी होगा, नारी की इच्छा और अभिरुचि के अनुसार होगा तब वह शिक्षा के प्रति और अच्छे ढंग से अभिप्रेरित होकर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ पाएगी। माता-पिता बालिकाओं की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; अतः यह महत्वपूर्ण है कि बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में पहले माता-पिता को बताया जाए। लघु फ़िल्मों के माध्यम से भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया जाए माता-पिता को कैसे यह समझाया जाए कि वे अपनी बेटियों को शिक्षित करने पर ज़्यादा ज़ोर दें न कि किशोरावस्था में ही उनकी शादी करने पर। उन्हें यह समझाया जा सके कि उनकी लड़कियाँ उनके लिए आर्थिक बोझ स्वरूप नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के महत्व पर भी बल दिया जाए, क्योंकि अगर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं होंगी तो उन्हें शिक्षित करने के लिए माता-पिता को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्राम पंचायतों को लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पी.पी.पी. मॉडल और समुदाय की भागीदारी का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता की जाँच के लिए उचित तंत्र या तरीके को अपनाए जाना चाहिए। सरकार बालिका शिक्षा के लिए निजी संस्थान कार्यक्रम और समुदाय बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करे और कैग से जाँच की व्यवस्था हो। हर 1 कि.मी. पर एक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय खोला जाए। हर 5 कि.मी. पर एक उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय खोला जाए। प्रत्येक तालुका में एक कॉलेज खोले जाने का सुझाव दिया। इसके पीछे उनका मत यह था कि कॉलेज खत्म होने के बाद माता-पिता 12वीं कक्षा के बाद अपनी लड़कियों पर पढ़ाई छोड़ने का दबाव नहीं बना सकेंगे। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जनक शिक्षक संघ को अत्यंत मज़बूत बनाया

जाए। मध्याह्न भोजन योजना को पुनर्नवीकरण किया जाए। छात्राओं की मदद के लिए टोल फ्री छात्र हेल्पलाइन शुरु की जाए। छात्राओं की मदद के लिए एक वेबसाइट और टीवी चैनल बनाया जाए। विद्यालयों की संख्या बढ़ाने और शिक्षक-छात्र अनुपात को कम करने पर बल दिया जाए। एकल विद्यालय खोला जाए जहाँ शिक्षित ग्रामीण अपने घरों के आसपास के क्षेत्र में छात्राओं को शिक्षा प्रदान कर सकें। स्कूलों में उचित स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया।

संदर्भ

अंसारी, एम.ए. 2001. *महिला और मानवाधिकार*. ज्योति प्रकाशन, जयपुर.

कानिटकर, मुकुल. 2016. भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका. *योजना* (सितंबर)

जैन, प्रतिभा. 1998. *भारतीय स्त्री सांस्कृतिक संदर्भ*. रावत पब्लिकेशन, जयपुर.

तिवारी, आर.पी. 1999. *भारतीय नारी वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान*. नयी दिल्ली.

देवपुरा, प्रतापभल. 2006. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व. *कुरुक्षेत्र*. अंक 5 (मार्च).

मकोल, नीलम और संदीप शर्मा. 2006. सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान. *कुरुक्षेत्र* (सितंबर).

मिश्रा, के.के. 1965. *विकास का समाजशास्त्र*. वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर.

लवानिया, एम.एम. 1989. *समाज शास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ*. रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर.

व्यास, मिनाक्षी. 2008. *नारी चेतना और सामाजिक विधान*. रोशनी पब्लिकेशंस, कानपुर.

श्रीवास्तव, सुधा रानी. 1999. *भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति*. कॉमनवेल्थस पब्लिशर्स, नयी दिल्ली.

11

बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन एक परिचय

पद्मा यादव*

बच्चों की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करने और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन आरंभ किया है। जिसे नेशनल इनिशिएटिव फ़ॉर प्रोफ़िशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टेडिंग एंड न्यूमेरेसी (निपुण भारत) नाम दिया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करना है। मिशन का दृष्टिकोण देश में एक व्यापक विश्वस्तरीय वातावरण तैयार करना है, जिससे कक्षा 3 के अंत तक बच्चे लिखने, पढ़ने एवं गणितीय समझ की क्षमता प्राप्त कर सकें। मिशन के तहत 3 से 9 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान से जुड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। तद्नुसार, उन संभावित कारणों को भी खोजा जाएगा, जिनके कारण सीखने में बाधा आ रही है। प्री-स्कूलिंग एवं प्रारंभिक स्तर के मध्य मज़बूत और सुचारु संपर्क स्थापित हो सके इस पर ज़ोर दिया गया है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वर्ष 2026–2027 की समय सीमा तय की गई है।

देश में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है जिसे *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* कहा गया है। इस नीति के अंतर्गत औपचारिक संस्थागत शिक्षा व्यवस्था में प्री-स्कूलिंग को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा तीन तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफ़.एल.एन.) विकसित करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि यह नीति विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष रूप से तभी जुड़ सकेगी, जब आधारभूत शिक्षा (लेखन, पठन आधारभूत अंकगणित इत्यादि) उन्हें प्राप्त हो। नीति में प्रत्येक छात्र को एफ़.एल.एन. से जोड़ने को एक चुनौती के तौर पर लिया गया है।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का अर्थ

बुनियादी साक्षरता का अर्थ है— मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग (ध्वनि और आकार में तालमेल), पढ़ने का प्रवाह, पाठ बोधन एवं लेखन और बुनियादी संख्या ज्ञान का अर्थ है— संख्या बोध, आकार और स्थानिक संबंध, नाप, डेटा संधारण आदि।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की आवश्यकता

वर्तमान में स्कूली शिक्षा के अंतर्गत सीखने का स्तर गंभीर चिंता का विषय है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में

* *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली 110 016

पाँच करोड़ से अधिक बच्चों ने प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय समझ प्राप्त नहीं की है। बुनियादी शिक्षा से ही बच्चे के भविष्य में सीखने का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि सीखने के बीच लगातार आ रहे अधिगम अंतराल को कम नहीं किया गया तो बच्चे सीखने में पिछड़ जाते हैं एवं परिणाम आशा अनुरूप प्राप्त नहीं होते हैं।

नेशनल इनिशिएटिव फ़ॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टेडिंग एंड न्यूमेरेसी (निपुण भारत)

भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन को निपुण भारत नाम दिया है। इसके अंतर्गत बच्चों के सीखने के मार्ग में आ रही बाधा को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खेल एवं सक्रियता आधारित बुनियादी साक्षरता के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार किया जा रहा है। देश में असंख्य बच्चे हैं जिनके घर में साक्षरता एवं गणितीय समझ का माहौल नहीं है। इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हैं कि बच्चों के जीवनकाल के शुरुआती वर्षों में उनके सीखने की गति तीव्र होती है और इस दौरान बच्चे को प्राप्त प्रत्येक सकारात्मक अनुभव उसके आजीवन सीखने एवं विकास पर प्रभावकारी होता है। अतः, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि बुनियादी शिक्षा को लेकर उत्पन्न संकट को जल्द दूर करने के प्रयास अनिवार्य रूप से करने होंगे ताकि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर का उन्नयन की जा सके। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय समझ प्राप्त करना सहज हो।

निपुण भारत मिशन का लक्ष्य

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन जिसे निपुण भारत मिशन कहा गया है, का मुख्य फ़ोकस 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर है। जिसमें प्री-स्कूल से कक्षा 3 तक के बच्चे शामिल हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का लक्ष्य है कि सभी बच्चों को पढ़ने, प्रतिक्रिया करने, स्वतंत्र रूप से लिखने, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझने और समस्या के समाधान के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम बनाना। बुनियादी शिक्षा में बच्चे के समग्र विकास पर ज़ोर दिया जाता है। मिशन का उद्देश्य है कि कक्षा के सभी बच्चों को प्रसन्नता, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, स्वतंत्र सोच एवं सीखने की ललक रखने वाला बनने में मदद मिल सके।

- खेल, खोज और गतिविधि-आधारित शिक्षा-शास्त्र को शामिल करके, इसे बच्चों की दैनिक जीवन स्थितियों से जोड़कर, बच्चों की घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल करके एक समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना।
- बच्चों को समझ के साथ पढ़ने-लिखने के कौशल विकसित करने के लिए, उन्हें स्वतंत्र पाठक एवं लेखक बनने के लिए प्रेरित करना ताकि वे स्थायी रूप से लिखने और पढ़ने में सक्षम हो सकें।
- बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझने; उनमें संख्यात्मकता और स्थानिक समझ विकसित करने, कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाना है।
- बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, जो उन्हें सांस्कृतिक विरासतों से भी अवगत कराए। ये सामग्री उनकी स्थानीय भाषा अथवा मातृभाषा में उपलब्ध हो।
- एफ़.एल.एन. मिशन का उद्देश्य है— शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं अकादमिक प्रशासकों की क्षमताओं के उन्नयन पर सतत फ़ोकस करना।

- बच्चों की उच्चतम शिक्षा की मज़बूत आधार-शिला के लिए शिक्षकों, माता-पिता, समुदाय एवं नीति निर्माताओं का परस्पर सक्रिय जुड़ाव हो।
- पोर्टफ़ोलियो, सामूहिक व संयुक्त प्रोजेक्ट वर्क, खेल, रोल प्ले, मौखिक परीक्षण, क्विज़ एवं शॉर्ट टेस्ट इत्यादि के माध्यम से शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.)— आधारभूत अधिगम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित नयी 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली में, 3 साल की उम्र से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) को एक मज़बूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कक्षा एक से पूर्व तीन वर्ष से छः वर्ष की आयु के मध्य, तीन साल की आँगनबाड़ी/प्री-स्कूलिंग एवं बालवाटिका शिक्षा की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के संदर्भ में भी विशिष्ट लक्ष्य माना गया है। एस.डी.जी. 4.2 के तहत वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी लड़के एवं लड़कियों (वंचित समूहों, दिव्यांगों एवं स्वास्थ्य के स्तर पर पिछड़े सहित) को उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक देखभाल एवं प्री-स्कूल शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए क्षमतावान हो सकें। विकास के दृष्टिकोण से प्रत्येक बच्चे के लिए प्रारंभ के वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी आयु में उनका विकास अन्य आयुवर्ग की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के वर्षों दौरान मस्तिष्क सर्वाधिक लचीला एवं सीखने की दृष्टि से अनुकूल होता है। बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। बच्चे का विकास न केवल बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य से प्रभावित होता है, बल्कि सामाजिक अनुभवों एवं वातावरण का भी प्रभाव इस पर होता है। इसलिए प्री-स्कूलिंग की व्यवस्था, प्रावधान एवं कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए। अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) अच्छी होगी तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान भी प्रबल होगी। देश में ई.सी.सी.ई. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिसमें (i) पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आँगनबाड़ी से, (ii) प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आँगनबाड़ी, (iii) वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित पूर्व प्राथमिक विद्यालय एवं (iv) अकेले चल रहे प्री-स्कूल (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*)।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के लिए, आँगनबाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्तायुक्त बुनियादी संरचना, खेल सामग्री एवं पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आँगनबाड़ी या प्री-स्कूल में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के लिए बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ हवादार, बाल-सुलभ और निर्मित भवन होगा। आँगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को गतिविधियों से भरे पर्यटन करेंगे और उन्हें अपने आसपास के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आँगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक विद्यालयों में जाने को सुगम (सुचारु) बनाया जा सके।

आँगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों/समूहों के साथ पूर्ण तरीके से एकीकृत किया जाएगा और स्कूल परिसर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आँगनबाड़ी के बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक कक्षा या बालवाटिका (कक्षा 1 से पहले) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसमें एक प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल शिक्षा में योग्य शिक्षक हो।

आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफ़.एल.एन.) मिशन में शिक्षा संस्थानों की भूमिका

एफ़.एल.एन. मिशन को शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, ज़िला, ब्लॉक एवं स्कूल स्तर पर एक पाँच स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को वरीयता के साथ ज़ोर देते हुए मिशन मोड में लागू किया गया है। रा.शै.अ.प्र.प. स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश की अग्रणी शैक्षिक संस्था है और यह संस्था बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा निष्ठा 3.0 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो आप रा.शै.अ.प्र.प. की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रा.शै.अ.प्र.प. ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एफ़.एल.एन. फ़्रेमवर्क बनाया है जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 3 तक के सीखने के प्रतिफल शामिल हैं। ये सीखने के प्रतिफल प्रगतिशील हैं। शिक्षक इन प्रतिफलों से ये आकलन लगा सकते हैं कि प्री-स्कूल एक, प्री-स्कूल दो, प्री-स्कूल तीन, कक्षा एक, दो और तीन में बच्चों से क्या आशा है।

रा.शै.अ.प्र.प. के साथ-साथ सी.बी.एस.ई. की भी अहम भूमिका है। सी.बी.एस.ई. को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान योग्यता आधारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इस उद्देश्य के लिए सी.बी.एस.ई. को प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान कर एक समूह बनाना है, जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन करेगा और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ई-सामग्री भी विकसित करेगा, जिसमें पाठ योजनाएँ, नवीन शिक्षा-पद्धतियों का उपयोग आदि शामिल होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा कि 2025 तक सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकें। के.वी.एस. प्रत्येक बच्चे की प्रगति को ट्रैक करेगा, मॉडल स्कूलों को विकसित करेगा, योग्यता-आधारित शिक्षा पर बल देगा। के.वी.एस. में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रदर्शन कक्षाएँ होंगी और के.वी.एस. के सभी प्राथमिक शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान और उससे जुड़ी विभिन्न शिक्षापद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस दिशा में पहला कदम एफ़.एल.एन. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहु-वर्षीय कार्य योजना तैयार करना, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना, बुनियादी कक्षाओं में

नामांकित प्रत्येक बच्चे का डेटाबेस तैयार करना, आवश्यकताओं का मानचित्रण करना और प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा।

इन सभी बातों के अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों को समय पर पाठ्यपुस्तकें और वर्दी उपलब्ध कराना है; वित्तीय अनुमान तैयार करना है; शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकारों के एक समूह की पहचान करने की भी आवश्यकता होगी। स्कूल व सार्वजनिक पुस्तकालयों को शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा, जिसे समाज और विशेष रूप से माता-पिता को उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल की सफलता की कहानियाँ, शुरु की गई नयी प्रथाएँ, नयी तकनीकों आदि का लेखन एवं दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा। साथ ही एस.सी.ई.आर.टी., डाइट, बी.आर.सी., सी.आर.सी., एन.जी.ओ., एस.एम.सी., समुदाय और माता-पिता, स्वयंसेवक और निजी स्कूल जैसे कई अन्य हैं जिनकी एफ़.एल.एन. मिशन के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल-आधारित मूल्यांकन के लिए एफ़.एल.एन. के अंतर्गत, रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा (के.वी.एस./जे.एन.वी./सी.टी.एस.ए./सी.बी.एस.ई. स्कूलों के लिए) छात्र प्रगति कार्ड तैयार किया जाएगा और एस.सी.ई.आर.टी. इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के लिए बुनियादी वर्षों में अपनाएँगी/अनुकूलित करेंगी। यह प्रगति कार्ड समग्र, 360 डिग्री, बहु-आयामी होगा, जो सीखने के कौशल और मूल्यों के साथ-साथ संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और मनोप्रेरणा डोमेन में प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति के साथ-साथ लाइफ़ स्किल को भी बहुत विस्तार से दर्शाएगी। एफ़.एल.एन. मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में डाइट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए डाइट को ज़िला स्तर पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है जिसमें कार्य करने के लिए लचीलापन हो और ज़िले की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ. को सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने में ज़िला और ब्लॉक स्तर पर मिशन के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। बी.आर.सी. और सी.आर.सी. एक महत्वपूर्ण केंद्र की तरह काम करेंगे।

निष्कर्ष

बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रधान शिक्षक और शिक्षकों को महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा, जैसे— शिक्षकों का क्षमता वर्धन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता प्रदान करने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के माध्यम से सहयोग देना, एफ़.एल.एन. मिशन के लिए सामुदायिक भागीदारी कार्यनीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में काम करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी में माता-पिता/अभिभावक को स्कूल में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी, जैसे कि सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी के प्रयासों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एस.एम.सी., समुदाय और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी, एस.एम.सी. और समुदाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी

स्कूली बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँच हो और और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवा कर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सभी कक्षा 3 तक के छात्रों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में योगदान करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों (वालंटियर्स) को शामिल करने के लिए अपने दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए, जैसे— वन ऑन वन ट्यूटरिंग (एक के साथ एक का पढ़ना), एफ़.एल.एन. मिशन में पीयर-ट्यूटरिंग और स्वयंसेवी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना, साथ ही शिक्षार्थियों का सहयोग करने के लिए अन्य कार्यक्रम शुरु करना, समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य का एक छात्र को पढ़ना सिखाने के लिए प्रतिबद्ध होना आदि। राष्ट्रीय एफ़.एल.एन. मिशन के सफल कार्यान्वयन में निजी स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी भूमिका उन्हें बुनियादी शिक्षा के महत्व और बच्चों के सीखने के परिणामों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने की होगी।

संदर्भ

रा.शै.अ.प्र.प. 2020. *एफ़एलएन मिशन फ़्रेमवर्क दिशानिर्देश.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 2013. *आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति.* महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

विशेष

12

पर्यावरण अध्ययन का शिक्षणशास्त्र

यह मॉड्यूल प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) के शिक्षण-अधिगम में चिंतन-मनन के लिए आवश्यक विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। यह निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करता है—

- मॉड्यूल के अधिगम के उद्देश्य
- प्राथमिक स्तर पर प्रकृति, स्थिति और पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाएँ
- सीखने के प्रतिफल और शैक्षणिक दृष्टिकोण
- शैक्षणिक दृष्टिकोणों को समझाने के लिए 'जल' विषय (थीम) को एक उदाहरण के रूप में लिया गया है।
- विविधता, जेंडर, कला और सौंदर्य, मूल्यों आदि जैसे मुद्दों की देखरेख के भी यथासंभव और समुचित प्रयास किए गए हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए गतिविधियों, जो उनके शैक्षणिक आयामों के साथ-साथ ईवीएस के विभिन्न विषयों पर गहन अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद कर सकती है।
- मॉड्यूल में यह भी शामिल है कि कैसे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ आकलन को समेकित किया जा सकता है और इसे एक अलग गतिविधि के रूप में नहीं माना जा सकता।

पाठ्यचर्या क्षेत्र में पर्यावरणीय अध्ययन

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ईवीएस को कक्षा 3 से 5 तक एक ऐसे विषय के रूप में देखती है, जो विज्ञान (प्राकृतिक और भौतिक), सामाजिक अध्ययन (प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक) और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं तथा मुद्दों को

अधिगम के उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे—

- प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एक समेकित पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में सराहना करने में;
- पाठ्यक्रम में शामिल इसके उद्देश्यों को अवधारणाओं और मुद्दों के साथ संबद्ध करने और वर्णन करने में;
- पाठ्यपुस्तकों में अवधारणाओं और मुद्दों का पता लगाने और कक्षा में उनके संप्रेषण के विभिन्न विधियों के बारे में जानने में;
- बच्चों के लिए उनके संदर्भ और ज़रूरत के हिसाब से विशेष अधिगम अनुभवों की योजना और रूपरेखा तैयार करने में;
- सभी शिक्षार्थियों को सार्थक रूप से संलग्न करने के लिए अधिगम अवसरों के सुनियोजन में;
- ईवीएस में सीखने के प्रतिफलों के साथ अधिगम प्रगति की रूपरेखा बनाने के लिए विभिन्न आकलन रणनीतियों का उपयोग करने में;

समावेशित करता है। युवा शिक्षार्थियों पर पाठ्यचर्या भार को कम करने के लिए, कक्षा 1 और 2 में एक अलग पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में इसकी संस्तुति नहीं की गई है। इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को ध्यान में रखकर इसे भाषा तथा गणित का हिस्सा बनाया गया है।

प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में बच्चों को उनके परिवेश में वास्तविक स्थितियों से जोड़ने में मदद करने, उनके बारे में जागरूक करने, सराहना करने और मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत बच्चे के स्वयं के और फिर घर परिवार और विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं से संबंधित निकटतम परिवेश (प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों सहित) से शुरुआत करके धीरे-धीरे उसे व्यापक वातावरण (पड़ोस और समुदाय) से जोड़ने की दिशा में में आगे बढ़ा जाता है। बच्चों के संदर्भ में सीखने की स्थितियों का निर्माण करना ईवीएस अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष जानकारियाँ, परिभाषाएँ और विवरण देने से बचने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, इसके बजाय बच्चों को अपने परिवेश से सीधे अंतर्क्रिया करके स्वयं के ज्ञानार्जन करने की स्थितियाँ निर्मित की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान वे पाठ्यपुस्तकों के अलावा ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करेंगे और कक्षा के अलावा विभिन्न अधिगम स्थानों और स्थितियों का पता लगाएँगे।

वास्तविक दुनिया के संपर्क में आने से बच्चों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों, जैसे— जेंडर पक्षपात, अधिकार वंचित करना, बाल मज़दूरी, अशिक्षा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाति और वर्ग असमानताएँ, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, बुज़ुर्गों तथा रोगियों की चुनौतियों का सामना करने का अवसर मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संसाधन सामग्री के अलावा, कक्षा का वातावरण और शैक्षणिक प्रक्रियाएँ समावेशी हों। अर्थात् से शिक्षार्थियों की विविधता को उनकी क्षमताओं (विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों सहित), गति, शैली आदि को ध्यान में रखते हुए संबोधित करें। पर्यावरण से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याएँ (जैसे सुरक्षा, संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरणीय न्याय और अन्य पर्यावरणीय मुद्दे) भी महत्वपूर्ण हैं। बच्चों और पर्यावरण के बीच मज़बूत संबंध स्थापित करने के लिए पहल की जानी चाहिए। यह परिकल्पना की गई है कि विषय के रूप में ईवीएस का शिक्षण-अधिगम, बच्चों को यह महसूस करने में सक्षम बनाएगा कि उनके निर्णय और कार्य, पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। यह उनके आसपास की चुनौतियों का

आओ विचार करें

- ईवीएस को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि बच्चों से प्राथमिक स्तर पर क्या अधिगम अपेक्षाएँ होंगी?
- इन अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है?
- इसके क्रियान्वयन के लिए कौन-सी रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है?

सामना करने के लिए आवश्यक कुछ कौशल और ज्ञान का निर्माण करने में भी मदद करेगा। इससे बच्चे पर्यावरण के पैरोकार, प्रबंधक और संरक्षक बन सकेंगे। अंततः इससे एक स्थायी भविष्य के निर्माण में योगदान मिलेगा।

आगे में दो अनुभाग इस बात पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि हम अपेक्षित, हस्तांतरणीय और निपुण पाठ्यचर्या में संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। ईवीएस में पाठ्यचर्या की अपेक्षाएँ और सीखने के प्रतिफल नीचे दिए गए हैं। आपके विचार में ये कैसे संबंधित हैं?

ईवीएस में पाठ्यचर्या की अपेक्षाएँ और सीखने के प्रतिफल

पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं से आशय उन संभावनाओं से हैं, जो व्यापक हैं और जिनका उद्देश्य अधिगम के एक चरण को पूरा करता है जबकि सीखने के प्रतिफल इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मापदंड प्रदान करते हैं। प्राथमिक चरण के लिए ईवीएस में पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएँ नीचे दी गई हैं।

पाठ्यचर्या की अपेक्षाएँ

ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे—

- परिवार, पौधों जानवरों, भोजन, पानी, यात्रा और आश्रय जैसे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न अनुभवों के माध्यम से निकटतम/विस्तृत परिवेश के आरे में जागरूकता प्राप्त करेंगे।
- निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करेंगे। .
- विभिन्न प्रक्रियाओं कौशलों का विकास करेंगे, जैसे— निकटतम परिवेश के साथ अंतर्क्रिया के माध्यम से अवलोकन, चर्चा, स्पष्टीकरण, प्रयोगात्मकता और तार्किकता।
- मौजूदा वातावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के लिए संवेदनशीलता विकसित करेंगे।
- समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और अधिकारों के सम्मान से संबंधित मुद्दों को चिह्नित करेंगे और उन्हें उठाएँगे।

ईवीएस में सीखने के प्रतिफल

उपरोक्त पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने और बच्चे की शिक्षा और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक उन मानदंडों के बारे में स्पष्ट हो, जिनसे वे समय-समय पर अपनी प्रगति को माप सकते हैं, ताकि वे अपने प्रयासों को सही दिशा देने तथा बच्चों को ऐसा करने में मदद कर सकें। इसलिए सीखने के प्रतिफलों को स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता है। विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों, अभिभावकों और यदि संभव हो तो बच्चों को भी उनके बारे में जागरूक होना चाहिए। ईवीएस में सीखने के प्रतिफलों को मापदंड के रूप में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से, इस पाठ्यक्रम क्षेत्र के अपेक्षित शिक्षण-अधिगम के समक्ष बच्चे के सीखने तथा विकास का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सीखने के प्रतिफलों पर आधारित *राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017* में पर्यावरणीय अध्ययन (ईवीएस) में तीसरी और पाँचवी कक्षाओं के लिए सही प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत (औसतन) निम्नानुसार पाया गया है—

कक्षा 3 — 65 प्रतिशत

कक्षा 5 — प्रतिशत

क्या हम राज्य औसत उपलब्धि और ज़िला औसत उपलब्धि के बारे में जानते हैं? इसका विवरण http://www.ncert.nic.in/programmes/NAS/SRC.html पर उपलब्ध है। हमें ईवीएम में अपने छात्रों के सीखने के प्रतिफलों को बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, आप निम्नलिखित के बारे में क्या सोचते हैं?

- वस्तुओं और गतिविधियों या अतीत और वर्तमान के बीच अंतर करते हैं।
- सरल मानक इकाइयों में स्थानिक मात्रा और समय का आकलन तथा सरल उपकरण/प्रणालियों का उपयोग करके सत्यापित करते हैं।
- वस्तुओं/गतिविधियों/स्थानों पर विभिन्न तरीकों से टिप्पणियों, अनुभवों, सूचनाओं को दर्ज करते हैं और प्रतिमानों का पूर्वानुमान लगाते हैं।
- चित्र, रूपरेखा प्रारूप (मॉडल), नक्शे, कविताएँ और नारे बनाते हैं।
- पौधों, जानवरों और आसपास के अन्य जीवों के लिए संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं।

ये तीसरी कक्षा की ईवीएम में कुछ सीखने के प्रतिफल हैं। क्या आप इन्हें पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं से संबंधित कर सकते हैं? इन सीखने के प्रतिफलों को पूरा करने के लिए आपकी ईवीएस पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करके किस तरह की शैक्षणिक प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है?

ध्यान दें— कृपया प्रारंभिक चरण में सीखने के प्रतिफल (2017) का दास्तावेज़ देखें।

ईवीएस के शिक्षण-अधिगम के लिए संसाधन और रणनीति

बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और यह उनके सवालों, अन्वेषण वृत्ति और चीज़ों के होने के पीछे के कारणों को लेकर आग्रहों में व्यक्त होता है। अधिगम कैसे होता है, को लेकर हुए समकालीन शोध इस तथ्य पर ज़ोर देते हैं। वे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि सभी बच्चे स्वयं अधिगम में सक्षम हैं। अधिगम

आओ विचार करें

- उपर्युक्त पाठ्यचर्या सबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की पाठ्यचर्या संबंधी सामग्री, पाठ्यपुस्तकों, पूरक सामग्री और संसाधनों की आवश्यकता है?
- किस प्रकार की शिक्षण-अधिगम रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है?.
- पाठ्यचर्या क्षेत्र में ईवीएस की ऐसी समझ को देखते हुए आप किस तरह की पाठ्यपुस्तक और संसाधनों की परिकल्पना करते हैं?
- उपर्युक्त पाठ्यचर्यात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार के शिक्षण-अधिगम की आवश्यकता है?

और बच्चों की धारणा में बदलाव के साथ, शिक्षकों की भूमिका को जाँचने की आवश्यकता है, उन्हें मात्र सूचना प्रदाता बनने की बजाय सुविधा प्रदाता (सुगमकर्ता) बनने की आवश्यकता है।

अधिकांश शिक्षक अभी भी एक पारंपरिक दृष्टिकोण के मुताबिक ही स्पष्टीकरण और कुछ उदाहरणों के बाद अध्यायों का प्रस्तुतीकरण करते हैं। इसके बजाय शिक्षक कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों की योजना बना सकते हैं जो बच्चों को समस्या स्थिति के बारे में जानने तथा अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्हें समस्या से जुड़ने और समाधान खोजने या समस्या की जाँच करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षण बिंदुओं या अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है, जिसे प्रश्नोत्तर में परिवर्तित किया जा सकता है, जो ज्ञान निर्माण के आधार के रूप में कार्य करेगा।

हम सभी जानते हैं कि अधिगम अनवरत प्रक्रिया है और यह आवश्यक है कि शिक्षक इसे अपना अनुभव प्रदान करके आवश्यक प्रक्रिया-कौशल का इस्तेमाल करके सार्थक बनाएँ, जैसे— अवलोकन करना, चर्चा करना, व्यक्त करना, स्पष्ट करना, वर्गीकरण करना, संवाद करना, प्रयोग करना, पूर्वानुमान लगाना आदि। सही या गलत का लेबल लगाए बिना, बच्चों को शिक्षकों का उचित समर्थन प्रदान करने के साथ विकल्प तलाशने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इससे बच्चों को नये ज्ञान का निर्माण करने में और उसे मौजूदा ज्ञान के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी।

शिक्षकों को बच्चों को सार्थक रूप से संलग्न करने और आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न अधिगम अनुभवों की योजना बनाने की ज़रूरत है तथा सामाजिक एवं महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े सरोकार ईवीएस के प्राथमिकता वाले उद्देश्यों में से एक हैं। परिवेश के सीखने की सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिगम अनुभवों की विविधता आवश्यक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है। कहानी, केस अध्ययन और जनसंचार माध्यम का संवाद के रूप में इस्तेमाल तथा अधिगम संदर्भों का उपयोग बच्चों को सामाजिक भेदभाव, पर्यावरणीय मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण सरोकारों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए किया जा सकता है। उनमें से कुछ उदाहरणों का उपयोग करके यहाँ चर्चा की गई है।

ईवीएस में शिक्षण-अधिगम के लिए रणनीतियाँ

परियोजनाएँ

परियोजनाएँ एक महत्वपूर्ण शिक्षण साधन का गठन करती हैं, जिसे किसी व्यक्ति या विद्यार्थियों के समूह को आवंटित किया जा सकता है। शिक्षक परियोजनाओं को विषयवार या अध्यायवार पहचान करने और परियोजनाओं की योजना बनाने तथा रूपरेखा तैयार करने में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। परियोजना कार्य के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय में या घर पर भी काम करना पड़ सकता है।

कुछ उदाहरण हैं—

- अपने माता-पिता और दादा-दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और वर्तमान स्थिति से उसकी तुलना करें।
- अगर आपके घर या विद्यालय के पास कोई झील, कुआँ या बावली है, तो वहाँ जाएँ और उसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करें।

पानी के प्रदूषण, पानी की उपलब्धता और इसके पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण पर परियोजनाएँ हो सकती हैं। आप बच्चों को समूहों में विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक समूह ऐसे विषयों पर गतिविधियों की योजना और रूपरेखा बना सकते हैं। प्रयोग के तौर पर बच्चों को सर्वेक्षण, पुस्तकालयों या क्षेत्र के दौरे पर जाने के लिए सहायता दी जा सकती है। बच्चे समूहों में परियोजनाओं का विवरण तैयार कर सकते हैं और उसकी रिपार्ट कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। रूब्रिक्स को मानदंड के रूप में उपयोग करके आकलन किया जा सकता है, जिसे बच्चों की मदद से तैयार किया जा सकता है।

चर्चा

चर्चा, समूह में सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम में मदद करती है। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचार और अनुभव दूसरों के साथ चर्चा के माध्यम से साझा किए के जाते हैं। कई ईवीएस अध्यायों में, बच्चों को कक्षा में अपने साथी-समूहों और शिक्षकों के साथ चर्चा करने के समुचित अवसर मिलते हैं। सवाल कि जैसे, भूख लगने पर आपको कैसा लगता है?; क्या होगा अगर आपको दो दिनों तक पानी न मिले?; क्यों कुछ लोगों के पास पानी नहीं है और दूसरों के पास बहुतायत में है?, इस तरह के प्रश्नों का उपयोग शिक्षकों द्वारा चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है, जहाँ प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक प्रतिक्रिया किसी को भी अपमानित किए बिना स्वीकार की जाएगी। आप समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों और सरोकारों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अखबार के विवरण/टी.वी. रिपोर्ट्स या कुछ केस स्टडी का उपयोग कर सकते हैं।

प्रयोग और अन्वेषण

प्रयोग और अन्वेषण बच्चों को जाँच करने, निरीक्षण करने, सृजन करने, चर्चा करने, गंभीर रूप से सोचने, वर्गीकृत करने, विश्लेषण करने, तर्क करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं जिनमें बच्चे अपनी गतिविधियों को स्वयं कर सकते हैं और अपने अवलोकन से सीख सकते हैं। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में, 'पानी के साथ प्रयोग शीर्षक वाले अध्याय के अंतर्गत हम— 1) क्या तैरता है और क्या डूबता है? 2) कौन-सी चीज़ें/पदार्थ घुलनशील हैं और कौन-से नहीं? 3) पानी कहाँ गया? इत्यादि से संबंधित गतिविधियाँ देखते हैं। आप बच्चों को गतिविधियों से संबंधित संसाधन प्रदान करके या उनको प्रबंधन का सुझाव देकर गतिविधियों को करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि उन्हें इस तरह की गतिविधियों को करने के उद्देश्य से परिचित

आओ विचार करें

- इस संदर्भ में शिक्षक से क्या भूमिकाएँ अपेक्षित हैं?
- वह कक्षा में चर्चाओं का आयोजन कैसे करेंगे? शिक्षक के लिए कुछ सुझावों को सूचीबद्ध करें।
- रा.शै.अ.प्र.प. की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कुछ अभ्यासों की पहचान करें जिनमें शिक्षकों को बच्चों के साथ कुछ महत्वपूर्ण सरोकारों के बारे में जागरूकता विकसित करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए चर्चा करने के लिए कहा जा सकता है।

होना चाहिए। यह संभव है कि कई बार बच्चे अपेक्षा से अधिक और बहुत दिलचस्प जानकारियाँ सामने लाएँ जो अन्वेषण को आगे बढ़ाने की संभावनाएँ पैदा करती हैं। आपको केवल इस ओर उनका ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ उन्हें और अधिक अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

सर्वेक्षण और साक्षात्कार

सर्वेक्षण बच्चों को सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए जानकारी प्राप्त करने, एकत्रित करने और उपयोग करने में मदद करता है। अधिकांश अन्वेषण और सर्वेक्षण गतिविधियों में बच्चे, साक्षात्कार का उपयोग करके लोगों से जानकारी लेते हैं। बच्चों को अपने आसपास के लोगों से बात करके समस्या या दिए गए कार्य से संबंधित आँकड़े एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे उन्हें आसपास की समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है और वे अपने परिवेश की समस्याओं के बारे में अधिक जान पाते हैं। बच्चों को साक्षात्कार के लिए स्वयं प्रश्न तैयार करने और इकट्ठा की गई आधार-सामग्री का उपयोग करके विवरण तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। लोगों के साथ बातचीत और उनका साक्षात्कार करना संचार-कौशल को बढ़ाने, प्रश्नों को तैयार करने और सवाल पूछने, प्रतिक्रियाओं को दर्ज करने, विवरण तैयार करने आदि के कौशल विकसित करने में मदद करता है।

सर्वेक्षण अभ्यास के कुछ उदाहरण

- पानी की बर्बादी और संरक्षण का पता लगाने के लिए विद्यालय और पड़ोस का एक सर्वेक्षण।
- बच्चे विद्यालय और समाज में पानी के रिसाव वाले नलों, पाइपों, व्यर्थ बहाव, अधिक पानी प्रयोग करने के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और कक्षा के साथ विवरण साझा कर सकते हैं।

अनुभव साझा करना

ईवीएस कक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू बच्चों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में मदद करना है। शिक्षक ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर सकता है जहाँ प्रत्येक बच्चा बिना किसी हिचकिचाहट के विचार साझा करने में सक्षम हो। अभिव्यक्ति के अवसर मौखिक, लिखित, चित्र बनाकर या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पानी की उपलब्धता के बारे में चर्चा करते समय बच्चों से पूछा जा सकता है कि उन्हें अपने घरों में पानी कैसे मिलता है। उन्हें अपने परिवारों में विभिन्न त्योहारों के दौरान पानी का उपयोग साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। वे कुछ पंक्तियाँ लिखकर, वर्णन करके या चित्र बनाकर ऐसा कर सकते हैं। इससे विविध पृष्ठभूमि के लोगों में व्याप्त सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के बारे में जागरूकता पैदा होती है।

भूमिका निर्वहन

प्राथमिक कक्षा के बच्चों को व्यावहारिक और प्रस्तुति देने वाली गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है। रंगमंच बच्चों को कुछ वास्तविक और काल्पनिक चरित्रों पर अभिनय करने में मदद करता है जो न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि इन पात्रों के मूल्यों, दृष्टिकोण और भूमिकाओं से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में भी मदद करता है। बच्चों को कुछ भूमिकाएँ देने से उन्हें बेहतर अधिगम और संदर्भों को आत्मसात करने में मदद मिलती है, जो न केवल उन्हें विभिन्न तरीकों से विषयवस्तु को जानने-समझने में

मदद करती है, बल्कि उपयुक्त स्वभाव धारण करने में भी मदद करती है। भूमिका निभाने के लिए कई तरह की स्थितियाँ बनाई जा सकती हैं।

शिक्षक बच्चों को निम्न स्थितियों में भूमिका निर्वहन के लिए कह सकता है—

- एक बालिका को घर का सारा काम करने के लिए घर पर ही रहना पड़ता है।
- एक परिवार, जो हर दिन पानी के टैंकर से केवल दो बाल्टी पानी ले पाता है।

क्षेत्र भ्रमण

क्षेत्र भ्रमण को अक्सर आनंद और मस्ती की गतिविधियों के रूप में माना जाता है, लेकिन जब तक हम इसका उपयोग व्यवस्थित तरीके से बच्चों को अवधारणाएँ सिखाने और सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नहीं करेंगे, तब तक क्षेत्र भ्रमण ईवीएस पाठ्यक्रम के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक नहीं होगा।

पड़ोस में एक सूखते/पुनर्जीवित जल निकाय (कुआँ, झील, तालाब) को देखने जाना और लोगों से इसके बारे में पता करना इस तरह का एक उदाहरण हो सकता है।

ये कुछ विधियाँ हैं, हालाँकि शिक्षक संदर्भों और विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार कई और तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें बच्चे व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। समूह गतिविधियाँ कई रूप ले सकती हैं, जैसे— जिग्सॉ (Jigsaw) पहेली सुलझाना, विचार-विमर्श, परियोजना, भूमिका निर्वहन, खोज आदि। शिक्षक बच्चों को किए जाने वाले कार्यों के अनुसार समूहों में बाँट सकते हैं। समूह बनाते समय यह महत्वपूर्ण है कि समूह की प्रकृति विजातीय/विषमरूपी हो और उसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले बच्चे शामिल हों।

अधिगम संसाधन

बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। इसलिए विभिन्न शिक्षण संसाधनों का उपयोग करके उन्हें अधिगम के विविध अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ईवीएस के शिक्षण-अधिगम में कई प्रकार के शिक्षण संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यह मुद्रित पाठ्यपुस्तकों और अन्य पूरक तथा संपूरक पुस्तकों, ई-संसाधनों, जैसे— ऑडियो, वीडियो, पाठ, चित्र, तालिका कार्टून आदि प्राकृतिक और निर्मित वातावरण व्यक्तियों तथा व्यक्तित्वों से जानकारी इत्यादि के रूप में हो सकता है।

एक अच्छे शिक्षण संसाधन की पहचान करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए वह महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक चरण के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तकें बच्चे के निकटवर्ती परिवेश के आसपास केंद्रित हों जिसमें प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था शामिल है। पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान का

आओ विचार करें

- इन स्थितियों के माध्यम से कौन-से कौशल और मूल्यों को संबोधित किया जा सकता है?
- ये गतिविधियाँ ऊपर दी गई पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के साथ कैसे समेकित होती हैं?
- आप ऐसी गतिविधियों में दृष्टिबाधित बच्चों को कैसे शामिल करेंगे?

एकमात्र स्रोत नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षकों और बच्चों दोनों को अपने चारों ओर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए सहयोग करना चाहिए। इसमें बच्चों के लिए वास्तविक जीवन के साथ अन्वेषण करने और जुड़ने की गुंजाइश होनी चाहिए। वे पाठ्यपुस्तकें, जो औपचारिक परिभाषाओं और केवल जानकारी पर ज़ोर देती हैं, उनसे बचा जा सकता है क्योंकि वे केवल रटने के अधिगम की दिशा में ले जाती हैं। इसके अलावा सभी बच्चों को एक विशेष स्तर पर समझाने के लिए भाषा को सरल होना चाहिए।

ईवीएस में रा.शै.अ.प्र.प. पाठ्यपुस्तकें मुख्यत: छ: विषयों पर केंद्रित हैं; (1) परिवार और मित्र, जिसमें चार उप-विषय होते हैं— (1.1) संबंध, (1.2) कार्य और खेल, (1.3) जानवर, और (1.4) पौधे। अन्य हैं— (2) भोजन, (3) पानी, (4) आश्रय, (5) यात्रा, और (6) चीज़ें, जो हम बनाते हैं और करते हैं। प्रत्येक विषय बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरु होता है। पूरा पाठ्यक्रम रा.शै.अ.प्र.प. की वेबसाइट (http://www.ncert.nic.in/rightside/links/syllabus.html) पर उपलब्ध है। अध्यायों में वास्तविक जीवन की घटनाएँ, जीवन की प्रतिदिन की चुनौतियाँ और समसामयिक मुद्दे, जैसे— भोजन, पानी, जंगल, जानवरों की सुरक्षा, प्रदूषण आदि शामिल हैं। विचार और अवधारणा गतिविधियों तथा चर्चाओं के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को आकर्षित करने और रुचि उत्पन्न करने के लिए दी गई हैं। बच्चों के लिए स्वतंत्र रूप से बहस करने, उनसे जुड़ने और उनके बारे में संवेदनशील समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर हैं।

अगले अनुभाग में ईवीएस में पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं, शैक्षणिक आयामों और सीखने के प्रतिफलों के बीच एक कड़ी स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें 'जल' विषय को लिया गया है। इससे पहले कि हम इसके शैक्षणिक आयामों को समझे, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं कि इस विषय का उपयोग प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों, जैसे— गणित, भाषा, कला, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा के साथ समेकन को कैसे दर्शाता है।

'जल' विषय का दायरा और शैक्षणिक आयाम

'जल' विषय का दायरा

पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों के निर्वाह के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ईवीएस एक अंतर-अनुशासनिक क्षेत्र होने के नाते बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है। 'जल' से संबंधित अवधारणाएँ और मुद्दे किसी भी वर्ग, क्षेत्र या इलाके के लिए सार्वभौमिक हैं, इसलिए वह विभिन्न पर्यावरणीय अवधारणाओं और मुद्दों को समग्र रूप से समझने में मदद कर सकता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम के लिए 'जल' एक विषय हो सकता है। ईवीएस में समावेशी परिप्रेक्ष्य विकसित करने और अधिगम के कई अवसर प्रदान करने के लिए, विषय के रूप में, इसका दायरा व्यापक है। यह 3 से कक्षा 5 तक की अवधारणाओं को एक सीमा में बाँधता है जो धीरे-धीरे बच्चे में दुनिया आसपास की समझ को बढ़ाता है। यह 'स्वयं' और उसके परिवार से शुरु होता है (मेरे और परिवार के लिए पानी, अपने घरों में पानी के उपयोग और भंडारण के महत्व को

समझना) और फिर अड़ोस-पड़ोस और मोहल्ले से (आस-पड़ोस में जल स्रोतों का मानचित्रण, जेंडर, अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार, पड़ोस में पानी के झगड़े), से होते बड़े परिप्रेक्ष्य (प्राकृतिक संसाधनों पर किसका अधिकार है? अन्य प्रजातियों पर जल प्रदूषण के प्रभाव, पानी के ऐतिहासिक स्रोतों का पता लगाना, जल संरक्षण के पारंपरिक और आधुनिक तरीके) तक जाता है। इसके अलावा, इसमें कई प्रक्रिया कौशल, जैसे— अवलोकन, प्रयोग, माप, अनुमान और मानचित्रण के विकास की संभावनाएँ हैं, जो सब विषयों के लिए हैं। यह खंड आपको विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित मुद्दों पर चिंतन करने और उन्हें पानी के विषय से जुड़े सरोकारों तथा मुद्दों की समझ पैदा करने में मदद करेगा। इसके अलावा, इस विषय की अंतर्विषयक कड़ियाँ आपको अन्य पाठयक्रम क्षेत्रों और ईवीएस अधिगम के विभिन्न प्रक्रिया कौशलों को समझने और बढ़ाने में मदद करेंगी। ऐसा ही एक मस्तिष्क मानचित्र आगे दिया गया है।

इसमें कुछ और जोड़ने की कोशिश करें।

- ये किस अन्य विषय क्षेत्र से संबंधित या जुड़े हुए हैं?
- क्या आप इसका ईवीएस के अन्य विषयों से संबंध स्थापित कर सकते हैं?
- क्या आप ईवीएस में समेकित परिप्रेक्ष्य देखते हैं? कैसे?

आइए, अब हम यह समझने के लिए कुछ अवधारणाओं/मुद्दों को उठाते हैं कि शिक्षक कैसे बच्चों में आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्यों को आत्मसात करने में मदद करने के लिए सार्थक अधिगम अवसर पैदा कर सकते हैं।

योजना और अधिगम अनुभव बनाना

जल स्रोतों के बारे में बच्चों की अपनी समझ है क्योंकि वे इन्हें स्पष्ट स्थानों से जोड़ते हैं जो उन्हें पानी देखने/उपयोग हेतु लेने के लिए मिलते हैं और कुछ बच्चे जल के स्रोतों के बारे में कुछ वैकल्पिक रूपरेखा तथा वैकल्पिक अवधारणाओं को भी मन में आश्रय दे सकते हैं। बच्चों को इससे उबरने में मदद करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जल के स्रोतों के बारे में बच्चों के पिछले अनुभवों को इकट्ठा करें और उन्हें इस अवधारणा का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करें।

आओ विचार करें

- 'जल' विषय के अंतर्गत ईवीएस में समावेशी परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए कौन-सी अवधारणाएँ और मुद्दे उठाए जा सकते हैं?
- जल से संबंधित अवधारणाओं और मुद्दों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। इन्हें मस्तिष्क मानचित्र के स्वरूप में प्रस्तुत करें।

जल— उपलब्धता, पहुँच और वितरण

गतिविधि 1

बच्चों से पूछें कि उनके घर पर पानी कहाँ से आता है? उन्हें एक-एक करके जवाब देने दें और उनके जवाब बोर्ड पर लिखे जा सकते हैं। बच्चे नदी, जलधारा, कुआँ, बारिश, नल, हैंड-पंप जैसी कई प्रतिक्रियाएँ दे सकते हैं। कुछ बच्चे डिब्बा, घड़ा, बाल्टी आदि भी कह सकते हैं। सभी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करें और उन्हें बोर्ड पर लिखें।

ध्यान दें— उनकी प्रतिक्रियाओं को सही या गलत बताने का कोई प्रयास न करें।

आप प्रतिक्रियाओं को देखकर उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जिन्होंने जल स्रोत की वैकल्पिक रूपरेखाएँ बनाई हैं। शिक्षक प्रश्न पूछकर उनकी विचार प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है और पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकता है। शिक्षक किसी अजीब प्रतिक्रिया को चुनकर और कुछ प्रश्न पूछकर बच्चों के बीच चर्चा को प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे—

- आपने/उन्होंने घड़े में पानी कहाँ से लिया था?
- नल में पानी कहाँ से आया?

किसी भी विषम प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने और बच्चों से प्रश्न पूछने और उन्हें वांछित अधिगम में सक्षम बनाकर कई वैकल्पिक रूपरेखाओं को जानने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों के मन में उठने वाली वैकल्पिक रूपरेखाओं को चुनौती देने के अवसर पैदा करने के लिए प्रश्न पूछना जारी रखें।

जब तक बच्चे पानी के स्रोतों का पता लगाने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक बोर्ड पर प्रतिक्रियाओं को दर्ज करते रहें और चर्चा को सुगमता से आगे बढ़ाते रहें।

अब उन्हें निम्नानुसार अपनी पहली प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत करने में मदद करें।

1. वे चीज़ें जिनमें हम पानी जमा करते हैं	**2. ये चीज़े जिनमें पानी खुद आता है**
1. कनस्तर	1. धारा
2. बाल्टी	2. तालाब

अगर कुछ बच्चे पहले बॉक्स में 'हैंड-पंप' और 'कुआँ' लिखते हैं तो आप क्या करेंगे?

संकेत— शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों के साथ आगे की चर्चा को सुविधाजनक बना सकता है।

उदाहरण के लिए—

- क्या किसी ने कुआँ देखा है? कहाँ पर?

ध्यान दें— बच्चे कुएँ/नलकूप (ट्यूबवेल) के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

अब शिक्षक पूछ सकता है—

- हैंड-पंप/कुआँ/नलकूप में पानी कहाँ से आता है?
- आपको क्या लगता है कि भूमिगत जल कहाँ से आता है?
- बारिश के बाद पानी कहाँ जाता है?

यह बच्चों को जल के भंडारण के तरीकों से जल स्रोतों के बीच अंतर स्पष्ट करने में मदद करेगा।

आओ विचार करें

यदि कुछ बच्चों में अभी भी जल के स्रोतों के बारे में कोई वैकल्पिक अवधारणा है, तो आप उनकी मदद से कैसे करेंगे?

संकेत— यदि संभव हो तो शिक्षक बच्चों को यह दिखाने के लिए बाहर ले जा सकते हैं कि उनके घर/विद्यालय में पानी कैसे उपलब्ध होता है।

गतिविधि 2

बच्चों को उस स्थान पर ले जाएँ जहाँ से उन्हें अपने विद्यालय में पीने का पानी मिलता है, जैसे नल, और फिर इसके बारे में कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं।

- इस नल में पानी कहाँ से आता है?
- इसका उत्तर देने के लिए बच्चों को बड़ी टंकी पर ले जाए जा सकता है और दिखाया जा सकता है कि नल में पानी कैसे जाता है।
- बच्चे सवाल पूछ सकते हैं कि टंकी में पानी कैसे भरता है?

यह भी संभव है कि बच्चे ऐसे सवालों का तुरंत जवाब न दे सकें। शिक्षक उन्हें क्षेत्र के स्थानीय संदर्भों के अनुसार समझने में मदद कर सकते हैं। यदि संभव हो तो उनको यह पता लगाने में मदद की जा सकती है कि यह क्षेत्र की बड़ी टंकी है, या नदी, झील या यहाँ तक कि जल का भूमिगत स्रोत आदि है। इसमें शिक्षकों या उनको बड़े/बुज़ुर्गों की मदद ली जा सकती है।

गतिविधि 3

बच्चों को चित्र बनाकर यह बताने के लिए कहें कि उन्हें अपने घर में पानी कैसे मिलता है? तीसरी कक्षा के कुछ बच्चों को जब इस गतिविधि का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, तो उन्होंने सुंदर चित्र बनाए। नीचे एक नमूना दिया गया है।

याद रखें कि जब बच्चों को कला और शिल्प गतिविधियों के माध्यम से रचनात्मकता व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं, तो उन्हें केवल मज़ेदार गतिविधियों के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये आपको बच्चों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं ताकि उन्हें वांछित अधिगम दिशा में सहयोग प्रदान किया जा सके।

बच्चों को मुद्दों के लिए गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक इन चित्रों का उपयोग बच्चों के संदर्भों को समझने में और चर्चा करने में कर सकते हैं। चर्चा के लिए कुछ प्रश्न हो सकते हैं—

- आपको क्यों लगता है कि मानवी ने पानी की टंकी लगाई है?
- सलिल ने अपने चित्र में एक मोटर क्यों जोड़ी है?

इसमें और प्रश्न जोड़ने का प्रयास करें।

इस तरह के प्रश्न बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक को चर्चा, वीडियो, बड़ों के साथ बातचीत, पड़ोस की बड़ी टंकी की यात्रा, जल बोर्ड कार्यालय आदि जैसे उपयुक्त साधनों का उपयोग करके समझने में सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। शिक्षक स्थानीय संदर्भ में कुछ और प्रश्न उठा सकते हैं और बच्चों को अपने अनुभव साझा करने और पानी की उपलब्धता तथा वितरण संबंधी असमानताओं के बारे में चर्चा करने, उनके संदर्भों में बच्चों तक पहुँच बनाने एवं इन मुद्दों के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए कह सकते हैं।

गतिविधि 4

कृपया नीचे दिया गया पोस्टर देखें। शिक्षक पानी के असमान वितरण और लोगों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं, कैसे।

चर्चा के कुछ विषय हो सकते हैं—

- पानी सभी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और यह धरती पर सभी के लिए उपलब्ध है।
- वे कौन-से तरीके हैं जिनके द्वारा लोगों को उनके घर में पानी मिलता है?
- इन लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?
- क्या सभी को पीने और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी मिलता है?
- कुछ लोगों के पास यह क्यों है और दूसरों के पास नहीं?
- क्या आपको लगता है कि कुछ लोग मोटर या बोरवेल लगाकर ज़्यादा पानी खींचते हैं?
- क्या इससे दूसरों को परेशानी हो सकती है?
- क्या आपने कभी ऐसी स्थितियों का अनुभव किया है?
- आपके घर में कौन और कितनी दूर से पानी लाता है?
- क्या सभी लोग पानी के समान स्रोत का उपयोग करते हैं?
- क्या कुछ लोग इन जल स्रोतों के पास आने से प्रतिबंधित हैं?
- क्या ऐसे लोगों के पास पानी के कुछ अलग स्रोत हैं?
- वे लोग कौन हैं? वे किस तरह का काम करते हैं?

ध्यान दें— कृपया ध्यान दें कि जाति वर्ग के मुद्दों पर बच्चों के दृष्टिकोण पर बहुत संवेदनशील रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है।

आओ विचार करें

- क्या आप कुछ और गतिविधियाँ तैयार कर सकते हैं?
- शिक्षक ने 1 से 4 की गतिविधियों में कौन-सी रणनीतियों का उपयोग किया है?
- उपरोक्त गतिविधियों में किस प्रक्रिया कौशल पर बल दिया जाता है?
- क्या आपको लगता है कि ईवीएस कला शिक्षा को समेकित करने के लिए कोई अवसर प्रदान करता है? कैसे?
- क्या आपको लगता है कि किसी सामाजिक मुद्दे पर ध्यान दिया गया था? कौन-से और कैसे?

जल— वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रक्रियाएँ

अपनी विशिष्ट रासायनिक संरचना के कारण स्थिति, रंग, स्वाद और ध्रुवीयता जैसी विशेषताओं के संदर्भ में पानी सार्वभौमिक और अद्वितीय है और यह विभिन्न वैज्ञानिक घटनाओं और सिद्धांतों का पता लगाने के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। बहुत कम उम्र से ही बच्चों को अपने दैनिक जीवन में पानी में तैरने, डूबने और इससे मिश्रण तैयार करने जैसे अनुभव मिलने लगते हैं। उन्हें व्यावहारिक व क्रियाशील अवसर प्रदान करके अपने अनुभवों पर विचार करने में मदद करें।

गतिविधि 5

बच्चों को पानी रखने। ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आकृतियों और आकारों के पात्रों के नाम बताने तथा चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। फिर उन्हें एक-दूसरे के चित्र देखने और इन विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

- पात्र किससे बने होते हैं?
- उनमें निहित पानी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है?
- काम पूरा होने के बाद पात्र में कितने समय तक पानी रह सकता है?
- उनमें कितना पानी जमा किया जा सकता है?
- यदि पानी एक संकरे और चौड़े पात्र में समान स्तर पर है, तो क्या इसका मतलब उनमें पानी की मात्रा समान है?

गतिविधि 6

बच्चे बालू, चीनी, चॉक, हल्दी पाउडर जैसे पदार्थों को इकट्ठा कर सकते हैं और इन पदार्थों को पानी में घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें कुछ समय के लिए उन मिश्रणों को हिलाने के लिए कहें और देखें कि क्या होता है और उनकी टिप्पणियों को दर्ज करें। वे कुछ तरल पदार्थ भी इकट्ठा कर सकते हैं और जाँच सकते हैं कि वे पानी के साथ मिश्रित होते हैं या नहीं, उदाहरण के लिए स्वाही, दूध, शहद, तेल आदि।

गतिविधि 7

बच्चों को लकड़ी की पेंसिल, धातु की कलम, फुलाया या हवा निकाला हुआ गुब्बारा, ईंट का टुकड़ा, स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का चम्मच, आइसक्रीम कप, सुई, मोमबत्ती, मक्खन, तेल, गत्ता, माचिस, रबड़, स्टील की प्लेट, पत्ती, पत्थर, पानी की खाली और भरी हुई बोतल जैसी विभिन्न वस्तुओं को इकट्ठा करने दें। अब उन्हें यह अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें कि इनमें से कौन-सी वस्तु पानी में डूबेगी/तैरेगी। बच्चे एक-एक करके विभिन्न वस्तुओं को पानी की बाल्टी में डालकर यह सत्यापित कर सकते हैं और एक सारणीबद्ध रूप में अपनी टिप्पणियों को दर्ज कर सकते हैं।

तालिका

वस्तु	तैरने वाली	डूबने वाली

अब चर्चा करें—

- कौन-सी वस्तुएँ पानी में तैरती हैं?
- कौन-सी वस्तुएँ पानी में डूब जाती हैं?

अपने शब्दों में बच्चों को इस बात पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि क्यों कुछ वस्तुएँ पानी में तैरती हैं जबकि अन्य डूबती हैं। उन्हें यह देखने के लिए भी प्रेरित करें कि क्या एक ही पदार्थ से बनी, लेकिन विभिन्न आकृतियों की वस्तुएँ तैरने या डूबने के संबंध में भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करती हैं।

गतिविधि 8

पानी की बाल्टी में एक रबड़ की गेंद को तैरने के लिए डालें। बच्चों को इस गेंद को डुबाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने और प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या ये तरीके काम आए? बच्चों को ऐसी अन्य परिस्थितियों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिनमें एक तैरती वस्तु को डुबाने या इसके विपरीत डूबी वस्तु को तैराने के प्रयास किए जाएँ, और कक्षा में उनके अवलोकन को साझा करें।

बच्चों को उनके अवलोकन के आधार पर चित्र बनाने के लिए कहा जा सकता है। इससे बच्चों को उन चीज़ों को बारीकी से देखने में मदद मिलेगी जो वस्तुएँ किसी भी रूप में एक-दूसरे से भिन्न हैं।

गतिविधि 9

बच्चे एक साधारण रसोई के बर्तन में थोड़ा पानी ले सकते हैं और धीरे से उसमें एक अंडा डालकर निरीक्षण कर सकते हैं कि यह डूबता है या तैरता है। उन्हें पानी में थोड़ी चीनी मिलाने का सुझाव दें और फिर से निरीक्षण करने को कहें। वे इसमें चीनी मिलाते जाएँ (एक गिलास पानी में लगभग 10–12 चम्मच)। क्या होता है? उन्हें इस गतिविधि को नमक के साथ दोहराने दें और देखें कि क्या होता है।

ध्यान दें— प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, टिप्पणियाँ दर्ज करने और उसकी टिप्पणियों का अर्थ बताने की अनुमति दें। बच्चे के अपनी भाषा में दिए गए उत्तर स्वीकार करें। उदाहरण के लिए उसका यह कहना है कि पानी 'भारी' या 'गाढ़ा' है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों से घनत्व, चिपचिपाहट आदि शब्दों और उनकी परिभाषा के बारे में जानने की उम्मीद नहीं की जाती है। विज्ञान का अर्थ तथ्यों और सिद्धांतों को याद करना नहीं है, बल्कि यह एक एसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे परिकल्पना करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं और सामान्यीकरण करते हैं।

आओ विचार करें

- गतिविधि 5 से 9 में किन अवधारणाओं पर कार्य किया गया है?
- इन गतिविधियों के माध्यम से किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ाया जा सकता है?
- शिक्षक बच्चों का आकलन कैसे कर सकता है?
- आप उपरोक्त के माध्यम से अधिगम के रूप में आकलन पर कैसे ज़ोर दे सकते हैं?

संकेत— अधिगम के रूप में आकलन स्वयं विचार करने/स्वयं अधिगम करने और सह-अधिगम आकलन के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर देता है।

- आपको इन गतिविधियों के माध्यम से कौन-से सीखने के प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? उन्हें सूचीबद्ध करें।
- प्राथमिक स्तर पर किन अन्य अवधारणाओं पर कार्य किया जा सकता है? उनके आधार पर कुछ और गतिविधियाँ तैयार करें?

जल— सांस्कृतिक पहलू

विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों में विविध अनुष्ठानों और प्रथाओं/रीतियों में जल निकायों, नदियों और पानी की भूमिका को पुनर्जीवित करना प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यह बच्चों की सामाजिक-सांस्कृतिक दुनिया को प्रकृति से जोड़ने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए उन्हें संवेदनशील बनाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

गतिविधि 10

बच्चों को कक्षा में पानी से संबंधित कोई भी लोक गीत सुनाने/गाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके बाद उनसे पूछा जा सकता है—

- उन्होंने यह गीत कहाँ सीखा?
- वह कौन-सा अवसर था जब लोग इसे गाते थे?
- कुछ त्योहारों के नाम बताइए जहाँ पानी का सांस्कृतिक महत्व है? (उदाहरण के लिए बिहार में छठ पूजा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, मेघालय में बेहदीतखलम आदि)।
- आपके क्षेत्र में कौन-से त्योहार हैं, जिनमें पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
- पानी उस खास त्योहार को मनाने में कैसे सहायक है?
- त्योहारों के अलावा कुछ अन्य अवसरों/सांस्कृतिक रीतियों (जैसे— जन्म/मृत्यु/विवाह आदि के समय), जिनमें पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है/उसकी पूजा की जाती है, कौन-से हैं?
- क्या लोग ऐसे अवसरों पर पानी से संबंधित कुछ विशेष गीत गाते हैं? कुछ पंक्तियों का उल्लेख करें।
- क्या पानी से संबंधित कुछ विशिष्ट नृत्य हैं? नाम बताइए।
- क्या लोग जल को कुछ मूर्तियाँ/भोग अर्पित करते हैं?
- कुछ अन्य चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें लोग पानी में फेंकते हैं? क्या लोग पानी में डुबकी भी लगाते हैं?

आओ विचार करें

- ईवीएस उन अनुभवों को प्रदान करने के लिए कहता है जो सर्वांगीण शिक्षा और बच्चों के समग्र विकास में मदद करते हैं। आपको क्या लगता है कि गतिविधि इस दिशा में कैसे मदद करती है?

संकेत— संज्ञानात्मक पहलू के साथ सामाजिक-भावनात्मक आयामों को संबोधित करना।

जल— संरक्षण एक पर्यावरणीय चिंता

जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सभी का जीवन निर्वाह करता है और हमारे दैनिक कामकाज के लिए भी आवश्यक है। हालाँकि, एक दुर्लभ और मूल्यवान संसाधन होने की वजह से बच्चों को न केवल इसके प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, बल्कि इसके संरक्षण के लिए उन्हें सक्षम बनाने, उपयुक्त कौशल और दृष्टिकोण से लैस करने की भी आवश्यकता है।

केवल उपदेश देकर या उन्हें अपव्यय से बचने के लिए कहकर पानी का पुनः उपयोग या संरक्षण करने से मदद नहीं मिलेगी। इसलिए आपको उनके वास्तविक जीवन संदर्भों में अंतर्निहित स्थितियों के बारे में सोचना पड़ सकता है जहाँ उन्हें समस्याओं को देखने और अपने स्तर पर उनका समाधान करने के अवसर मिलते हैं।

गतिविधि 11

आप जलापूर्ति की कमी के बारे में अखबार की खबरें, चित्र या वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं।

मरम्मत संबंधी कारणों से पूरी दिल्ली में जलापूर्ति बाधित

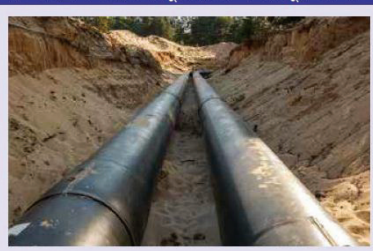

नयी दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि आज शाम पानी की पाइपलाइनों को जोड़ने की प्रक्रिया के कारण, एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों सहित शहर के प्रमुख हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध नहीं होगा या दबाव में उपलब्ध होगा, उनमें सिविल लाइंस, हिंदू राव अस्पताल और उसके आसपास के क्षेत्र, कमला नगर, शक्ति नगर और करोल बाग शामिल हैं। चंद्रावल वॉटर वर्क्स के पूर्ण रूप से बंद होने के कारण, जलापूर्ति प्रणाली के मुख्य पाइप में डी.सी.एम. चौक, रानी झांसी रोड की पाइप लाइनों को जोड़ने और मरम्मत करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। *स्रोत*— http://www.ndtv.com/delhi-news/water-supply-to-be-disrupted-across-delhi-due-to-maintenance work-1475615; 27 अप्रैल, 2019 से लिया गया।

उनके साथ जलापूर्ति नहीं होने के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करें। फिर कुछ प्रश्न करें, जैसे—

- क्या उन्होंने कभी पानी के अभाव की स्थिति का सामना किया है?
- कब? उस समय उन्होंने कैसे प्रबंधन किया?
- यदि उनके परिवारों को एक दिन में केवल दो बाल्टी पानी मिलता है, तो उन कार्यों को सूचीबद्ध करें जो वे प्राथमिकता के क्रम में करेंगे।

ऐसी अन्य स्थितियों का निर्माण किया जा सकता है जो बच्चों को विश्लेषण करने, गंभीर रूप से सोचने, चिंतन करने और पानी के महत्व को समझने तथा पानी की बर्बादी एवं प्रदूषण की जाँच करने में सक्षम बनाएँ। ऐसा करने के लिए उनके आसपास की वास्तविक जीवन स्थितियों को उजागर करना महत्वपूर्ण है।

गतिविधि 12

बच्चे अपने विद्यालय, पर, पड़ोस वा इलाके में समूहों में एक सर्वेक्षण कर सकते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि पानी की बर्बादी/अति प्रयोग हो रहा है या नहीं। शिक्षक उन्हें अपनी टिप्पणियों को दर्ज करने के लिए निम्न तालिका प्रदान कर सकते हैं। वे अपनी टिप्पणियों के अनुसार अलग-अलग बॉक्स में एक निशान लगाएँ।

लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वे लोगों की प्रतिक्रियाओं को दर्ज कर सकते हैं और अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर कक्षा में समूहों द्वारा प्रस्तुति और चर्चा की जाती है, जिनमें शिक्षक विभिन्न मानदंडों (नीचे दिए गए) के आधार पर उनका आकलन कर सकते हैं। बच्चों की मदद से एक रूब्रिक विकसित किया गया है।

तालिका

क्र. सं.	पानी की बर्बादी का स्रोत	विद्यालय	घर	स्थानीय क्षेत्र
1.	नल से रिसाव			
2.	पाइप से रिसाव			
3.	टंकी/पात्र में पानी का बहना			
4.	कोई अन्य			

संबंधित लोगों से पूछताछ करके बच्चों को पानी के रिसाव/अतिप्रवाह के कारणों का पता

शिक्षक उन क्षेत्रों की पहचान करने में रूब्रिक के विवरण का उपयोग कर सकते हैं जिनमें सुधार

मानदंड	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
प्रश्नों को तैयार करना	शिक्षक ने समूह के लिए सभी प्रश्नों को तैयार किया	शिक्षक और साथियों के समर्थन से प्रश्नों को तैयार किया	समूह में साथियों के सहयोग से अधिकांश प्रश्नों को तैयार किया
जवाब एकत्रित करना	जाँच करने के प्रयास के बिना सवाल पूछे गए	जाँच के प्रयास के साथ सवाल पूछे गए	गहराई से जाँच की और बातचीत के दौरान नये सवाल भी जोड़े
जानकारी दर्ज करना और विवरण बनाना	प्रतिक्रियाएँ व्यवस्थित नहीं थीं और मौखिक रूप से कुछ जानकारी साझा की गई	व्यवस्थित रूप से जानकारी दर्ज की और लिखित विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत की	व्यवस्थित रूप से जानकारी दर्ज की और मौखिक एवं लिखित रूप से कक्षा में विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत की
निष्कर्ष निकालना	किसी भी सुझाव के बिना कुछ जानकारी दी गई	उपयुक्त अर्थ निकाला गया और कुछ प्रासंगिक सुझाव दिए गए	अर्थ समझा गया और तार्किक रूप से व्यावहारिक सुझाव दिए गए
सहयोग करना	कुछ सदस्यों ने सहयोग किया और अन्य लोग इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हुए	कुछ सदस्यों ने सहयोग किया और अन्य लोग जागरूक या सूचित थे	सभी सदस्यों ने समान रूप से काम में सहयोग दिया

की आवश्यकता है। उचित प्रतिक्रिया के साथ वह आत्ममंथन और आत्मसुधार के अवसर पैदा करता है।

गतिविधि 13

पानी की कमी की स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को विचार करने और कुछ रणनीतियाँ सुझाने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक को, संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को यह महसूस करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि पानी कितना महत्वपूर्ण है और यह समझना चाहिए कि लोग कैसे विभिन्न तरीकों से जल संकट का प्रबंधन करते हैं।

गतिविधि 14

सवाल उठाएँ कि 'किस तरह से वे अपने दैनिक जीवन में पानी का पुनर्प्रयोग करते हैं?' और बच्चे कुछ ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध कर सकते हैं, जो पानी का पुनर्प्रयोग करके किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सब्ज़ियों, फलों को धोने के बाद बचे हुए पानी का इस्तेमाल फर्श को साफ़ करने और पौधों को पानी देने में किया जा सकता है। विविध प्रतिक्रियाओं को बोर्ड पर या पर्चियों पर दर्ज किया जा सकता है और चार्ट पर चिपकाया जा सकता है। वे उन प्रतिक्रियाओं को पढ़ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। आप बच्चों की कुछ प्रतिक्रियाओं को ले सकते हैं, जो बच्चों को और अधिक ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम बनाने के लिए उपयोगी परिस्थितियाँ निर्मित करने में सक्षम हों, उदाहरण के लिए—

- क्या हम जानवरों को कपड़े धोने के बाद बचा हुआ पानी पिला सकते हैं?
  - यदि नहीं तो क्यों?
  - यदि हाँ, तो कैसे?

क्या आप जानते हैं

जल शक्ति अभियान (जे.एस.ए) एक समयबद्ध, मिशन-मोड आधारित संरक्षण अभियान है। यह अभियान 01 जुलाई, 2019 से 15 सितंबर, 2019 तक बरसात के मौसम में नागरिक भागीदारी के माध्यम से चलाया गया। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा चरण 01 अक्तूबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक पूर्वोत्तर के पीछे हटते हुए मानसून प्राप्त राज्यों के लिए चलाया गया। अभियान का केंद्र पानी के अभाव वाले ज़िलों और ब्लॉकों पर था। इसका उद्देश्य नागरिकों को जल संरक्षण के लिए एकजुट होकर और स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर एक जन-आंदोलन बनाने, पानी को बचाने और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टंकियों के नवीकरण, पुनर्प्रयोग बोरवेल के पुनर्भरण की संरचनाएँ, जल विभाजन विकास और सघन वनीकरण पर ज़ोर देता है। शिक्षकों और विद्यालयों के सहयोगात्मक प्रयासों द्वारा जल शक्ति अभियान को पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से कक्षा लाने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टंकियों के नवीकरण, पुनर्प्रयोग, बोरवेल के पुनर्भरण की संरचनाओं, जल विभाजन विकास और सघन वनीकरण के बारे में जागरूक किया गया ताकि क्षेत्र भ्रमण, कृषि क्षेत्रों का भ्रमण और व्यावहारिक तथा क्रियाशील अनुभव, विद्यालय पाठ्यक्रम के संदर्भ में अभियान के सफल कार्यान्वयन में मददगार रहें।

- क्या हम कपड़े धोने के बाद वह पानी पी सकते हैं?

आगे आप पूछ सकते हैं,

- क्या इससे पौधों को नुकसान होगा? कैसे?
- क्या हम इस पानी का पुनर्प्रयोग कर सकते हैं?
- कैसे? कुछ उपाय सुझाएँ? .

इस तरह, पानी के उचित पुनर्प्रयोग के बारे में ज्ञान के निर्माण के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है।

गतिविधि 15

आप उनके संदर्भों में जल संचयन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रासंगिक कुछ जल संचयन रीतियों को उपयोग में लाया जा सकता है, उदाहरण के लिए मेघालय में वर्षा जल संचयन प्रणाली किस कार्य के लिए इस पानी का उपयोग किया जाता है? आप उन्हें चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वहाँ वर्षा जल का संचयन कैसे किया जा रहा है। बच्चों को उनके अन्वेषण पर प्रस्तुतियाँ देने दें। उन्हें कुछ विशिष्ट अनुभवों को साझा करने दें, जिनका वे अवलोकन कर सकते हैं।

गतिविधि 16

बच्चे स्वयं को चार समूहों में विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक समूह ऊपर दिए गए विषयों पर परियोजनाओं को बनाने के लिए विचार कर सकते हैं—

- **पानी का पुनर्प्रयोग**— घर/विद्यालय में पानी का पुनर्प्रयोग करने के विभिन्न तरीकों का सुझाव दें।
- **जल संचयन**— पता करें कि अड़ोस-पड़ोस में बारिश के पानी का संचयन कैसे कर सकते हैं।
- **पानी का अपव्यय**— रिसाव/नल टपकने के माध्यम से पानी के नुकसान की मात्रा का अनुमान लगाएँ।
- **जल प्रदूषण**— एक महीने की जल प्रदूषण की खबरें एकत्रित करें और प्रदूषण के कारणों को सूचीबद्ध करें।

उन्हें विभिन्न संसाधनों का लाभ उठाने, पुस्तकालय का दौरा करने और बड़े/बुज़ुर्गों से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रत्येक समूह में दिए गए विषय पर नाटक/कठपुतली कार्यक्रम के माध्यम से कहानी/कविता या अभिनय कर सकता है। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे परिवार और विद्यालय में पानी की बर्बादी पर राय दे सकते हैं; नारे और कविताएँ बना सकते हैं; और पानी की बर्बादी को कम करने तथा उसके पुनर्प्रयोग और पुनर्चक्रण के विभिन्न तरीकों का सुझाव दे सकते हैं।

आओ विचार करें

- मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों के माध्यम से किन अवधारणाओं और मुद्दों को संबोधित किया गया है? ईवीएस पाठ्यचर्या और रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्यपुस्तकों में उन्हें खोजने की कोशिश करें?
- क्या ये अवधारणाएँ और मुद्दे उपरोक्त गतिविधियों में दिए गए हैं? आपके राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में इनसे कैसे निपटा गया है
- आप बच्चों का आकलन कैसे करेंगे? ऊपर दी गई परियोजना गतिविधियों के लिए कुछ मानदंड तैयार करें।
- उपरोक्त दी गई गतिविधियों में कौन-से सीखने के प्रतिफल लक्षित हैं? आप निम्नलिखित में से क्या सोचते हैं?

ध्यान दें— बच्चों को कथानक और सामग्री तैयार करने दें और भूमिकाओं को आपस में बाँटें। वे कक्षा/विद्यालय सभा या विद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रस्तुति दे सकते हैं।

इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे आधार-सामग्री एकत्रित करने और आँकड़े दर्ज करने, निष्कर्ष निकालने, दूसरों के साथ निष्कर्ष साझा करने के विभिन्न तरीके सीखेंगे। जब बच्चों को उनके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी, अपव्यय आदि की मौजूदा स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वे न केवल समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, बल्कि उन्हें संबोधित करने के कुछ तरीके भी सुझाते हैं।

ईवीएस में एस.आर.जी. के लिए सुगठित गतिविधियाँ

इस खंड में विषय की गहरी समझ हासित करने और मुद्दे तथा उनके शैक्षणिक आयामों को समझने में मदद करने के लिए कुछ गतिविधियाँ शामिल हैं। आप अपनी कक्षाओं में बच्चों के लिए उनकी आयु, संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार गतिविधियों को बनाने में सक्षम होंगे। गतिविधियाँ समूह बनाकर करवाई जा सकती हैं और दिए गए विषयों पर चर्चा की सुविधा प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक समूह, समूहों में कार्य कर सकते हैं, जिसके बाद प्रत्येक समूह द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जा सकती हैं।

1. किसी भी अन्य विषय के लिए एक 'माइंड मैप' बनाएँ और ईवीएस की समेकित प्रकृति पर विचार करें।

सीखने के प्रतिफल

- जल स्रोत और जल भंडारण वस्तुओं को पहचानना।
- घर और आसपास पानी की ज़रूरत, उपलब्धता और उपयोग का वर्णन करना।
- पानी लाने और भंडारण करने में परिवार के सदस्यों की भूमिका का वर्णन करना।
- विभिन्न तरह के अवलोकनों/अनुभवों/वस्तुओं की सूचनाओं/गतिविधियों को दर्ज करना और गतिविधियों के स्वरूप का पूर्वानुमान करना।
- विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करके भिन्न/समान वस्तुओं/पदार्थों के तैरने या डूबने, घुलनशील और अघुलनशील होने का पता लगाना तथा उनके समूह बनाना।
- वस्तुओं और गतिविधियों के बीच अंतर करना।
- सरल उपकरण/प्रणाली का उपयोग करके तैरने वाले और डूबने वाले मिश्रण के गुण, घटना की स्थिति का अनुमान लगाना और सत्यापन करना।
- विभिन्न तरीकों से वस्तुओं/गतिविधियों भ्रमण किए गए क्षेत्रों के बारे में अवलोकनों/अनुभवों/सूचनाओं को दर्ज करना और उनके स्वरूप का पूर्वानुमान लगाना।
- चित्र, रूपरेखा, प्रारूप, नक्शे, कविता और नारे बनाना।
- पानी का उपयोग करने में सामाजिक भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर विचार व्यक्त करना।

2. चयनित विषय पर एक इकाई की योजना विकसित करें।
3. ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में भोजन, यात्रा और आश्रय विषयों के लिए कुछ समूह परियोजनाओं को तैयार करें। साथ ही उनके आकलन की योजना तैयार करें।
4. रा.शै.अ.प्र.प. या अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की ईवीएस पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण करें। उनमें जेंडर संबंधी चिंताओं को कैसे संबोधित किया गया है?
5. ईवीएस के शिक्षण को कैसे समावेशी बनाया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों से अध्याय/विषय चुनें और सुधार के लिए सुझाव दें।
6. ईवीएस पाठ्यपुस्तकों से अध्यायों/विषयों का चयन करें और अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के बच्चों के संबंध में संदर्भ के तरीके और सुझाव दें।
7. कुछ आयु उपयुक्त परिस्थितियों को तैयार करें जहाँ बच्चों को वैज्ञानिक समझ का पता लगाने के अवसर मिलते हों।
8. बच्चों को कला और शिल्प का उपयोग करना अच्छा लगता है। ईवीएस के शिक्षण-अधिगम के साथ कला शिक्षा को कैसे समेकित किया जा सकता है? इसे रा.शै.अ.प्र.प. की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कैसे संबोधित किया जाता है?
9. प्राथमिक कक्षाओं के लिए ईवीएस में विभिन्न विषयों के लिए ऑडियो/वीडियो/अन्य ई-सामग्री का पता लगाएँ और उन्हें पाठ्यपुस्तकों के साथ मानचित्रित करें। पूर्ण यू.आर.एल./वेब लिंक का उल्लेख किया जाना चाहिए।
10. ईवीएस पाठ्यपुस्तक में एक अध्याय का चयन करें और सुझाव दें कि आप दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित बच्चों को इसमें शामिल विभिन्न अवधारणाओं को समझने में कैसे मदद करेंगे?

क्र. स.	शिक्षक जिस कक्षा में पढ़ाते हैं	विषय, जो वे पढ़ाते हैं	विषय पढ़ाने में वे जिस शिक्षणशास्त्र का उपयोग करते हैं	किसी विशेष शिक्षण शास्त्र को अपनाने में वे किन चुनौतियों का सामना करते हैं	ईवीएस विषय पढ़ाने में शिक्षक आमतौर पर किन चुनौतियों का सामना करते हैं	वे शिक्षार्थियों का आकलन और मूल्यांकन कैसे करते हैं?	शिक्षक अपनी कक्षा को समावेशी बनाने के लिए क्या रणनीतियाँ अपनाते हैं? अनुभव साझा करें?	अब तक की गई चर्चा से भिन्न कोई टिप्पणी

प्रतिभागियों द्वारा ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के बारे में प्रतिपुष्टि

प्रत्येक समूह के शिक्षकों के बीच समूहों की उचित संख्या का गठन किया जा सकता है जिसमें हर समूह शिक्षकों की सभा की तरह विविध हो। प्रत्येक समूह को कक्षाओं में ईवीएस के शिक्षण-अधिगम के अपने संबंधित अनुभवों पर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें निम्न प्रारूप में वर्गीकृत करना चाहिए।

समूहों में शिक्षक अपने अनुभवों पर चर्चा कर सकते हैं, उन्हें दर्ज कर सकते हैं और सभी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रतिपुष्टि का उद्देश्य ईवीएस के शिक्षण-अधिगम पर शिक्षकों के दृष्टिकोण को समझना और ईवीएस के प्रशिक्षण के लिए उचित वातावरण तैयार करना है।

संदर्भ

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *प्राथमिक कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

_____. 2015. *प्राथमिक चरण के लिए सी.सी.ई. पर आदर्श पैकेज.* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

_____. 2017. *प्रारंभिक चरण में सीखने के प्रतिफल.* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

_____. ईवीएस में आकलन पर स्रोत पुस्तकें. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

_____. *पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तकें* (कक्षा 3–5). रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

_____. *पुस्तकों से परे हमारा पर्यावरण.* ईवीएस में अनुपूरक सामग्री. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

बालमन कुछ कहता है

नाम प्रज्ञा गौड़
कक्षा - दूसरी - 'एफ'
DATE

मेरी पेन्सिल

कच्ची है, सच्ची है
सबसे अच्छी है मेरी पेन्सिल ।
मुझको लिखना सिखाया
इसने मेरा मन हर्षाया
जो भी लिखू गलत अगर जो
रबड़ मिटाती तुरंत इसको, मेरी पेन्सिल
कच्ची है सच्ची है
सबसे अच्छी है मेरी पेन्सिल

केन्द्रीय विद्यालय न्यू महरौली रोड
जे॰ एन॰ यू॰ परिसर एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी
नई दिल्ली - 110067

कविता

आओ शुरुआत करें

अशोक कुमार ढोरिया*

आज मानव कर रहा वनों का ह्रास
तो फिर कहाँ देखता मंगल की आस
कंक्रीट में बदल दिया है जंगल
तो बताओ कहाँ उगेगी हरी घास।

आओ एक दूजे को जगाएँ
मिलकर पेड़ लगाएँ।

पानी जीवन को करता है आबाद
फिर हम क्यों करें इसे बरबाद ?
बूँद-बूँद में जीवन बसता ये है कुदरत का प्रसाद
फिर बर्बाद करने में क्यों हैं हम इतने आज़ाद।

आओ एक बढ़िया-सा कदम उठाएँ
लंबा जीवन जीने को जल बचाएँ।

आग न लगाएँ खलिहानों में
कितने जीव जल जाते हैं
नन्हें-नन्हें जीव अनेक मिट्टी में मिल जाते हैं
आओ एक नयी शुरुआत करें
फसल अवशेष से खाद बनाएँ
अच्छी फसल खेत में उगाएँ।

* *प्राथमिक अध्यापक*, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुम्बाहेड़ी (झज्जर), हरियाणा 124 109

एन.सी.ई.आर.टी. के कुछ अन्य प्रकाशन

कला शिक्षा पर प्रशिक्षण पैकेज (खंड-II)
₹475.00 / पृष्ठ176
कोड—13183A
ISBN—978-93-5292-106-5

अम्मा
₹65.00 / पृष्ठ 60
कोड—21136
ISBN—978-93-5292-012-9

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

कला शिक्षा पर प्रशिक्षण पैकेज (खंड-I)
₹475.00 / पृष्ठ172
कोड—13183
ISBN—978-93-5292-105-8

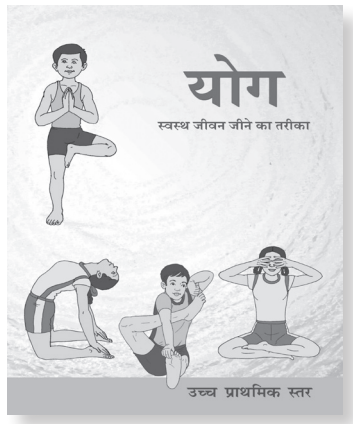

योग
₹65.00 / पृष्ठ 100
कोड—13140
ISBN—978-93-5007-766-5

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

- लेख सरल भाषा में तथा रोचक होना चाहिए।
- लेख की विषय-वस्तु 2500 से 3000 या अधिक शब्दों में डबल स्पेस में टंकित होना वांछनीय है।
- चित्र कम से कम 300 dpi में होने चाहिए।
- तालिका, ग्राफ़ विषय-वस्तु के साथ होने चाहिए।
- चित्र अलग से भेजे जाएँ तथा विषय-वस्तु में उनका स्थान स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।
- शोध-पत्रों के साथ कम से कम सारांश भी दिया जाए।
- लेखक लेख के साथ अपना संक्षिप्त विवरण तथा अपनी शैक्षिक विशेषज्ञता अवश्य भेजें।
- शोधपरक लेखों के साथ संदर्भ की सूची भी अवश्य दें।
- संदर्भ का प्रारूप एन.सी.ई.आर.टी. हाउस स्टाइल के अनुसार निम्नवत होना चाहिए–

  सेन गुप्त, मंजीत. 2013. *प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा*. पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लि., दिल्ली.

लेखक अपने मौलिक लेख या शोध-पत्र सॉफ़्ट कॉपी (यूनिकोड में) के साथ निम्न पते पर या ई-मेल पर भेजें –

अकादमिक संपादक
प्राथमिक शिक्षक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016
ई-मेल – prathamik.shikshak@gmail.com

रजि. नं. 32427/76

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य

Rates of NCERT Journals and magazines

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 55.00	₹ 220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 50.00	₹ 100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 50.00	₹ 200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 65.00	₹ 260.00
फिरकी बच्चों की (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) *Firkee Bachchon Ki (Half-yearly)*	₹ 35.00	₹ 70.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य प्रबंधक अधिकारी, प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन – 011-26562708, फ़ैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चन्द्रप्रभु ऑफ़सेट प्रिंटिंग वर्क्स प्रा. लि., सी – 40, सैक्टर – 8, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।